लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10—मंगलवार, 26 नवम्बर, 1974/5 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 10—*Tuesday, November* 26, 1974/*Agrahayana* 4, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
202.	दक्षिण पूर्व रेलवे में जोनल रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति	Zonal Railway User's Consulatative Committee on South Eastern Railway . . .	1–3
203.	चुनाव कानून संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों का लागू किया जाना	Implementation of Recommendation of Parliamentary Committee on Election Laws .	3–8
204.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन मामलों का निपटाया जाना	Disposal of Cases under MRTP Act	8–11
205.	मई 1974 को हड़ताल में भाग लेने वाले सहारनपुर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी	Employees of Saharanpur Railway Station Participated in May, 1974 Strike . .	11–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
207.	आल इंडिया हिन्दी रेलवे टाइम टेबल के प्रकाशक के लिए छपाई का कागज़	Printing Paper for Publisher of All India Hindi Railway Time Table	14
208.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तेल का समान मूल्य निर्धारित किया जाना	Fixation of Uniform price of Oil by OPEC	14
210.	वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारित उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य	Target of Production of Fertilisers Fixed for 1974-75 .	15
211.	वर्ष 1974-75 में बिहार में रेलवे लाइनों के विस्तार का कार्यक्रम	Expansion Programme of Railway Lines in Bihar during 1974-75	15

*किसी नामपर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign+marked above the name of a Member indicated that the Questions was actually asked on the floor of the House by him.

—39 LSS/74

*तारा० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
213.	गत छः महीनों में फर्मों के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के आरोपों की जांच	Investigation into Charges of Restrictive Trade Practices against Firms during the last six months	16
215.	रेल हड़ताल के बाद पश्चिम बंगाल में चालू की गई नई स्थानीय यात्री गाड़ियां	New Local Passenger Trains in West Bengal after Railway Strike	16
216.	समुचित सुविधाएं रहित लम्बी दूरी की गाड़ियां	Long distance trains without proper Amenities . .	16–17
217.	अपर इंडिया एक्सप्रेस में आग लगने के कारण रेलवे संपत्ति की हुई हानि	Loss to Railway property due to fire in Upper India Express	17
218.	बी० डी० और जी० डी० मुगलसराय यात्री रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी का डिब्बा न लगाना	Running of B.D. and G.D. Mughalsarai Passenger train without 1st Class Bogie . .	17–18
219.	मेसर्स विक्टोरिया आयरन वर्क्स लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 293ए(आई) का उल्लंघन	Violation of Section 293A(I) of Companies Act by M/s Victoria Iron Works Ltd. .	18
220.	वैगनों की जरुरत के बारे में निर्णय	Decision on requirement of Wagons	18–20
221.	तेल के आयात के लिए विदेशों के साथ समझोता	Agreement with Foreign Countries for Import of Oil . .	20

अतारा० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

2001.	तेल की खोज के लिए पुराने तटवर्ती स्टीमर को खुदाई करने वाले जहाज में बदलने हेतु खरीद ने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव	O & NGC proposal to purchase an old castal steamer for Conversion into drilling ship for oil exploration . . .	21
2002.	लाइफबाय साबुन की किस्म	Quality of Lifebuoy Soap .	21
2003.	आग के कारण अपर इंडिया एक्सप्रेस के डाक डिब्बे (पोस्टल वैन) को हुई क्षति	Damage to Postal Van of Upper India Express due to fire .	21–22
2004.	रेलवे द्वारा आई० बी० एम० से किराये पर लिये गये अलाभकारी नवीकृत संगणक	Uneconomic Re-conditioned Computers hired by Railways from IBM	22
2005.	चर्बी की खपत में कमी करने का प्रस्ताव	Proposed reduction in consumption of Tallow . . .	22–23

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2006.	राजस्थान को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आवंटन	Allocation of more Diesel oil to Rajasthan	23
2007.	प्रयोगशाला तकनीशियनों, एक्स-रे तकनीशियनों और ड्रेसर आदि के संशोधित वेतनमान में वेतन का पुनर्निधारण	Re fixation of Pay in Revised Scale of Pay of Laboratory Technicians X-Rays Technician, Dressers etc. . .	23
2008.	गोवा में औद्योगिक एकक को भट्टी-तेल की सप्लाई	Supply of furnace oil to Industrial Units in Goa . .	24
2009.	कम्पनियों द्वारा मार्गदर्शी निर्देशों का उलंघन	Voilation of guidelines by the Companies	24
2010.	उड़ीसा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of petrol diesel and Kerosene in Orissa . .	25
2011.	कम्पनी विधि-बोर्ड द्वारा विशे लेखा-परीक्षा का आदेश किया जाना	Special Audit Ordered by Company Law Board .	25
2013.	मेसर्स बर्मा शल और कालटैक्स द्वारा विदेश भेजा गया धन	Remittances made by M/s Burmah shell and Caltex . .	26
2014.	अपर इंडिया एक्सप्रस को दुर्घटना	Accident to Upper India Express	26
2016.	पंजाब में बिना चौकीदार वाले फाटक	Unmanned Railway Crossings in Punjab	26–27
2017.	केरल में यात्री गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाया जाना	Diesselisation of Passenger trains in Kerala	28
2018.	मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर की परतो से तेल और गैस निकाला जाना	Extraction of Oil or Gas from Lime Stone Layers in Madhya Pradesh . . .	27
2019.	राजनैतिक दलो के कार्यकर्त्ताओ द्वारा बिना टिकट यात्रा करने को रोकने के लिये जांच समिति	Enquiry Committee to Check Ticketless Travelling by Workers of Political Parties .	28
2020.	इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के रेल कर्मचारियो की छंटनी से पूर्व संवर्ग समीक्षा	Cadre review before retrenchment of Railway Employees of Engineering Department, Jaipur Division (Western Railway)	28
2021.	औषध उद्योग को अधिकार में लेने का प्रस्ताव	Proposal for taking over of Drug Industry	29
2022.	सरकारी कारखानों में औषधियों का उत्पादन	Production of Drugs in Government Factories . . .	29–31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2023.	दक्षिण रेलवे के खाद्य-सामग्री विक्रेताओं से ज्ञापन	Memorandum from Meal Vendors (Southern Railway)	31-32
2024.	लघु उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to set up Mini Fertilizer Plants	32
2025.	नागपुर डिवीजन के अंतर्गत तोड़-फोड़ की गतिविधियों में अंतर्गत न होने वाले कर्मचारियों के मामले	Cases of Employees not involved in Sabotages in Nagpur, Division	32-33
2026.	उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene Oil to Orissa	33-34
2027.	कोरबा तथा पारादीप म उर्वरक संयंत्र	Fertiliser plants at Korba and Paradeep	34
2028.	वियाना में तेल का निर्यात करने वाले देशों का सम्मेलन	Conference of Oil Exporting Countries in Vienna . .	35
2029.	गलेकी तथा त्रिपुरा में कुओं से तेल का उत्पादन	Production of Oil from Wells in Galeki and Tripura . .	35
2030.	बम्बई हाई में खुदाई के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विदेशी फर्मों के साथ सहयोग	Association of O & N G C with Foreign Firms for Drilling in Bombay High . . .	36
2031.	विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा प्रतिवर्ष विदेशों में भेजी जाने वाली राशि	Yearly Remittance Abroad by foreign Drug Manufacturing Firms	36
2034.	बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज के कार्य में हुआ व्यय	Amount spent on Drilling in Bombay High	37
2035.	बिहार बंद के दौरान यात्रियों के लिये किये गये प्रबंध	Arrangements made for Passengers during Bihar Bandh .	37
2036.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर कोचीन के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए करार की क्रियान्विति	Implementation of Agreement between the Management and Representatives of the Employees of FACT Cochin .	37
2037.	नियमानुसार 'काम करो' अभियान के संबंध में गार्डों के वेतन में की गई कटौती	Wage Out effected on Guards in connection with Work to Rule Movement . . .	37-38
2038.	राजस्थान में वर्ष 1973-74 के दौरान व्यापारिक संस्थानों तथा फर्मों द्वारा मांगे गये वैगन	Wagons required by Commercial Establishments and Firms in Rajasthan during 1973-74 .	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2039.	भूमिगत रेलवे के लिये योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अंतिम रूप देना	Finalisation of plans and Estimates for Underground Railways	38–39
2040.	कच्चे मेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिये अतिरिक्त धनराशि का नियतन	Additional Allocation of Funds for Purchase of Crude and Petroleum Products	39
2041.	वर्क स्टडी इंस्ट्रक्टरों/एफिशियेंसी इन्स्पैक्टरों (उत्तर रेलवे) के पदों पर चयन के बारे में अभ्यावेदन	Representation Regarding in Selection for Post of Work Study Instructors/Efficiency Inspectors (Northern Railways)	39
2042.	कोलम्बो में तेलशोधक कारखानों के विस्तार के लिये भारत द्वारा की गयी तकनीकी सहायता	Technical Know How Offered by India for Expansion of Refinery in Colombo	39–40
2043.	गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का वार्षिक उत्पादन	Annual Production of a Fertiliser Factory of Gorakhpur	40
2044.	वैगनों की पूरी सप्लाई करने के लिये त्रुटिरहित व्यवस्था	Footproofs Arrangements to make available full Requirement of Wagons	40–41
2045.	रतलाम डिविजन में फ्लैग स्टेशनों का खोला जाना	Opening of Flag Stations in Ratlam Division	41
2046.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० अलवाई के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the Working of Fertiliser and Chemicals Travancore Limited, Alwaye	41
2047.	पटना जंक्शन तथा पटना सिटी स्टेशन के निकट रेल लाइन पर रुकावट	Barricade on Railway Line near Patna Junction and Patna City Station	41–42
2048.	गत तीन वर्षों में रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक के कर्मचारियों को दिया गया दंड	Penalty Awarded to Staff of Railway Workshop Golden Rock during last three years	42
2049.	माल डिब्बों की कमी के कारण उद्योगों को कोयले की सप्लाई न होना	Non-Supply of coal to industries due to Wagon Shortage	42
2050.	आसाम में और अन्य स्थानों पर मिट्टी के तेल का उपलब्ध न होना	Non availability of Kerosene Oil in Assam and other places	42–43
2051.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और मेसर्स शारपेज लिमिटेड	Hindustan Lever Limited and M/s Sharpedge Limited	43
2052.	मिट्टी तेल की श्यानता (विसकासिटी) में वृद्धि करने के बारे में एक संसद् सदस्य से पत्र	Communications from a Member of Parliament Regarding Raising of viscosity of Furnace Oil	43–44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2053	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the Working of FCI New Delhi . . .	44
2054	लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में रिक्त पड़े स्थान	Seats Vacant in Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas and Vidhan Parishads .	44–45
2055	भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के भूतपूर्व ग्रेन शाप कर्मचारियों की वरिष्ठता एवम् वेतन निश्चित करने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Regarding Fixation of Seniority and Pay of *Ex*-grain Shop Staff of Ex S. I. Railway	45
2056	रूस से मिट्टी के तेल और डीजल का अधिक मात्रा में उपलब्ध न होना	Non availability of Increased supplies of Kerosene and Diesel Oil from Soviet Union .	45
2057	दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन बंद होना	Stoppage of Production in Durgapur Fertilizer Factory .	46
2058	रेलवे आरक्षण संबंधी समिति के सदस्यों को पास दिये जाना	Passes to Members Committee on Railway Reservation .	46
2059	बहु राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से कार्य कर रहीं गैर-सरकारी कम्पनियां	Private Companies Working in Collaboration with Multinntional Corporation . .	47
2060	रेल गाड़ियों में विस्फोटक पदार्थों को ले जाने पर रोक लगाने के बारे में कार्यवाही	Steps to Ban Carrying of Explosives in Trains . . .	47
2061	वैगनों की कमी से बचने के लिये स्थान-व्यवस्था के नये तकनीक	Modern Technique of Space Management to avoid Shortage of Wagons . . .	47–48
2062	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियां	Joint Stock Companies in West Bengal and North Eastern States	48–49
2063	रंगपाड़ा-उत्तर तथा शिलापाथार सेक्शन में आने-जाने वाली रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का प्रस्ताव	Proposal to *Re* Introduce Fair of Trains in Rangapara North and Silapathar Section .	49
2064	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम 1969 के पारित हो जाने के पश्चात औद्योगिक लाइसेंसों के लिए रद्द किए गए आवेदन-पत्र	Applications for Industrial Licenees rejected after the passing of MRTP Act, 1969 . .	50
2065	उत्तर प्रदेश में बिरला बंधुओं की फर्में	Birla Firms in Uttar Pradesh .	50–51
2066	वर्ष 1973-74 के दौरान कंपनी अधिनियम का कथित उल्लंघन करने वाली कम्पनियां	Companies charged with violation of Companies Act during 1973-74	51

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Page
2067.	मई 1974 की हड़ताल के बाद बर्खास्त किये गये स्थायी कर्मचारियों की अपीलों पर निर्णय	Finalisation of appeals of Permanent staff dismissed after May, 1974	51
2068.	तिरूर में नई दिल्ली-मंगलोर जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी का स्टाप बनाना	Proposal to give a stoppage to New Delhi Mangalore Jayanti Janta Express at Tirur	51–52
2069.	औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 में संशोधन	Review of Price Control Order, 1970 for Drugs and Pharmaceuticals	52–53
2070.	बम्बई के गहरे समुद्र में स्थायी डिलिंग प्लेटफार्म स्थापित करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना	Plan of ONGC to Instal a permanent Drilling Platform in Bombay High	53
2071.	जाली कागज कम्पनियां	Fictitious Paper Companies	54
2072.	उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की डिलीवरी में शीघ्रता लाने के लिए सैल की स्थापना	Cell to speed up Delivery of Cooking Gas to Consumer's	54
2073.	हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को क्षमा करना	Condonation of Break in Service of Employees Participating in the Strike	54–55
2074.	गाजियाबाद स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर कार्यकर रहे वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिए गर्मी तथा सर्दी की वर्दियां	Summer and Winter Uniforms for Commercial Staff working at Ghaziabad Station (Northern Railway)	55
2075.	वर्ष 1973-74 के दौरान सतर्कता संगठन को बनाए रखने में हुआ व्यय	Expenditure incurred on Maintenance of Vigilance Organisation during 1973-74	55–56
2076.	छोटे रेलवे स्टेशनों पर शैड लगाने की योजना	Scheme to provide Sheds at Small Railway Stations	56
2077.	विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in various High Courts and Supreme Court	57
2078.	कंपनी अधिनियम की धाराओं 146 (4), 147(3), 147(4) और 148(1) के अंतर्गत चलाये गए मुकदमें	Prosecution launched under section 146(4) 147(3), (4) and 148(1) of the Companies Act	57–5
2079.	पांचवीं योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाईनों का विस्तार/उनका बदला जाना नई रेलवे लाईनों का बिछाया जाना	Expansion conversion & construction of new Railway line in Gujarat during Fifth Plan period	58

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2080.	मुजफ्फरपुर से जयन्ती जनता एक्सप्रेस तथा नार्थ इंडिया एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की योजना	Scheme to start Jayanti Janta Express and North India Express from Muzaffarpur	59
2081.	अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on wlefare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	59
2082.	औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी योजना	Plan to increase production of Drugs	60–61
2083.	लोक सभा तथा गुजरात विधान सभा के शीघ्र चुनाव कराना	Holding of early election to Lok Sabha and Legislative Assembly of Gujarat . . .	61–62
2084.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन द्वारा आन्दोलन को समाप्त करना	Withdrawal of agitation by all India Loco Running Staff Association in Ajmer Division (Western Railway) . .	62
2085.	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के लिए इटली की एक फर्म द्वारा दोषयुक्त उपकरण की सप्लाई	Supply of defective equipment by an Italian firm for Durgapur Fertilisers Plant . .	62
2086	शंटरों के विभिन्न वर्गों के वेतन मानों के बारे में निर्णय	Decision on pay scales of Shutters	63
2087	निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	Legal aid to poor . .	63
2088	चाम राजनगर तथा सत्यमंगलम् (दक्षिण रेलवे) के बीच रेल लाइन	Railway line between Chamarajanagar and Sathyamangalam (Southern Railway)	63–64
2089	मसूरी में पाये गये राक फास्फेट के निक्षेप	Rock Phosphate Deposits found in Mussories . . .	64
2090	राजस्थान में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of petrol, diesel and Kerosene in Rajasthan .	64
2091.	राजस्थान में औद्योगिक एककों को भट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of furnace oil to industrial units in Rajasthan .	64–65
2092.	अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटो (उत्तर रेलवे) में कार्यभार तथा फार्मेसिस्टों और डाक्टरों की संख्या	Workload and strength of Pharmacists and Doctors in hospitals/health and (Northern Railway)	65
2093.	फार्मेसिस्टों के लिए तृतीय वेतन आयोग के वेतन मान	Third Pay Commissions' scale for Pharmacists . . .	65–66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2094.	हिन्दुस्तान लीवर और टाटा कम्पनी द्वारा बाजार में जनता साबुन की बिक्री	Janata Soap released by Hindustan Lever and Tatas	66–67
2095.	गोआ को और अधिक डीज़ल तेल का आबंटन	Allocation of more diesel oil to Goa	67
2096.	गोआ में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of petrol, diesel and Kerosene in Goa	67
2097.	कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कम्पनियों के विरूद्ध चलाये गये मुकदमें	Prosecutions launched against companies for violation ot Companies Act	67–68
2098.	वर्ष 1973-74 के दौरान भारत में विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in India during 1973-74	68
2099.	मेसर्स होचेस्ट को निर्धारित अवधि के बाद सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना	Issue of C.O.B. licences to M/s Hochst after due date	68–69
2100.	औषधियों संबंधी मूल्य नियंत्रण आदेश	Price control order on Drugs	69
2101.	औषधि फर्मों द्वारा अति उत्पादन किये जाने संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on over production by drug firms	69–70
2102.	चौथी योजना के दौरान कुछ विदेशी औषधि फर्मों का उत्पादन	Production of Certain foreign drug firms during fourth plan	70
2103.	पेट्रोलियम उत्पादो की सप्लाई के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किये गये अनुदेश	Instructions issued under the essential commodities act for supply of petroleum products	70
2104.	माल 'टर्मिनल' पर प्रेषितो द्वारा माल डिब्बों से माल उतारने के संबंध में असाधारण विलंब किया जाना	Inordinate delay in unloading of wagons by consignees at goods terminal	71
2105.	गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड	Golcha properties Ltd.	71–72
2106.	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी एकत्र किया जाना	Capital Raised in Public and Private Sector	72–73
2107.	उर्वरकों की किस्म सुधारने के लिये कार्यवाही	Steps to improve the quality of Fertiliser	73
2108.	खान-पान विभाग द्वारा सप्लाई किये गये भोजन की जांच	Examination of Food supplied by Catering Department	74
2109.	रेल हड़ताल (पूर्व रेलवे) के दौरान दानापुर डिवीजन में काम करने वाले प्रादेशिक सेना के कर्मचारी	T.A. Personnel who worked in Dhanpur Division during Railway Strike (Eastern Railway)	74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2110.	गाड़ियों में सीटों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Seats in Trains	74–75
2111.	पांचवीं योजना में एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतिकरण	Electrification of Ernakulam Trivandrum Railway line in Fifth Plan	75
2112.	दक्षिण रेलवे में कपिल स्टेशन का भवन	Building of Kappil Station (Southern Railway)	76
2113.	विभिन्न देशों को रेल उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Equipments to Different Countries	76
2114.	उड़ीसा को और अधिक डीजल तेल का आबंटन	Allocation of more Diesel Oil to Orissa	76
2115.	उड़ीसा में औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई	Supply of Furnace Oil to Industrial Units in Orissa	77
2116.	उड़ीसा के पूर्वी तट पर तेल की खोज	Oil Exploration on Eastern Coast of Orissa	77
2117.	हावड़ा-मद्रास मार्ग पर एक डीलक्स वातानुकूलित गाड़ी का शुरू किया जाना	Introduction of Delux AC Train in Howrah-Madras Route	77
2118.	रूपसा-बांग्रीपोसी ब्राड गेज लाइन	Rupsa Bangriposi Broad Gauge Line	78
2119.	मोरारका बन्धुओं द्वारा डब्ल्यु० एच० ब्रांडी एण्ड कम्पनी का नियंत्रण	Control on W.H. Bready & Co, by Morarkas	78
2120.	मैदानी, तटीय मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति किलोमिटर रेल लाइन पर तुलनात्मक लागत	Comparative Costs of Rail Lines Per K.M. in Plains and Hilly Areas	78–79
2121.	माल की चोरी	Pilferage of Goods	79
2122.	नजीबाबाद से रायसी, लस्कर और रुड़की होती हुई सहारनपुर तक सवेरे के समय गाड़ी चलाना	Introduction of trains from Nazibabad to Sahranpur via Raisl, Laksar and Roorkee in morning time	80
2123.	वर्दी पाने वाले कर्मचारी	Categories of Employees provided with Uniforms	80
2124.	किसानों को डीजल की सप्लाई	Supply of Diesel to Farmers	80–81
2125.	पदोन्नति के बाद प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया जाना	Posting of class I Officers in other Departments after promotion	81
2126.	पारादीप में उर्वरक परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to proceed with work in Fertiliser project at Paradeep	81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2127.	गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilisers during the last three years	82
2128.	दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे	Underground Railway for Delhi	82
2129.	रद्दी टायरों से तेल के उत्पादन के बारे में आयल शैल कार्पोरेशन के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of the Chairman of Oil shell Corporation regarding production of Oil from used Tyres	83
2130.	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक को पूंजी वाले उपक्रम	Undertaking with capital investment of Rs. 10 crores and above in West Bengal and North Eastern States	83
2131.	अमृत बाजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता के विरूद्ध जांच	Enquiry against Amrita Bazar Patrika Limited, Calcutta	83–84
2132.	रेमिंगटन रैंड आफ इंडिया लिमिटेड	Remington Rand of India Limited	84–85
2133.	हड़ताल के दौरान बंद की गयी स्थानीय यात्री गाड़ियां	Local Passenger Trains suspended during strike	86
2134.	विदेशी कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से प्राप्त की गई स्वीकृति	Clearance obtained by foreign owned companies from MRTP Commission	86
2135.	बी० डी० तथा जी० डी० मुगलसराय रेलगाड़ी में प्रकाश, पानी तथा पंखों का अभाव	Running of B.D. and G.D. Mughal Sarai Train Without Light, Water and Fans	86–87
2136.	पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी कम्पनियां	Public and Private Companies in West Bengal and North Eastern States	87
2137.	अपर इंडिया एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर के कार्य न करने तथा दुर्घटना के अन्य कारणों की जांच	Enquiry into the Non Functioning of Alarm Chain and other Causes of Accident of Upper India Express	88
2138.	मेसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच का प्रतिवेदन	Investigation Report against Messrs Bata India Limited. Calcutta	88
2139.	विशाखापत्तनम न्यायालय से रेल कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमों को वापस लेना	Withdrawal of Cases against Railway Employees from Visakhapatnam Court	89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2140.	रेलवे कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही	Follow up Action on Decision of Gujarat High Court Regarding Re-instatement of Railway Employees	89
2141.	बम्बई हाई में तटवर्ती तेल की खुदाई के लिए 'रिग्स'	Rigs for Off Shore Oil Exploration in Bombay High	89–90
2142.	रेलवे में छंटनी	Retrenchment on Railways	90
2143.	अपर इंडिया एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों की जांच	Investigation into the Causes of Fire in Upper India Express	90–91
2144.	फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच विवाद	Disspute between Management and Emrloyees of Fertiliser and Chemicals Limited, Travancore	91
2145.	इंडिया और बंगला देश के बीच माल की ढुलाई के लिए समझौता	Agreement for Tranportation of Goods between India and Bengladesh	91–92
2146.	विभिन्न स्थानों पर तेल के लिए खोज	Exploration for Oil at Various Places	92–93
2147.	नाइट्रोजनस उर्वरक के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Nitrogenous Fertiliser	93
2148.	तेल संकट को दूर करने के लिए कार्यवाही	Steps to solve Oil Crisis	94
2149.	औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र द्वारा औषधियों के उत्पादन पर ऋण पर लगे प्रतिबंध का प्रभाव	Impact of Credit Squeeze on production of Drugs by Indian Sector Industry	95
2150.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां	Public Sector Companies working under the Ministry of Petroleum and Chemicals	95–96
2151.	4 नवम्बर, 1974 के प्रदर्शन के कारण बिहार में गाड़ियों का बंद किया जाना	Cancellation of trains in Bihar due to demonstration on 4th November, 1974	96
2152.	कुछ विदेशी औषध फर्मों द्वारा अपनी मूल कम्पनियों के साथ अनियमित रूप से बीजक बनाया जाना	Irregular invoicing by certain foreign drug firms with their principals	97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2153.	मेसर्स वारनर हिन्दुस्तान द्वारा 'चिकलैट्स' का उत्पादन	Manufacture of Chikklets by M/s Warner Hindustan Ltd.	97
2154.	बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल पम्पो की स्थापना	Setting up of petrol and Diesel Pumps in rural areas of Bihar	98
2155.	न्यायाधीशों और वकीलों का रहन-सहन का स्तर	Standard of living of judges and Advocates	98
2156.	बिहार में रेलवे को हुई क्षति	Losses suffered by Railways in Bihar	98–99
2157.	कानूनों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद	Translation of Laws in various languages	99
2158.	हल्दिया तेल शोधक कारखाने को बंद किया जाना	Closing down of Haldia Refinery	99
2159.	तोड़-फोड़ अथवा रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण दुर्घटनाएं	Accidents due to sabotage or failure of Railway staff	100
2160.	संयुक्त सदाचार, समिति, गुजरात से अभ्यावेदन	Representation from Samyukta Sadachar Samiti, Gujarat	100
2161.	गुजरात सरकार को वैगनो का अलाटमेंट	Allotment of wagons to Gujarat Government	101
2162.	अशोधित तेल के आयात में कमी	Reduction in import of crude oil	101
2163.	इलैक्ट्रिकल लोको शैड, भिलाई में सुरक्षा उपाय न किय जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding non-observance of safety measures in electrical Loco Shed, Bhilai	101
2164.	मार्टिन रेलवे अरोह, भजपुर (बिहार) का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Martin Railway Arrah Bhajpur (Bihar)	102
2165.	पूर्वी प्रदेश में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains in Eastern Region	102
2166.	वकालत को दोहरी पद्धति को समाप्त करने की मांग	Demand for abolition of dual system of Advocacy	102
2167.	हाल्दिया की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये राज्य मंत्री का दौरा	Visit of the Minister of State to Study problems of Haldia	103
2168.	उत्तर रेलवे के मीटर गेज सेक्सन के कर्मचारियों को गर्मी तथा सर्दी की वर्दियां	Summer and Winter Uniforms to Staff of Metre Guage Section of Northern Railway	103
2169	रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन	Re-organisation of Railway Board	103

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2170.	विभिन्न एककों में रेल डिब्बों का निर्माण — Manufacture of Railway Bogies at different centres	104
2171.	बर्मा शैल को अधिकार में लेने के बारे में बातचीत — Negotiations for take over of Burmah Shell	104
2172.	कालटैक्स को अधिकार में लेने के बारे में बातचीत — Negotiations for take over of Caltex	105
2173	विध्वंसक गतिविधियों तथा हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण हुई हानि — Loss due to subversive activities and violent agitations	105
2174.	वर्ष 1973-74 में रजिस्टर्ड की गई गैर-सरकारी कम्पनियां — Non Government Companies registered during 1973-74	106–107
2175.	हिन्दुस्तान एंटोबायोटिक्स के कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी — Dismissal of certain officerss of Hindustan antibiotics	107
2176.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के क्लीयरिंग तथा फारवर्डिंग एजेंटों की कार्यविधि को बढ़ाना — Extension of operation of clearing and forwarding agents of Hindustan Lever Ltd.	107–108
2177.	गाड़ियों में यात्रियों को घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ दिया जाना — Inferior quality of Food Supplied to Passeners in Trains	108
2178.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में उल्लेख से बचने के लिये कम्पनियों द्वारा अपनाये गये हथकंडे — Tactics adopted by companies to avoid reference to MRTP Commission	109
2179	आल इंडिया रिपोर्टर, लिमिटेड, नागपुर के विरुद्ध अभ्यावेदनों का प्राप्त होना — Representations received against All India Reporter Ltd. Nagpur	109–110
2180.	सागर सम्राट में तेल के लिए ड्रिलिंग काम में लगे अमरीकी विशेषज्ञों को अदा की गई राशि — Amount paid to American Expert engaged in Oil Drilling in Sagar Samrat	110
2181.	गत एक वर्ष के दौरान हुई रेल दुर्घटनायें — Railway Accidents during the last one Year	110
2182.	पंजाब में लघु प्लास्टिक निर्माताओं को हो रही कठिनाइयां — Difficulties Faced by Small Scale Plastic Manufacturers in Punjab	111
2183.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच — Inquiry into the Working of Oil and Natural Gas Commission	111
2184.	रेलवे द्वारा मंडी-कुल्लू निगम को पूंजी अंशदान — Capital Contribution to Mandi-Kulu Corporation by Railways	111–112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2185.	1974 और 1973 के पहले नौ महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री	Ticketless Travelling during the First Nine Months of 1974 and 1973	112
2186.	रेल यात्राओं के लिए आरक्षण विषयक समिति का अन्तिम प्रतिवेदन	Final Report of Committee on Reservetions for Travelling on Railways	113
2187.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिये नई डिवीजन	New Division for North East Frontier Railways	113
2188.	डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की वार्षिक आवश्यकता	Annual Requirement on Diesel Petrol and Kerosene Oil	113–114
2189.	हड़ताल तोड़ने वालों के बच्चों आदि को नौकरी पर लेने के लिए डोरनाकाल के पुराने कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Old Workers of Doranakal to Absorb Sons/Wards of Strike Breakers	114
2190.	फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन में भारत का भाग लेना	India's Participation in an International Oil Conference Proposed by French President	115
2191.	तेल के मूल्य घटाने के लिये ईरान के शाह का प्रस्ताव	Proposal from Shah of Iran for reducing Oil prices	115
2192.	इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नए पेट्रोल पम्प खोलना	New Petrol pumps to be opened by IOC	116
2193.	प्रवर अधिकारियों के कार्यालयों को वातानुकूलित करना	Air Conditioning of offices of senior officers	116
2194.	सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को निपटाने में विलंब	Delay in settling pension cases for Retired Employees	117
2195.	निष्ठावान कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने पर अपव्यय	Wastefull expenditure on grant of increment to loyal workers	117
2196.	डिवीजन सुपरिनटेंन्डेन्ट कार्यालय, दानापुर (पूर्व रेलवे) की कार्मिक शाखा में 'जाब' विश्लेषण	Job analysis in personnel branch of D.S. Office, Danpur (Eastern Railway)	118
2197.	भारत में बहुराष्ट्रीय निगम	Multinational Corporations in India	118–119
2198.	बालासौर, तालचेर और बरहामपुर में चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities at Balasore Talcher and Berhanpur	119
2199.	संसद में कानून से संबंधित दस्तावेजों का अंग्रजी और हिन्दी-दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाना	Presentation of docuements pertaining to legislation in parliament both in English and Hindi languages	119–120
2200.	गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड और नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 147 का उल्लंघन	Violation of section 147 of companies Act by Gujarat Saving Unit Pvt. Ltd. and Navajeevan Trading Finance Pvt. Ltd.	120

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दिल्ली में मजदूरों की झुग्गियों में आग लगाये जाने के समाचार के बारे में	Re. Reported Setting Fire to Jhuggis of Labourers in Delhi	121
विशेषाधिकार का प्रश्न— आयात लाइसेंस का मामला	Question of Privilege— Import Licence Case	121–126
एक दर्शक के पास विस्फोटक पदार्थ पाय जाने के बारे में	Re. A Visitor found carrying an explosive	127–128
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	128
कच्चे पटसन के कथित अलाभकारी मूल्य के बारे में	Re. Alleged uneconomic Price of Raw Jute	128–129
सभा का कार्य—	Business of the House	129–133
संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty Second Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	133–134
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निम्नुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—	Statutory Resolution re. Disapproval of sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, and	
	Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे	Shrimati Reza Deshpande	134–135
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	135–136
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	136–137
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	137–138, 141–142
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	142–143
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	143–145
सभा का अवमान	Contempt of the House	138–141

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1974/5 अग्रहायण, 1896 (शक)

Tuesday, November 26, 1974/Agrahayana 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिण पूर्व रेलवे में जोनल रेलवे प्रयोक्ता परामर्श दात्री समिति

*202. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में केटरिंग समिति तथा बुकस्टाल समिति समाप्त कर दी गयी है और उन्हें जोनल रेलवे प्रयोक्ता परमर्शदात्री समिति में मिला दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 'जोनल रेलवे' प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य खानपान सेवा की ओर उचित ध्यान दे सकें हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल 'जी हां' कह कर दिया है हालांकि उत्तर बहुत ही जटिल है । श्री गुलजारी लाल नन्दा के मंत्रीत्व काल से मैं रेलवे केटरिंग समिति में हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें भाषण मत दें ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मैं कुछ प्रस्तावना के साथ अपना प्रश्न पूछ रहा हूं । रेलवे केटरिंग विशेष रूप से पूर्वी रेलवे में बहुत कुव्यवस्थित है और सभी को खराब भोजन का अनुभव है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में जोनल रेलव प्रयोक्ता सलाहकारी समिति को जिसमें केटरिंग समिति तथा 'बुक' समिति का विलय किया गया है, इस प्रकार गठित किया जायेगा कि सदस्यों को भी रेलवे के विभिन्न जोनों में जाने और रेलवे केटरिंग प्रबन्धों को देखने का विशेष कार्य सौंपा जायगा जिससे कि प्रबन्ध पर्याप्त हों ।

श्री बूटा सिंह : आप इस बात से सहमत होंगे कि यह समितियां सलाहकारी हैं और इनके सदस्यों को विशेष कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता । एक विशेष व्यवस्था है जिसके अनुसार विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा ठेकेदारों एवं विभागीय केटरिंग एककों द्वारा सप्लाई किये जा रहे सामान और सेवाओं

के स्टेन्डर्ड की नियमित निरीक्षण की नियमित व्यवस्था है । इस बात की सीमा नियत है कि ठेकेदार के अन्तर्गत कितने एकक हो सकते हैं जिससे कि ठेकेदार द्वारा इस बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सके । सभी शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाती है और जब कभी आवश्यक हो ठेकेदार तथा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार स्वयं पद्धति में ही उपबन्ध हैं । अत: इन सलाहकारी समितियों के सदस्यों को जो कि केवल मात्र सलाहकारी हैं, विशिष्ट कार्यभार सौंपना उचित नहीं ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : उपमन्त्री तो नए हैं परंतु मुझे इस समिति का 6 वर्ष का अनुभव है । प्रथम प्रश्न के परिणामस्वरूप मेरा अनुरोध है कि जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है और उसका गठन इस प्रकार का है कि उड़ीसा से जहां दक्षिण पूर्व रेलवे का अधिकतम फैलाव है, केवल 1 सदस्य है जबकि पश्चिम बंगाल से 9 हैं, बिहार से 6, मध्य प्रदेश से 3 तथा महाराष्ट्र से 1 है । उन्होंने अन्य राज्यों को तो पर्याप्त-प्रतिनिधित्व दिया है परन्तु उन्हें यह भी विचार करना चाहिये कि क्या उड़ीसा से विशेष वर्गों के हितों से कुछ और व्यक्तियों को लिया जाये । खाद्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है और इसे ठेकेदारों पर छोड़ने से यात्रियों के हितों की रक्षा नहीं होगी ।

श्री बूटा सिंह : क्या यह कहना ठीक नहीं कि सदस्यों की संख्या कम है । 1972 से 1974 तक इन समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है । मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि उड़ीसा को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये । यदि वे कुछ उपयुक्त नामों का सुझाव दे सकें तो हम उन पर विचार करेंगे ।

Shri Ram Deo Singh : May I know why did the Department revise the old set up relating to Railway Canteen Committee and Book Stall Committee ? That set up included some non-officials who acted as supervisors or officials. What defects were found out wnich necessitated the change in the system ?

Shri Buta Singh : Sir, the Railway Conventions Committee had suggested in 1974 that in order to increase its usefulness and to bring unity of purpose in it the number should be increased. Hence it was increased.

श्रीमती माया राय : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताएंगे कि क्या रेलवे में केटरिंग काम में और अधिक स्त्रियों को लगाने का कोई विचार है क्योंकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि रेलव में बहुत भटिया खाना मिलता है । ?

श्री बूटा सिंह : यह सच है और हमनें इसका विशेष प्रयत्न किया है कि रेलवे प्रयोक्ता समितियों के पेनल में स्त्री संगठनों के सदस्यों को नियुक्त किया जाए ।

श्री डी० एन०तिवारी : इन सलाहकारी समितियों के सदस्यों का विशेष कार्य क्या है और क्या रेलवे केटरिंग तथा अन्य मामलों में सुधार करते समय उनकी सलाह की ओर ध्यान दिया जाता है ?

श्री बूटा सिंह : जोनल मुख्यालयो में रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति का कार्य निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :—(1) क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था करना ; (2) नए स्टेशन खोलने के बारे में प्रस्ताव ; (3) समय-सारणियों संबंधी प्रबन्ध; (4) रेलवे द्वारा दी जा रही सेवाओं और सुविधाओं में सुधार ; (5) सामान्य जनता के हित अथवा जनता की सुविधा के किसी मामले अथवा सेवाओं व सुविधाओं के ऐसे मामलों में जिनके बारे में प्रयोक्ताओं से अभ्यावेदन मिले हों अथवा प्रशासनीय रेलवे मंत्रालय व राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्त सलाहकारी परिषद द्वारा जो मामला विचार और रिपोर्ट के लिए उन्हें निर्देशित किया जाये ; और (6) मंडलीय समितियो के प्रतिवेदनो से उत्पन्न होने वाले मामलो में अथवा ऐसे अन्य मामलों के बारे में जो मंडलीय समितियों द्वारा विशेष रूप से उन्हें निर्देशित किए जाएं ।

यह समितियां बहुत ही उपयोगी रही हैं। उनकी बैठक एक स्थान पर नहीं होती बल्कि विभिन्न स्थानों पर होती है। इन्होंने कार्यस्थितियों और रेलवे स्टेशनों व गाड़ियो की सुविधाएं सुधारने की दिशा में काफी कार्य किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को जो दोपहर का भोजन दिया जाता है उसका मूल्य 4.20 रु० बैठता है ? क्या उसी प्रकार का दोपहर का भोजन गाड़ियों में यात्रियो को अधिक दर पर उपलब्ध किया जायेगा ? क्योंकि किस्म तथा मात्रा दोनों में बहुत अधिक अन्तर है। क्या ऐसी कोई योजना है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : वेन्डिंग ठेके अथवा खानपान आदि के प्रबन्ध का प्रश्न हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। मैं संसद भवन का उल्लेख नहीं कर रहा, जहां पर स्थिति ठीक है, परंतु रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों का प्रश्न है। वास्तव में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं इस बात पर विचार करता रहा हूं कि रेलवे को होने वाले घाटे को देखते हुए क्या सभी स्थानों पर विभागीय केटरिंग का प्रबन्ध किया जाए और विभागीय केटरिंग में हमें काफी हानि होती रही है। अतः जहां पर भी हमें लाभ हो रहा है मैं विभागीय केटरिंग जारी रखना चाहता हूं परंतु जहां पर इसमें हानि हो रही है हम उसे छोड़ना चाहते हैं और रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं।

यदि हमें अधिक कीमत पर खाने की किस्म में सुधार करना है तो इस बारे में प्रयोग किया जा सकता है। हम दो-तीन प्रकार का खाना रख सकते हैं। परंतु मैं नही समझता कि इससे हमारी वर्तमान नीति के अनुरूप होगा जबकि हमने दो-तीन प्रकार के खाने के लिए यात्रियों की एक श्रेणी समाप्त कर दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : परंतु किस्म का क्या होगा। अब संसद सदस्यों से 4.20 रु० लिए जाते हैं। इसे 5.20 रु० तक किया जा सकता है ?

Shri L. N. Mishra : If it easy for them. If it could be eaiser for all I would raise it to Rs. 5.50.

Mr. Speaker : It should be reduced or increased by one paisa.

Smt. Sahodra Bai Rai : I have experience of 15 years. The Committee which has been formed does not serve any purpose, useless Stall food is served. Tea, which is served is also not good. It is nearly a water without sugar or tea. Will you look into it and make proper arrangements ?

Shri Buta Singh : Every effort is made to serve good food. It is obtained from the nearest station. Still, its quality can not be matched with the food prepared at home. So for as complaint about tea is concerned it can be looked into if the hon. Member gives it in writing.

Implementation of Recommendations of Parliamentary Committee on Election Laws

***203. Shri Madhavrao Scindia :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whetner the recommendations of the Parliamentary Committee on the amendment of election laws are proposed to be implemented by the time the Gujarat elections and next Parliamentary elections are held ; and

(b) the salient features of the opinion given by the Supreme Court between Augus to October, 1974 on the aspects of elections toucned upon in these recommendations.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) संयुक्त समिति की रिपोर्ट की, जो 13 मार्च, 1972 को सदन के पटल पर रखी गई थी, सरकार द्वारा जांच

की गई थी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, अर्थात लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973 लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1973 को पुर: स्थापित किया गया था और वह इस समय उस सदन के विचाराधीन है। विधि को कार्यान्वित करने की बात तो विधेयक को संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद ही उठेगी।

(ख) अगस्त और अक्टूबर, 1974 के बीच दिए गए निर्णयो में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण विचार, जो प्रश्न की विषय-वस्तु से सामान्य रूप से सुसंगत हैं, अन्य बातों के साथ साथ अभ्यर्थियो, राजनीतिक दलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत भारी व्ययों और साम्प्रदायिकता की बुराई के, जिनका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों पर प्रभाव पड़ता है, बारे में हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : जैसा कि हम सब जानते हैं श्री गोखले संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे और संयुक्त संसदीय समिति की मुख्य सिफारिश थी इस देश में चुनाव की सूची पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति की संभावना पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना। यह सिफारिश सर्वसम्मति से की गई थी। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि श्री गोखले इस संयुक्त समिति के सदस्य थे।

श्री गोखले ने कल राज्य सभा में सूची पद्धति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। मैं उनके कथन का उद्धरण देता हूं।

"विद्यमान पद्धति के अन्तर्गत, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें, न केवल भारत में अपितु उन सभी देशों में जहां पर इस प्रकार की पद्धति प्रवृत है, लोकतन्त्र चल रहा है"।

इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि "मैं हरी राम चन्द्र हूं क्योंकि मेरा नाम हरि एम चन्द्र रखा गया था और सभी हरि राम चन्द्र अपने आप को इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि उनके नाम यह रखे गये थे"।

मैं इस वाक्य का अर्थ नहीं समझता। इसे मानना अथवा अस्वीकार करना श्री गोखले का काम नही है। इस पर बिचार करना विशेषज्ञ समिति का काम है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक विशषज्ञ समिति क्यो नहीं गठित की गई है और सरकार का विशेषज्ञ समिति का कब गठन करने का विचार है ?

डा० सरोजिनी महिषी : संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। परंतु उनमें से कुछ सर्वसम्मति से नही की गई थी। उनमें से कुछ के बारे में मतभेद भी था। संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार किया गया और 20 दिसम्बर 1973 को पुर:स्थापित किया गया। विधेयक सदन के समक्ष है...

श्री माधवराव सिन्धिया : यह सर्वसम्मत सिफारिश थी।

डा० सरोजिनी महिषी : ऐसी अनेक सिफारिशें है जो सर्वसम्मति से नही की गई थी। मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि विपक्षी नेताओं से चुनाव सुधारो के बारे में बातचीत की जायेगी। उस पर उस समय विचार किया जायेगा। परंतु, जैसा की सदन को ज्ञात है, जो विधेयक 1973 में पुर:स्थापित किया गया था वह संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर था। सूची पद्धति पर भी विचार किया गया था। चुनाव पर होने वाले अत्यधिक व्यय तथा देश में इस समय स्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिती को देखते हुए इसे ग्रहण योग्य नही माना जा सका। तथापि, इसका यह अर्थ नही कि बातचीत में इस के बारे में विचार विमर्श नहीं हो सकता।

श्री माधवराव सिन्धिया : यह सर्वसम्मत सिफारिश थी । मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है । क्या मैं यह समझूं कि संयुक्त समिति में जो कुछ होता है उसे गलत रूप में कार्यवाही वृतान्त में लिया जाता है? कार्यवाही वृतान्त से स्पष्ट है यह सर्वसम्मत सिफारिश थी । मैंने मंत्री महोदय से यह नही पूछा कि क्या सूची पद्धति को ग्रहण योग्य समझा गया था अथवा नहीं । वह उत्तरदायित्व तो विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया था । इस की सिफारिश करना अथवा न करना विशेषज्ञ समिति का दायित्व है । विशेषज्ञ समिति का गठन क्यों नहीं किया गया ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस पर विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव सुधारों के बारे में बातचीत के दौरान विचार किया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहीं । वे प्रश्न के गुणों की बात कर रहीं हैं । वे यह कह रही हैं कि इस पर विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव सुधारों के बारे में बातचीत के दौरान विचार किया जायेगा । उनका प्रश्न यह है कि विशेषज्ञ समिति का गठन क्यों नहीं की गई है ।

डा० सरोजिनी महिषी : संयुक्त समिति विशेषज्ञों से युक्त थी । इसे 1971 में गठित किया गया था । लोक सभा के भंग हो जाने के पश्चात समिति भी समाप्त हो गई । उसके पश्चात फिर से एक संयुक्त समिति गठित की गई थी । उस गठित समिति में दोनो सदनो के विशेषज्ञ थे । उन्होंने सारी स्थिति का अध्ययन किया । यदि यह एक सिफारिश है तो निश्चित रूप से उस पर विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव सुधारों के बारे में बातचीत के दौरान विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी चुनावो के बारे में विशेषज्ञ हैं । जीतने वाले हमेशा विशेषज्ञ ही होते हैं ।

श्री माधवराव सिन्धिया : क्या मैं आपका संरक्षण प्राप्त कर सकता हूं? मुझे अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । विशेषज्ञ समिति का गठन क्यों नहीं किया गया और इसे कब तक गठित किया जायेगा ? निश्चित है कि सरकार संयुक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी ।

डा० सरोजिनी महिषी : जिस रूप में वह कह रहे हैं विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई । संयुक्त समिति ने, जो विशेषज्ञों से युक्त थी, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव सुधारों के बारे में बातचीत प्रारंभ होने वाली है ।

श्री माधवराव सिन्धिया : एक अन्य प्रमुख सिफारिश थी चुनाव आयोग को क-सदस्यीय निकाय के स्थान पर बहु-सदस्योय निकाय बनाना । भारत के संविधान से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसे बहु-सदस्यीय बनाने के लिए किसी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अनुच्छेद 324(2) में लिखा है :

"निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त, यदि हुए तो, होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे..."

सरकार ने संसद की संयुक्त समिति की इस सिफारिश को कम से कम क्यों स्वीकार नहीं किया ? क्या इस कारण से कि जब श्री सेन वर्मा चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने इस का विरोध किया था ?

डा० सरोजिनी महिषी : उससे पूर्व चुनाव आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं । बाद में दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी । फिर, 1972 में उसी प्रकार की एक समिति ने 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । संयुक्त समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं और केवल इसी के आधार पर एक विधेयक 20 दिसम्बर, 1973 को सदन में पुर:स्थापित किया गया । मेरा कहने का तात्पर्य यह है

कि कुछ सिफारिशों को विधेयक का रूप दिया गया है और जब विधेयक पर चर्चा आरंभ होगी इन बातों पर विचार हो सकता है। माननीय सदस्य केवल एक दो सिफारिशों की ही बात उठा रहे हैं। बहुत सी सिफारिशें हैं और केवल उन सिफारिशों के आधार पर ही विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : उन्होंने उनके इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय क्यों नहीं बनाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने कई बार चुनाव सुधारों का उल्लेख किया है। क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस देश में चुनाव सुधारों के बारे में जो गलत खबरें फैल रही हैं वह सरकारी फन्दे में फंस गई हैं और क्या सरकार यह नहीं समझती है कि दल व्यवस्था में परिवर्तन करके तथा नियमन एवं विधान बनाकर असंगठित विरोधी पक्षों के नैतिक स्तर को बढ़ाना आवश्यक है ताकि विरोधी पक्षों को अधिक संगठित रूप में रखा जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव सुधारों की तरह दल व्यवस्था को विनियमित करने संबंधी सुधार का भी उतना ही महत्व नहीं है ? मुझे विश्वास है कि मेरे प्रश्न की मूल भावना समझ ली गई होगी।

श्री के० लकप्पा : मैं उनकी बात को समझ नहीं सका। सदस्य के रूप में मेरा अधिकार है कि मैं उनके प्रश्न को समझूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय और सदस्य एक दूसरे को समझते हों तो हम दोनों के बीच में आने की आवश्यकता नहीं।

डा० सरोजिनी महिषी : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है मैंने उसे समझने का प्रयास किया है। चुनाव सुधार केवल नारा नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसे विधेयक का रूप दिया गया है जो इस सदन में पुर:स्थापित किया गया है। अत: यह बात नहीं कि सरकार ने इसे दबा दिया है जैसा कि उन्होंने कहा है। इस प्रकार कहना उचित नहीं है।

अनेक चुनाव सुधार किए जाने हैं। उनमें से कुछ के बारे में चुनाव आयोग ने मांग की है और कुछ के बारे में संयुक्त प्रवर समिति ने मांग की है। विधेयक तैयार करते समय, जो अब सदन में पुर:स्थापित है, सरकार ने उन सब पर विचार किया है। चर्चा के समय उसे उसी रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार वही सुधार उसमें सम्मिलित होंगे जो सदन आवश्यक समझता है।

श्री बी० वी० नायक : उन्होंने मेरी बात समझी नहीं।

श्री के० लकप्पा : चुनाव नियमों का संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किए गए सरकारी विधेयक की मैं सराहना करता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं ? अनेक वर्षों तक हमने देखा है कि इस देश में चुनावों में साम्प्रदायिक दल और फासिस्ट संगठन राजनैतिक दलों के नाम से कार्य कर रहे हैं और सारी लोकतन्त्रीय पद्धति को नष्ट कर रहे हैं। इस को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में इस प्रकार के सुधारों की व्यवस्था की गयी है। जिससे कि इस प्रकार के राजनैतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति न दी जा सके जो चुनाव में साम्प्रदायिकता, तानाशाही और प्रतिक्रिया लाकर प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य के प्रश्न का (ख) भाग इस बारे की गयी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से सम्बन्धित है और शायद माननीय सदस्य को इन टिप्पणियों की जानकारी होगी। साम्प्रदायिकता और जातिवाद की इन बुराईयों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां ही यह सब न कर सकेंगी। इस सदन, इस देश, यहां के लोगों तथा विभिन्न संस्थाओं को इन बुराईयों को दूर करने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिये। ताकि लाये जाने वाले सुधारों का समावेश विधेयक में कर दिया गया है जो सदन के सामने हैं। माननीय सदस्य इसका अध्ययन करें और यदि वे कोई विशेष बात रखना चाहते हैं तो संशोधनों का भी सुझाव दें। विधेयक पर चर्चा के दौरान इस पर विचार हो सकता है।

श्री इराज्मुद सेकेरा : यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस देश के आधे से कम वोटों से इस सदन का दो तिहाई प्रतिनिधित्व बना है...

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह तो अपने अपने विचार की बात है।

श्री वसंत साठे : यह तो विश्व के सभी प्रजातंत्रों में है।

श्री इराज्मुद सेकरा : इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसी प्रणाली के बनाये जाने पर विचार हो रहा है जिसके कि मतदान द्वारा लोगों की भावनायें विधान मंडल की रचना करते हुये प्रकट हो सके।

श्री सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य ने यह एक विचार प्रकट किया है लेकिन साधारण बहुमत की वर्तमान प्रणाली को प्रतिनिधि संस्था के लिये उचित उम्मीदवार चुनने के लिये बहुत प्रभावशाली समझा गया है।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा: मैं जानना चाहती हूं कि क्या प्रवर समिति ने मतदान की आयु को 18 वर्ष तक घटाने की सिफारिश की है और क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री एस० एम० बनर्जी : आप मेरे प्रश्न को कैसे जानती हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सी सिफारिशें की गयी हैं और सरकार ने बहुत सिफारिशों पर विचार भी किया है और उन्हीं के आधार पर विधेयक सभा के सामने लाया गया है।

Shri Jagannathrao Joshi : I want to know categorically wnether the Joint Committee has decided to refer the question of list system to experts for their opinion. If so, whether the Government has considered it and the decision arrived at, if any.

Dr. Sarojini Mahishi : It has been answered.

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने पूछा है कि क्या प्रवर समिति ने इसे विशेषज्ञों को सौंपने की सिफारिश की थी। इसका उत्तर मैं हां या ना में जानना चाहता था।

डा० सरोजिनी महिषी : यही प्रश्न पूछा गया था। प्रवर समिति में विशेषज्ञ ही हैं और दूसरी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है। मैं इसे बहुत स्पष्ट कर चुकी हूं।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने पूछा था कि क्या यह संयुक्त समिति की सिफारिशों थी अथवा नहीं।

Mr. Speaker : Why this much controversy ? Reason is that they are bachelor.

Shri S. M. Banerjee : Both are bachelor.

डा० सरोजिनी महिषी : यदि इस प्रश्न पर विचार करना है कि समिति में विशेषज्ञ थे इस पर विधेयक पर चर्चा के दौरान तथा विपक्ष के नेताओं द्वारा चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि सदस्य विशेष तथा दल अल्पसंख्या के साथ लोकसभा तथा विधान सभाओं के लिये निर्वाचित हो रहे हैं और इसे ठालने के लिये क्या सरकार विरोधी दलोंको घटाकर एक अथवा दो तक रखने पर विचार कर रही है ताकि विधान सभाओं अथवा लोक सभा के लिये 15 अथवा 10 सीटें न जीतने वाले दलों को मान्यता न दी जा सके । क्या आप उनके मान्यता वापिस लेने जा रहे हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह तो अपने अपने विचार की बात है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : चुनाव कानूनों का संशोधन करते समय क्या सरकार इसे इस ढंग से संशोधित करेगी जिससे कि संशोधन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है । दो माननीय सदस्य पहले ही पूछ चुके हैं और इन्होंने उत्तर दे दिया है । मेरे विचार में अब हमें अगले प्रश्न पर जाना चाहिये ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन मामलों का निपटाया जाना

*204. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नये उपक्रम की स्थापना अथवा उपक्रम के विस्तार के मामले पर निर्णय लेने में एकधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रतिक्रियाएं आयोग द्वारा कितना समय लिया जाता है ;

(ख) वास्तविक मामलों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) जो अनुरोध प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य होते हैं, उनके बारे में जांच करने और उन्हें शीघ्रता से अस्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 1-6-1970 से 31-12-1972 की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत आयोग को भेजे गये संदर्भों पर विचार किये जाने की प्रगति के विषय में विस्तृत सूचना, कथित अवधियों हेतु आयोग की प्रथम और द्वितीय वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में दी गई है, जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई हैं । वर्ष 1973 हेतु अपेक्षित सूचना तीसरी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो शीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी । अभी तक आयोग की अध्याय 3 के अन्तर्गत भेजे गये संदर्भों के विषय में उपक्रम का नाम, आयोग द्वारा संदर्भ की प्राप्ति की तिथि, आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा वास्तविक लिये गये समय आदि को दिखलाता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8572/74**]

(ख) तथा (ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 30, धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस, धारा 22 के अन्तर्गत आवेदनपत्रों या धारा 23 के अन्तर्गत प्रस्ताव के निपटान हेतु नियत समय प्रदत्त करता है । इस सांविधिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे कोई कार्यवाही की मांग नहीं की गई है । 31-10-1973 के पश्चात् प्राप्त आवेदनपत्रों पर उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 दोनों के अन्तर्गत विचार एवं निपटान करने हेतु क्रियाविधि को कतिपय वर्गों के आवेदनपत्रों के निपटान के लिए नियत समय सारणी सहित सुप्रवाही बनाया गया है, ये उद्योग संदर्शिका 1974-75 में विनिगमित किये गये हैं, जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालयमें प्राप्य हैं ।

श्री बी० वी० नायक : दिये गये ब्यौरेपूर्ण उत्तर के आधार पर क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हम यह कह सकते हैं कि एकाधिकार आयोग का कार्यकरण संतोषजनक है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन सभा के सामने है और सभा इसके कार्यकरण का अनुमान लगा सकती है। सरकार का कर्तव्य प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति के लिये मामलों को इसे राय के लिए भेजना है और हमने देखा है कि इन मामलों को आयोग की राय के लिय भेजना निर्णय लेने हेतु सहायक सिद्ध हुआ है।

श्री बी० वी० नायक : उत्तर स्पष्ट रूप से 'हां' अथवा 'न' में नहीं है, फिर भी एकाधिकार आयोग के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, जिसे प्रश्न में उद्धृत किया गया है, में इस बारे जो कुछ कहा गया है, उसे मैं उद्धृत करता हूं :--

"1971 में 22 निर्देश प्राप्त हुये थे जबकि 1972 में केवल 10 ही प्राप्त हुये हैं। फिर भी आयोग का विचार है कि अर्थव्यवस्था के महत्व के अनेक मामलों पर केन्द्रीय सरकार ने आयोग को निर्देश दिये बिना ही निर्णय लिये हैं"।

"आयोग यह अनुभव करने के लिये बाध्य है कि इन मामलो में कुछ असंगतियां पायी गयी है क्योंकि कभी कभी ऐसे मामले जो मुख्य समस्याओं वाले मामले नहीं होते आयोग को भेजे जाते जबकि महत्वपूर्ण मामले नहीं भेजे जाते"

"जैसे कि कहा जा चुका है 1972 के दौरान आयोग को भेजे गये मामलो की संख्या बहुत कम थी लेकिन अन्तर्सम्बद्ध पूछताछ सम्बन्धी कार्य न सौंपा जाता तो कार्य सचमुच कम होता"

क्या एकाधिकार आयोग ने कम्पनी कानून प्रशासन के विरुद्ध यह लिखित रूप में की गयी यह टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ? मंत्री महोदय को इस बारे क्या कहना है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : यह सच है कि अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास आए प्रार्थनापत्रों में से 10 प्रतिशत आयोग को भेजे जाते हैं और आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है। हमारा उत्तर यह है कि सरकार को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है जिसमें व्यवस्था की गयी है कि धारा 21, 22 तथा 23 के अधीन निर्देश करने से पहले सरकार को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि आयोग से पूछताछ के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। ऐसा निर्णय लिए जाने के बाद ही निर्देश किया जा सकता है। एक ही मामले में बार बार निर्देश नहीं किये जाते। यदि मामला अस्वीकार होने वाला हो तो कोई निर्देश नहीं दिया जाता। यदि राष्ट्रीय हित में लाईसेंस शीघ्र जारी करना जरूरी समझा जाये तो कोई निर्देश नहीं किया जाता। जिन मामलों के बारे सरकार को संदेह हो और ऐसे चुने हुये मामलों के बारे यदि हम निर्देश करते हैं तो अपनी राय देते हुये आयोग, समूचे समाज की मांग सहित प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करता है। उदाहरण के लिये, हिन्दुस्तान लिवर के मामले में एल० टी० पी० पी० तथा इस वस्तु के देश भर के उत्पादन के आधार पर एकाधिकार आयोग ने अपनी राय प्रकट की। इसके बाद मामलों पर निर्णय लेने के लिये यह राय हमारे लिये बहुमूल्य सिद्ध हुई और जब अन्य कम्पनियों ने एल० टी० पी० पी० का उत्पादन करने की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र दिये तो निर्देश बार बार किये गये।

अतः सरकार असंतोषजनक मापदंड नहीं अपना रही। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि एकाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन अब छपने के लिये जा रहा है और इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा। आवेदन पत्रों के निपटान के बारे में आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा है कि "केन्द्रीय सरकार के निर्णय से पहले केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जो पेचिदा किस्म के हों और जिनके बारे अधिक पूछताछ जरूरी समझी जाये"। आयोग इस बात को भी मानता है कि साधारणतः पेचिदा मामले ही पूछताछ के लिये भेजे जाते हैं। अतः इस बारे मार्गदर्शी बातें निर्धारित करना सम्भव नहीं। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आयोग को निर्देश किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि :—

(क) क्या यह सच है अथवा नहीं कि आयोग को बड़ी संख्या में भेजे गये बड़ी बड़ी कम्पनियों तथा बड़ी बड़ी परियोजनाओं से सम्बन्धित मामलों पर 2:1 के बहुमत से कम्पनियों के पक्ष में निर्णय लिये गये अर्थात् आयोग में केवल तीन सदस्य हैं जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों पर प्रायः 2:1 के बहुमत से निर्णय लेते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह देखने के लिये इस मामले पर विचार किया है कि देश के औद्योगिक उत्पादन से सम्बद्ध इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय इस एकाधिकार आयोग के एक सदस्य के बहुमत पर छोड़ा जाये ।

(ख) रखे गये विवरण के दूसरे भाग से यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने आयोग को कितने मामले भेजे और बाद में आयोग को कारण बताये बिना सरकार ने स्वयं कितने मामले वापिस लिये गये ।

आयोग के सभापति ने शिकायत की है कि सरकार प्रायः उन्हें आवेदन पत्र भेजती रहती है और जब ये आयोग के विचाराधीन होते हैं तो इसी समय अचानक सरकार बिना कारण बताये इन आवेदन पत्रों को वापिस ले लेती है ।

जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामले भेजे गये और उसके बाद कितने मामले कारण बताये बिना वापिस लिये गये और क्या यह सब इन बड़ी बड़ी कम्पनियों के प्रभाव के फलस्वरूप हो हुआ ।

श्री बेदव्रत बरुआ : पहले प्रश्न के बारे यह सच है कि एकाधिकार आयोग ने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें बहुमत तथा अल्पमत द्वारा लिये गये निर्णयों का उल्लेख है । मामले पर निर्णय एकाधिकार आयोग नहीं लेता लेकिन इस द्वारा बहुमत तथा अल्पमत द्वारा किये गये परामर्श पर निर्णय लेने से पहले सरकार विचार करती है । चूंकि दोनों परामर्श सरकार को भेजे जाते है, इसलिये इस बातको कोई सम्भावना नहीं होती कि बहुमत प्राप्त परामर्श पर ही विचार किया जायेगा ।

मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि एकाधिकार आयोग का कार्य केवल परामर्शदात्री है और सरकार दोनों मतों अर्थात् बहुमत तथा अल्पमत से हुए परामर्श को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेती है ।

मैं मामलों को वापिस लेने सम्बन्धी गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं । 50 मामलों में से 13 वापिस लिए गए । मेरे पास कुल आंकड़े नहीं है । लेकिन यह तब लोबिंग के कारण नहीं है । मामले वापिस इस कारण लिए गए कि पक्षों ने आवेदनपत्र वापिस ले लिये । कभी-कभी लाईसेंसिंग कमेटी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देती है और ऐसी स्थिति में हमने आयोग को सूचित किया कि लाईसेंसिंग समिति ने लाईसेंस को अस्वीकार कर दिया है और आयोग ने निर्णय किया कि आगामी कार्यवाही न की जाय । मेरे विचार में स्थिति ऐसी ही है । मैं इस प्रकार के तथ्य न बता सकूंगा कि कितने मामले किन किन आधारों पर वापिस लिये गये । मेरे पास इस प्रकार का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सभापति ने खुलेआम कहा है कि सरकार आयोग को कारण बताये बिना ही मामले वापिस लेती है ? ऐसी खबरें समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुई है ।

श्री बेदव्रत बरुआ : मैं इसका उत्तर शीघ्र न दे सकूंगा ।

श्री वसंत साठे : इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि उत्तर में कहा गया है, कि एकाधिकार आयोग अब अनावश्यक हो गया है क्योंकि इसने अनेक मार्गदर्शी बातें निर्धारित कर दी है जिनके आधार पर आप अब स्वयं निर्णय ले सकते है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सरकार मामलों को वापिस भी ले सकती है क्योंकि आयोग का कार्य केवल परामर्श देने वाला है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि आयोग के पास काम की कमी है, क्या सरकार आयोग को समाप्त करने पर विचार कर रही है

श्री बेदव्रत बरुआ : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह 1972 के प्रतिवेदन के बाद का भाग पढ़ें जिसमें यह उल्लेख किया गया है। आयोग ने स्वयं यह उल्लेख किया है कि उसे और भी कार्य करने होते हैं। वास्तव में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अधिनियम के तीसरे अध्याय के अलावा अन्य अध्याय चार, पांच और छः हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनमें प्रतिबन्धात्मक और एकाधिकार प्रक्रिया की व्यवस्था है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि जहां तक प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया की बात है यह रजिस्ट्रार को नियुक्ति करना चाहेगा। उस समय कोई रजिस्ट्रार नहीं था। ऐसा एक वर्ष पूर्व हुआ था। यदि रजिष्ट्रार होता है तो मामलों की चर्चा की जाती है और तब आयोग सब प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया के मामलों पर चर्चा करने में समर्थ होता है। प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया के अनेक मामले इस बीच आयोग के पास दर्ज किये गये हैं और आयोग उनकी जांच कर रहा है। एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया के कुछ मामले विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध भी दर्ज किये गये हैं लेकिन चूंकि उन्होंने न्यायालयों में लेख याचिकाएं प्रस्तुत की है इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः यह सच नहीं है कि आयोग का कार्य अनावश्यक है। इसे अपने मूल्य कृत्यों के बारे में काफी कार्य करना है।

श्री वसंत साठे : इसके बावजूद एकाधिकार में वृद्धि हो रही है। एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया का क्या कार्य है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : यह बिल्कुल भिन्न पहलू है। सरकार लाइसेंस देने से इंकार करने का प्रयास नहीं करती। प्रश्न यह है कि हम आवेदन-पत्रों की 'ईक्विटी होल्डिंग' की जांच करते है और सरकार इस बात की ओर ध्यान देती है कि निर्यात बाध्यता लागू की जाये तथा इसका पालन हो। एकाधिकार गृह पर नियंत्रण में कमी हो। केवल ऐसे मामलों में ही जब लघु उद्योग और अन्य उद्योगों को रूचि होती है तो सरकार एकाधिकार गृहों के विस्तार के प्रस्ताव देने से इंकार करती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह मानते हुए कि विभिन्न दायित्वों का धार्मिक रूप से पालन होता है सरकार ने इस बारे में मूल्यांकन किया है कि क्या गैरसंदिग्ध उपभोक्ताओं को एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक द्वारा निर्मित माल पर कोई छूट दी गई है ? मैं यह मानता हूं कि अधिनियम का मुख्य प्रयोजन इस बात को सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं का अवांछनीय तथा जाली व्यापार प्रक्रिया द्वारा पोषण न किया जाय तथा उन्हें लूटा न जाये और धन और आर्थिक अधिकारों के अवसरों में असमानताओं को रोका जायें। यदि आपका यह कथन है कि असमानताओं को रोकने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कदाचारों को रोकने के लिये जो उपभोक्ताओं को लूटते हैं तथा उनका शोषण करते हैं, किस सीमा तक कानून को लागू किया गया है--यह न मानकर कि इन सब बाध्यताओं का अनुसरण किया गया है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : माननीय सदस्य शायद विभिन्न कम्पनियों द्वारा अपनाई गई प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। वास्तव में हमने प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया के कुछ हजार मामले रजिस्टर किये हैं। कम्पनियों को अधिनियम के अन्तगत रजिस्टर होना पड़ता है। हम अनेक मामलों में आयोग के समक्ष गये हैं। एकाधिकार आयोग ने स्वयं इन मामलों की जांच की है और कभी कभी उसने कम्पनियों से इन प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण अथवा इन्हे न अपनाने का अनुरोध किया था। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारत में औद्योगिक प्रणाली में प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया और एकाधिकार प्रक्रिया का बोलबाला है और इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। अतः मुझे इस बात में लेश मात्र भी सन्देह नहीं है कि एकाधिकार आयोग के कार्य का क्षेत्र इस मामले में बहुत विस्तृत है। सरकार और एकाधिकार आयोग को देश के सामने एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें प्रतिबन्धात्मक और एकाधिकार प्रक्रिया की व्यवस्था न हो।

Employees of Saharanpur Railway Station participated in May, 1974 Strike.

***205. Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees of Saharanpur railway station who participated in May, 1974 Railway strike ;

(b) the number of class II and III employees out of them ;

(c) the number of employees arrested and the number of employees suspended during the strike ; and

(d) the number of employees removed from service ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खानआलमपुरा यार्ड सहित सहारनपुर स्टेशन पर काम करने वाले 1,004 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था ।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

	श्रेणी ii	श्रेणी iii	श्रेणी iv
हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या .	कुछ नहीं	178	826
गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों की संख्या . .	..	39	33
छोड़ दिये गये कर्मचारियों की संख्या . .	..	39	33
सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या . .	..	23	52
सेवा में दोबारा लिये गये कर्मचारियों की संख्या .		22	52
अभी निलम्बनाधीन कर्मचारियों की संख्या . .	..	3	3

Shri Mulki Raj Saini : According to the figures submitted by the Hon. Minister three employees each from class III and class IV are still suspended and they have not yet been reinstated. I want to know the reasons therefor ?

No class II employees have been shown to participated in the strike. I want to know whether the Minister is aware that some officers welcomed the strikers and raised slogans and garlanded them. Complaints have been made against them but not action has been taken against them. Whereas action has been taken against the loyal workers on falss complaints. I want to know whether any actions will be taken against them?

Shri Buta Singh : No Complaint has been received in this matter. In case a complanin t is received in writing proper investigation will be made. In reply to your question it has been stated that employees removed from service—23 in III class and 52 in class IV; employees taken back in III class and 52 in class IV.

So it is very much clear that action has to be taken only in connection with one person and he may be reinstated.

Shri Mulki Raj Saini : I want to know whether the Government is aware that there has been partiality in providing facilities to the persons coming on duty during the period of strike. Strikers have Forcibily realised the donations. Complaints have been made against them. I want to know what action has been taken against them ? There has been a great partiality in the matter of preparing the list of the persons to whom the awards have been distributed. I want know whether the Government will make an enquiry in this matter and take appropriate action in this regard ?

Shri Buta Singh : So far as the first part of the question is concerned the answer is that we have received serveral complaint in this matter and we are looking into them. So far as the second part of the question is concerned, if some specific instance is brought to our notice we can look into the matter.

श्री एस० बी० गिरी : माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ कर्मचारियों को अभी भी बहाल नहीं किया गया है। यदि उनके विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं है तो उन्हें कब बहाल किया जा रही है ?

श्री बूटा सिंह : जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि सहारनपुर स्टेशन पर मुश्किल से कुछ ही कर्मचारी होंगे जिन्हें बहाल नहीं किया गया हो। चौथी और तीसरी श्रणी में तीन-तीन कर्मचारी मुअत्तिल है। अतः ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Narsingh Narain Pandey : I want to know how many employees in the Northern Railway nave been suspended and the member of such employees against whom cases are pending ? I want to know whetner some of our loyal workers have been suspended and what action has been taken against them. ? I also want to know whether an enquiry will be made in such case ?

Mr. Speaker : Please ask about Saharanpur only.

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री ने सभा में कुछ दिन पहले यह बताया था कि उन कर्मचारियों के मामले में सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा जो तोड़-फोड़ अथवा हिंसा की कार्यवाही में शामिल नहीं थे। क्या हाल में जनरल मैनेजर से हुई उनकी बातचीत में उन्होंने इस बारे में कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का उल्लेख किया था जिससे कि इस मामले में निर्णय पूर्णतया अधिकारियों पर न छोड़कर उन मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर लिया जाये ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : यदि माननीय सदस्य ने मेरे भाषण की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उन्हें यह पता लगेगा कि मैंने इसी बात से भाषण आरम्भ किया था और हड़तालियों के मामलों को निपटाने तथा उनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने के निदेश दिये थे। अब छः महीने व्यतीत हो गये है और हम इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वह काम पर लौट आयें। हमने यह भी निर्णय लिया है कि आवेदन पत्र अथवा अपील के प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर उनके मामलों का निपटारा कर दिया जायेगा। लेकिन कुछ मामलों का निपटारा नहीं किया गया था और मैंने उन पर जनरल मैनेजर से बातचीत की है। उन्होंने मेरे निदेशों का पालन नहीं किया है। आज से मैं श्रमिक नेताओं से अनौपचारिक बातचीत भी आरम्भ कर रहा हूं। मैं आज श्री डांगे तथा अन्य नेताओं से मिल रहा हूं। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं।

Shri Nathu Ram Airwar : The Hon. Minister has stated in his reply that some unknown persons had made that complaint and so no enquiry would be made in this matter. I am sorry to say that you asked only these people in this matter who were involved in this matter. For the information of the hon. Minister ? I want to tell that on both 30th September I myself went to there petrol pumps of Cnatarpur. At that time Chief Minister was on tour regarding work done in connection with relief and drought. When I went there is purchase petrol I found that the kerosene was mixed in all the petrol tanks. Whether it was mixed in the store or on the way. I want to know whether the person making an enquiry in this regard got an information from some petrol pump or a consumers ? I want that necessary investigation should be made in this regard because Indian oil Corporation has become a place of corruption today. I. O. C. people get the kerosene oil sold at high prices by mixing it in petrol.

Shri K. D. Malviya : In case the hon. Member gives some information in this matter which may be more serious than the anonymous telephone call I shall certainly try to get this matter investigated. I do not fully reject it. It is true that the prices of motor spirit

has increased and so efforts are made to do things like that but it is not possible Kerosene in small quantity may be Mixed, but it can easily be detected becanse the specific gravity of both of them is not equal anoso it cannot be done. Even then if you give some information we well certainly look into the matter.

Shri Nathu Ram Ahirwar : I want to know whether an investigation will be made about the petrol stock on 30th of the petrol pumps in Panna and Chattarpur to see whether kerosene oil was mixed with petrol or not ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आल इंडिया हिन्दी रेलवे टाइम टेबल के प्रकाशक के लिए छपाई का कागज

*207. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आल इंडिया हिन्दी रेलवे टाइम टेबल के प्राइवेट प्रकाशक को अपने प्रभाव द्वारा नियंत्रित दरों पर छपाई का कागज उपलब्ध कराने में भी कोई रूचि नहीं ले रही है ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छपाई का कागज बहुत ऊंचे मूल्य पर ही मिल सकता है और मंत्रालय उचित मांगों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, क्या सरकार का इरादा इस प्रकाशन को बन्द कर देने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। अखिल भारतीय रेलवे हिन्दी समय सारणी के गैर सरकारी मुद्रक को, रेलें विज्ञापन और यात्रि गाड़ियों के समय इत्यादी के सामयिक संभरण द्वारा सहायता करती रही है। जहां तक फर्म द्वारा छपाई के कागज की सप्लाई के लिए प्रार्थना का सम्बन्ध है, रेलवे कोई सहायता नहीं कर सकती क्योंकि कागज के मूल्य और वितरण पर कोई विधिक नियंत्रण नहीं है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तेल का सामान मूल्य निर्धारित किया जाना

*208. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन तेल का समान मूल्य निर्धारित करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस से भारत की क्या लाभ पहुचेंगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1974–75 के लिए निर्धारित उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य

*210. **श्री वनमाली पटनायक :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के लिए उर्वरकों के उत्पादन का कितना लक्ष निर्धारित किया गया है और इससे उर्वरकों की आवश्यकताएं कहां तक पूरी होने की आशा है।

(ख) अन्य देशों से, उनके नामों सहित, वर्ष 1974–75 में किस प्रकार के उर्वरकों का आयात किया जायेगा और उनके आयात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इससे उर्वरकों की आवश्यकताओं पूरी होने में कितनी सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या मांग और सप्लाई की स्थिति में कोई कमी होने की संभावना है, यदि हो, तो यह कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1974–75 के लिए, 27.86 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 9.31 लाख मीटरी टन पी2ओ5 की अनुमानित आवश्यक ताकी तुलना में, 14.33 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 3.63 लाख मीटरी टन पी2ओ5 के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) सरकार 10 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 3.5 लाख मीटरी टन फास्फेट आयात करने की योजना पहले ही बना चुकी है। आयात किए जाने वाले उपरोक्त पोषक तत्व मुख्य रूप से यूरिया, कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट, डाइ–एमोनियम फास्फेट तथा ट्रिपल सुपरफास्फेट के रूप में होंगे। आयात मुख्य रुप से जापान/पूर्वी यूरोप, कनडा तथा अमेरिका के देशो से किया जाएगा।

कमी को अतिरिक्त आयात द्वारा संभावित सीमा तक पूरा करने के लिए हर एक प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 1974–75 में बिहार में रेलवे लाइनों के विस्तार का कार्यक्रम

*211. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में बिहार राज्य में रेल लाइनों का विस्तार का कार्यक्रम क्रियान्वित होने की संभावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो किन रेल लाइनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां। इस को क्रियान्वित किया जायेगा

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत छः महीनों में फर्मों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के आरोपों की जांच

*213. **श्री एस० एम० पुरती :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनो में कितनी फर्मों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के आरोपों की जांच की गई है ;

(ख) क्या सभी मामलों में जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1-5-1974 से 31-10-1974 तक की पांच मास अवधि के मध्य, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने 12 निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की जांच पड़ताल संस्थापित की, इन 17 एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, निबंधनकारी व्यापार प्रथा अनुबन्ध द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों के आधार पर एवं, 5 इस अधिनियम की धारा 10(क)(4) के अन्तर्गत अपने स्वयं के ज्ञान एवं सूचना के आधार पर थी ।

(ख) इन सभी मामलो में जांच की कार्यवाहियां प्रवर्तनमान हैं ।

(ग) उत्पन्न नही होता ।

रेल हड़ताल के बाद पश्चिम बंगाल में चालू की गई नई स्थानीय यात्री गाड़ियां

*215. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत रेल हड़ताल के बाद पश्चिम बंगाल में चालू की गई नई स्थानीय यात्री-गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मई, 1974 की रेल हड़ताल के पश्चात एक स्थानीय गाड़ी नं० यू-49 हवड़ा से उलूबेरिया तक 1-10-1974 से चलायी गयी है । सियालदह से बारासात तक चलने वाली एक जोड़ी सवारी गाड़ी का चालन भी 1-10-1974 से दत्तापुकुर तक बढा दिया गया है ।

समुचित सुविधाएं रहित लम्बी दूरी की गाड़ियां

*216. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लम्बी दूरी तक जाने वाली बहुत सी रेल गाड़ियों में प्रायः पंखों, रोशनी तथा पानी की समुचित सुविधायें उपलब्ध नहीं होती जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बेहद परेशानी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाओं की कमी के बारे में लम्बी दूरी के यात्रियों से कभी-कभार शिकायतें प्राप्त होती रही है ।

(ख) सप्लाई न होने और क्षमता के अभाव के कारण देश में गाड़ी में रोशनी करने के सेलों की अत्यन्त कमी है। इस क्षेत्र में नयी फर्मों को प्रोत्साहन देकर क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। परिपूर्ति द्वारा अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था भी की जा रही है।

यह भी पता चला है कि कुछ खण्डों पर सुविधा सम्बन्धी फिटिंग की बड़े पैमाने पर चोरी और उठाईगीरी के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) संकेन्द्रित अभियान चलाने के लिए सुविधा फिटिंग की चोरी से अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रों को चुना गया है।

(ii) इस तरह के अभियान के बाद गिरफ्तारी और चोरी की सम्पत्ति बरामद करने की कार्रवाई की जाती है।

(iii) चोरी की सम्पत्ति का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए आसूचना एकत्र करने के काम में तेजी लायी गयी है।

(iv) गाड़ी रोशनी सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय रेलों में विशेष अभियान चलाये गये हैं।

अपर इंडिया एक्सप्रेस में आग लगने के कारण रेलवे संपत्ति को हुई हानि

*217. **श्री शशि भूषण :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1974 के अंतिम सप्ताह में इलाहाबाद के निकट अपर इंडिया एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग जाने के कारण रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ; और

(ख) क्या इस दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो कितना ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे सम्पत्ति की तोड़फोड़ से हुई अनुमानित क्षति की लागत लगभग 1,95,000 रुपये हैं।

(ख) मुआवजे के लिए अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी मृत और हताहत हुए लोगों के सम्बन्धियों को 13,900 रुपये की राशि अनुग्रह के रूप में दे दी गई है। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक मुआवजा आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है।

बी० डी० और जी० डी० मुगलसराय यात्री रेलगाडी में प्रथम श्रेणी का डिब्बा न लगाना

*218. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई महीनों से बी० डी० और जी० डी० मुगलसराय यात्री रेलगाड़ी बिना प्रथम श्रेणी के डिब्बे के ही चल रही है और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी का डिब्बा न लगाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) केवल अक्टूबर, 1974 में कुछ दिनों ये गाड़ियां पहले और दूसरे दर्जे के निर्धारित सवारी डिब्बों के बिना चलीं क्योंकि पूजा की छट्टियों की भीड़-भाड़ के लिए ऐसे सवारी डिब्बों की विशेष आवश्यकता थी। अब ऐसी स्टाक मुक्त कर दिया गया है और उक्त गाड़ियों में निर्धारित डिब्बे चलने लगे हैं।

मेसर्स विक्टोरिया आयरन वर्क्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 293ए (आई) का उल्लंघन

*219. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स विक्टोरिया आयरन वर्क्स लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293ए(आई) का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) यह धारणा की जाती है कि माननीय सदस्य मैसर्स विक्टोरिया आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय साल्किया हावड़ा) को संदर्भित कर रहे हैं।

18-10-71 को समाप्त हुए वर्ष हेतु कम्पनी के लाभ और हानि लेखा में दिखलाया गया कि कम्पनी ने फारवर्ड ब्लाक को 500 रु० का दान दिया था। यह मामला कम्पनी के साथ उठाया गया था, जिसमें उसने उत्तर दिया कि यह दान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क के उपबन्धों, जिनमें राजनीतिक दलों या राजनीतिक उद्देश्य हेतु दान दिये जाने का निषेध किया गया है, की अनभिज्ञता के कारण, दिया गया था। कम्पनी ने यह भी उल्लेख किया कि अब इस राशि की एक निदेशक द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है। चूंकि यह दान बहुत थोड़ा था और एक निदेशक से राशि वापिस ले ली गई तो धारा 293क के अन्तर्गत कम्पनी पर मुकदमा न चलाने का निर्णय किया गया। लेखा परीक्षकों के विरूद्ध, कम्पनी के वार्षिक लेखों पर अपनी रिपोर्ट में कानून का उल्लंघन करने का उल्लेख न किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है।

वैगनों की जरूरत के बारे में निर्णय

*220. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान जितने वगनो की जरूरत पड़गी, उनकी संख्या के बारे में क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनके निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा क्रयादेश दिये जा चुके हैं और यदि हां, तो किन दरों पर निर्माताओं को उक्त क्रयादेश दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं को इस प्रकार क्रयादेश देने की वांछनीयता पर विचार किया है कि उस अवधि के दौरान उद्योग अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर सकें ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) यद्यपि अगले तीन वर्षों में माल डिब्बों की आवश्यकता का कोई विशिष्ट अनुमान तैयार नहीं किया गया है तथापि वास्तविक भाड़ा यातायात और पर्याप्त साधनों को उपलब्धता को देखते हुए इस समय रेलों का विचार यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर 1,00,000 माल डिब्बों के लक्ष्य के अनुरुप इन वर्षों में उपयुक्त संख्या में माल डिब्बे खरीदने की व्यवस्था की जाये।

(ख) चौपहियों के हिसाब से 50,925 माल डिब्बे खरीदने के आर्डर पहले ही दिये जा चुके हैं जिनमें से 35,600 माल डिब्बों के लिए उद्योग के मालडिब्बा निर्माताओं को और शेष के लिए रेलवे कारखानों को आर्डर दिये गये हैं। उद्योग को दिये गये अधिकांश आर्डर 1972–73 और 1973–74 के चल-स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। टाइपवार दिये गये ठेकों का मूल्य अनुबन्ध 'क' की तालिका में दिया गया है। 1974–75 के चल-स्टाक कार्यक्रम के अधीन चौपहियों के हिसाब से 1750 माल डिब्बों की प्राप्ति के लिए टेंडर को अन्तिम रुप दिया जा रहा है और 1974–75 के चल-स्टाक कार्यक्रम के शेष 11,711 माल डिब्बो की प्राप्ति हेतु टेंडर 16 दिसम्बर, 1974 को खुलने वाले हैं।

(ग) जी हां, उद्योग में सभी इकाइयों पर एक-सा कार्यभार डालने के लिए आर्डरों का समान आधार पर वितरण किया गया है। अतिरिक्त आर्डर भी इसी आधार पर दिये जायेंगे, जो आर्डर बकाया है, वे उद्योग की क्षमता को दो वर्ष से अधिक समय तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हैं और अतिरिक्त आर्डर दिये जाने पर उन्हें एक वर्ष तक का काम और मिल जायेगा। तीन वर्ष के कार्यभार को देखते हुए उद्योग के लिए अपने उत्पादन को अनुकूलतम बनाना संभव होना चाहिए।

विवरण

पांचवी योजना में सुपुर्दगी के लिए 1972–73 और 1973–74 के चल-स्टाक कार्यक्रम के अनुसार दिये गये टाइपवार माल डिब्बों के आर्डर के मूल्य

माल डिब्बे की टाइप	1972–73 चल-स्टाक कार्यक्रम का ठेका मूल्य प्रति माल डिब्बा (आधार तिथि 1–4–70)		1973–74 चल-स्टाक कार्यक्रम का ठेका मूल्य प्रति माल डिब्बा (आधार तिथि 1–4–73)	
	पत्तन क्षेत्र माल डिब्बा निर्माता	गैर पत्तन क्षेत्र माल डिब्बा निर्माता	पत्तन क्षेत्र माल डिब्बा निर्माता	गैर पत्तन क्षेत्र माल डिब्बा निर्माता
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	रु०
1. बड़ो लाइन बोगी खुली टाइप बी० ओ० एक्स० टी० एम० के०।	63,500	62,500	29,500	78,500
2. बड़ो लाइन बोगी खुलो टाइप बो० ओ०एक्स (सी) गैर-ट्रांजोशन टाइप केन्द्रोय बफर कपलर सहित।	••	••	••	72,189

1	2	3	4	5
3. बड़ी लाइन बोगी छतदार मालडिब्बा टाइप बो सी एक्स टी एम के II	..	..	81,838	80,838
4. बडी लाइन बोगी खुली मालडिबा टाइप बो ओ वाई	28,000	..	33,277	..
5. बड़ी लाइन चौपहिया तेल टंकी टाइप टी ओ आर एक्स	28,447	..	37,340	36,940
6. बड़ी लाइन चौपहिया बंद मालडिब्बा टाइप सी आर टी				
—पहला स्लैब . .	25,713	25,313 24,361 (मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज़) 24,995 (मैसर्स माडर्न इंडस्ट्रीज)		
—दूसरा स्लैब . .	27,200	26,800 25,848 (मसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज)	34,777	34,377
7. मीटर लाइन बोगी छतदार मालडिब्बा टाइप एम०बो०सो०	..	..	..	42,999

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त आधार मूल्यों के अलावा, आधार तिथि से मजदूरों और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि भी देय है।

2. उपर्युक्त मूल्यों में पहियों, केन्द्रीय बफर कपलर आदि की लागत शामिल नहीं है जिन्हें कि रेलें बिना मूल्य सप्लाई करती है।

तेल के आयात के लिए विदेशों के साथ समझौता

*221. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी देश के साथ तेल के आयात के बारे में हाल ही में कोई नया समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें एवं शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) तेल के क्षेत्र में सहयोग किए जाने के बारे में लीबिया सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुए करार, जिस पर सितम्बर, 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुसार इस करार के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन देने तथा इस का विकास करने के लिए तेल पर एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी। 9 अक्तूबर, से 12 अक्तूबर, 1974 के बीच संयुक्त समिति की त्रिपोली में हुई प्रथम बैठक में इस बात का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया गया था कि 1975 के दौरान भारत लीबिया से 2 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल उन शर्तों पर जो बाद में तय की जायेंगी, खरीदेगा। भारत इस कच्चे तेल के बदले में उर्वरक देने की संभावना पर विचार करेगा।

तेल की खोज के लिए पुराने तटवर्ती स्टीमर को खुदाई करने वाले जहाज में बदलनेहेतु खरीदने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव

2001. सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटवर्ती बेड़े में बहुत से जहाज बहुत पुराने हैं और क्वाड़ के ढेर के काबिल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार बेकार घोषित होने वाला एक तटवर्ती तेल स्टोमर को खरीदने का है और उसे बम्बई हाई में तेल की खोज के लिए खुदाई करने वाले जहाज के रूप में बदलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना की रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारतीय तटवर्ती बेड़े में कुछ जहाज पुराने हैं ।

(ख) और (ग) बाम्बे हाई क्षेत्र के अन्वेषण तथा विकास कार्य को शीघ्र करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अतिरिक्त चल व्यधन रिगों को लेने का विचार रखती है। इस कार्य के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भारत तथा अन्य स्थान में उपयुक्त हल के ताक में है ।

लाइफ बाय साबुन की किस्म

2002. श्री वरके जार्ज : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाज़ार में मिल रहे लाइफबाय साबुन की किस्म, इस साबुन का मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ा दिये जाने के बावजूद पहले बनने वाले साबुन की किस्म से बहुत ही घटिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और उत्पादकों को बेहतर किस्म का साबुन बनाने के लिये निदेश देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ महीने पहले लाइफबाय साबुन में कुल चर्बीदार पदार्थ अंश कम हो गया था और जुलाई-अगस्त, 1974 में गिर कर 57% रह गया था लेकिन उसके बाद इसे पुनः सामान्य स्तर पर लाया गया है तथा लाइफबाय साबुन इस समय 61–62% के टी एफ एम के साथ बनाया है और यह शुद्ध साबून है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आग के कारण अपर इंडिया एक्सप्रेस के डाक डिब्बे (पोस्टल वैन) को हुई क्षति

2003. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1974 को अपर इंडिया एक्सप्रेस में डाक-डिब्बे को, साथ के एक डिब्बे में आग लग जाने के परिणामस्वरूप कितनी क्षति पहुंची ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : इसमें कोई डाक-यान नहीं था। जला हुआ सवारी डिब्बा नं० एस० ई० 5205 दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा था जिसका अगला आधा भाग यात्रियों के लिए खुला था और पिछला आधा भाग रेलवे डाक सेवा के लिए उपयोग किया जा रहा था। निचले ढांचे को छोड़कर यह सवारी डिब्बा पूर्ण रूप से जल गया था। लगभग 1,95,000 रुपये की क्षति का अनुमान है।

रेलवे द्वारा आई० बी० एम० से किराये पर लिये गये अलाभकारी नवीकृत संगणक

2004. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आई० बी० एम० से अलाभकारी नवीकृत संगणक किराये पर लिये हैं और किराये के रूप में इतनी धनराशि का भुगतान कर दिया है जो उन मशीनों के मूल्य के लगभग बराबर है ;

(ख) क्या इन मशीनों और संगणकों का उनकी पूरी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं किया जा रहा और इस कारण लाखों रुपयों की हानि हुई है और रोज़गार क्षमता पर भी विपरित प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या इन मशीनों को खरीदने में गम्भीर अनियमितताओं की जानकारी भी सरकार को मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे अपव्यय न हो ?

रल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों ने आई० बी० एम० से 1400 अनुक्रम के कुछ संगणक किराये पर लिये हैं। ऐसे संगणक केवल सरकार द्वारा प्रदत्त औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आई० बी० एम० द्वारा किराय पर या पूर्णतया बेच कर सप्लाई किये जाते हैं और ये नवीकृत मशीनें होती हैं। ये मशीनें अलाभकर नहीं है। इन संगणकों के लिये दिये जाने वाले किराये आई० बी० एम० के सभी ग्राहकों के लिए समान हैं। विभिन्न दृष्टियों से, इन मशीनों को पूर्णतया खरीदने की बजाय किराये पर लेना बुद्धिमत्तापूर्ण समझा गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, ये मशीनें किराये पर हैं।

चर्बी की खपत में कमी करने का प्रस्ताव

2005. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चर्बी की खपत में कमी करने और संयुक्त राज्य अमरीका पर इसके आयात के लिए निर्भरता को कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या कास्टिक सोडा की कमी और उसकी कीमत में वृद्धि के कारण ही भारत के बाजारों में साबुन नहीं मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने निर्णय किया है कि संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने वाले साबुन के लिए चर्बी की और आयात करने को इजाजत नहीं दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1974 के पूर्वार्ध में संगठित क्षेत्र द्वारा साबुन के किए गए उत्पादन में कुछ कमी हो गई थी। इंडियन सोप्स एण्ड टायलेटरीज़ मैंकर्स एसोसियेशन ने बताया था कि साबुन के अलाभकारी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कि वे प्रचलित उच्च मूल्य पर तेल की पर्याप्त मात्राएं खरीद करने में असमर्थ थे।

(ग) साबुन के मूल्यों पर औपचारिक नियंत्रण, जो 19 सितम्बर, 1974 से पहले लागू था, साबुन की सभी किस्मों पर से इस शर्त पर हटा लिया गया है कि उद्योग का संगठित क्षेत्र उत्पादन को अनुकूलतम अर्थात विगत तीन वर्षों में से सब से अधिक स्तर तक बढ़ा दे तथा नहाने वाला 'जनता' साबुन का उत्पादन करें जिसकी 100 ग्राम की प्रत्येक टिकिया उपभोक्ता को 1.00 रुपये से 1.05 रुपये तक की कीमत पर दिया जाए।

राजस्थान को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आबंटन

2006. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आबंटन करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नवम्बर, 1974 तक राजस्थान को कितना डीजल तेल दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) जी, हाँ। तथापि, डीज़ल तेल की सप्लाई इस समय निर्बाध है और इसके लिए राज्यवार कोटे निर्धारित नहीं किए जाते। राजस्थान की मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है और तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई अपेक्षित मात्रा तक बढ़ा दी गई है। डीज़ल की सप्लाई के आंकड़े राज्यवार आधार पर नहीं बनाये जाते हैं।

प्रयोगशाला तकनीशियनों, एक्स-रे तकनीशियनों और ड्रेसरों आदि के संशोधित वेतनमान में वेतन का पुनर्निर्धारण

2007. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगशाला तकनीशियनों, एक्स-रे तकनीशियनों, ड्रेसरों और नर्सों (मेट्रनों) के वेतन का संशोधित वेतनों में निर्धारण करते समय इन श्रेणियों के दर्जे और वेतनमानों में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा कुछ परिवर्तन किये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख) रेलों पर प्रयोगशाला प्रविधिज्ञों, एक्स-रे प्रिविधिज्ञों, ड्रेसरों और नर्सों (मेट्रनों) के वेतनमानो में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अतिरिक्त संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

गोवा में औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई

2008. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में प्रतिष्ठित उपभोक्ताओं और औद्योगिक एककों को भट्टी-तेल देने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : भट्टी के तेल के स्थायी उपभोक्ताओं को इस तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों से सप्लाई प्राप्त करने की हकदारी है। सप्लाइयां करने में वर्ष 1973 में माल उठाय जाने की मात्रा के आधार पर 33 प्राथमिकता वाले उद्योगों पर 10 प्रतिशत की कटौती तथा अन्य उद्योगों के मामले में 20 प्रतिशत की कटौती की जाती है। अन्य अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकताओं के लिए पार्टियों को भट्टी के तेल की स्थायी समिति की आवंटन उप-समिति, जो तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा सचिव के नेतृत्व में कार्य करती है, के पास आवेदन-पत्र भेजने होते है। उप-समिति के अनुमोदन के पश्चात् तेल कम्पनियों को अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई जारी करने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति दी जाती है।

लघु एककों तथा राज्य प्रतिष्ठानों, जो किसी केन्द्रीय समर्थक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 1-7-1974 से प्रपंज कोटे दे दिये गए है। इस कोटे के आवंटन हेतु राज्य सरकारों को ही स्वयं आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। गोआ को इस कार्य हेतु वर्तमान वर्ष के लिए 4738 किलोलीटर का आवंटन किया गया है।

कम्पनियों द्वारा मार्गदर्शी निर्देशों का उल्लंघन

2009. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेनेजिंग और पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक के बारे में अगस्त 1972 में जारी किये निर्देशों का किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्यालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) अगस्त 1972 में प्रेषित मार्ग दर्शक नियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हो, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों व प्रबन्धको को दिये जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक के अनुमोदनार्थ आवेदन-पत्रों पर कार्यवाहियां करते समय, अपनाये जाने वाली नीति से सम्बन्धित है। अतः इन मार्गदर्शक नियमों का कम्पनियों द्वारा उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कमी

2010. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तिमाही के दौरान उड़ीसा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य के लिए निर्धारित कोटे की सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) गत तीन मासों में उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल आयल की अत्यधिक कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

इसकी खपत कम करने के लिए राज्य सरकार को आवंटित मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती कर दी गई है । यह सम्भव है कि इससे कतिपय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का अभाव बढ़ गया हो ।

(ख) और (ग) इस महीने मिट्टी के तेल के लिए राजकोय कोटे की कटौती को उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कम कर दिया गया है । कुछ महीने कटौती की जो सीमा बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दी गई थी उसे अब घटाकर खपत में कुल मिलाकर केवल लगभग 10 प्रतिशत तक ही बचत करने का लक्ष्य निहित था । राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि राज्य सरकार मिट्टी के तेल की जमाखोरी या कालाबाजारी के खिलाफ उचित कार्यवाही और मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाएं ।

तेल कम्पनियों को अपने अपने कोटों के अनुसार राज्यों को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने डिपुओं पर पर्याप्त मात्रा में माल एकत्र करने की सलाह दी जा चुकी है ।

कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विशेष लेखा-परीक्षा का आदेश दिया जाना

2011. **श्री बेकारिया :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान कम्पनी विधि-बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-क के अधीन कितने मामलो में विशेष लेखा-परीक्षा का आदेश दिया ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 1973-74 के मध्य कम्पनी विधि-बोर्ड में निम्नांकित दो कम्पनियों के लेखे की विशिष्ट लेखा-परीक्षा के आदेश दिये हैं :--

(1) हिन्दुस्तान रबड़ वर्क्स लि०,

(2) अमृतसर शुगर वर्क्स लि० ।

(ख) इनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

मेसर्स बर्मा शेल और कालटैक्स द्वारा विदेश भेजा गया धन

2013. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान और वर्ष 1974 में 31 अक्तूबर तक मैसर्स बर्मा शैल और कालटैक्स द्वारा (एक) मुख्यालय व्यय, (दो) सेवा शुल्क, और (तीन) रायल्टी शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि विदेशों में भेजी गई ; और

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में भेजी जाने वाली धनराशि को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1973 एवं 1974 के लिए इन शीर्षकों के अन्तर्गत अभी तक कोई धनराशि वापिस नहीं भेजी गई है।

(ख) भारत में आवश्यक सेवा तथा इसकी अनुपलब्धता अथवा कमी के आधार पर पहले ली गई स्वीकृति के मामलों में ही केवल धन बाहर भेजने की अनुमति दी जायेगी।

अपर इण्डिया एक्सप्रेस की दुर्घटना

2014. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1974 को इलाहाबाद के निकट अपर इण्डिया एक्सप्रेस की दुर्घटना में जो व्यक्ति मरे थे, उन सब की लाशों की शिनाख्त कर ली गई है ;

(ख) कितने मामलों में मुआवजे की राशि के लिए दावा पेश नहीं किया गया है ;

(ग) मृत व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों को सूचना देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) घायल व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक क्षतिपूर्ति का कोई दावा पेश नहीं किया गया है।

(ग) जहां तक सम्भव हुआ मृत और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों को तार द्वारा खबर कर दी गयी थी।

(घ) घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में 10,400 रु० का भुगतान किया गया है। घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता दी गयी और पोषक पेय पिलाया गया।

पंजाब में बिना चौकीदार वाले फाटक

2016. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कुल कितने बिना चौकीदार वाले फाटक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे फाटकों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पंजाब राज्य में बिना चौकीदार वाले 1,231 समपार हैं ।

(ख) बिना चौकीदारों वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(i) रेलवे लाइनों को सावधानी पूर्वक पार करने के लिए चेतावनी देने के लिए रेल पथ के दोनों ओर रेल सीमा के भीतर बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर मुख्य स्थलो पर "स्टाप बोर्ड" लगाये गये हैं ।

(ii) रेल पथ के साथ सी० टी० बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें ड्राइवरों को आदेश दिये गये हैं कि समपार के पास पहुंचने पर सीटी बजा कर समपारों पर पहुंचने वाली गाड़ी के बारे में सड़क पार करने वालों को चेतावनी दें ;

(iii) जहाजरानी मंत्रालय और परिवहन/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों के लिए सड़क चिन्हो की व्यवस्था करें ;

(iv) राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाये हैं जिनमें ड्राइवरो के लिए यह आवश्यक है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सभी वाहनों को थोड़ी देर के लिए रोक दें और यह पता लगाने के बाद कि रेल पथ दोनो और से साफ है तब रेलवे लाइन को पार करें ;

(v) सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा चेतना जाग्रत करने के लिए शैक्षणिक अभियान चलाये गये हैं और इसके लिए स्वचल वाहन संघो से अपील करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पर्चे बाँटने और आकाशवाणी, सिनेमा स्लाइडो आदि के माध्यम से प्रचार जैसे उपाय किये गये हैं ।

इसके अलावा, जिन समपारों पर सड़क और रेल यातायात दोनो अधिक है और/या दृश्यता सीमित है ऐसे समपारों को आवधिक यातायात गणना के आधार पर चौकीदार वाले समपारो में बदल दिया जाता है या निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्हें चौकीदार वाले समपार बना दिया जाता है ।

केरल में यात्री गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाया जाना

2017. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य में और अधिक यात्री गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार निकट भविष्य में किन-किन रेलगाड़ियों को डीज़ल इंजनों से चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Extraction of Oil or Gas From Lime-Stone Layers in Madhya Pradesh

2018. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is a possibility of availability of oil or gas from lime-stone layers found in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Dy. Minister in Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) & (b) No oil and gas deposits have so far been discovered in the lime-stone layers of Madhya Pradesh.

Enquiry Committee to Check Ticketless Travelling by Workers of Political Parties

2019. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Members of Parliament belonging to opposition parties have requested the Government to constitute an Enquiry Committee which can check whether the workers participating in the rally organised by any party are travelling without tickets in train;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) whether Government propose to accept this proposal and if not, the objections there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No such request has been received by this Ministry so far.

(b) & (c) Do not arise.

इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के रेल कर्मचारियों की छंटनी से पूर्व सम्वर्ग समीक्षा

2020. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में इंजीनियरिंग विभाग के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है तथा छंटनी के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या छंटनी के निर्णय से पूर्व रेलवे मंत्री के आश्वासन अनुसार सम्वर्ग समीक्षा की गई है ;

(ग) क्या फालतू श्रमिकों को अन्य विभागों में खपाने की संभावना पर विचार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) किसी नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है। 17 नैमित्तिक श्रमिकों को हटाया गया है और 40 नैमित्तिक श्रमिको को नोटिस दिये गये हैं ।

(ख) संवर्ग की स्थिति की समीक्षा की गयी थी लेकिन मितव्ययता के परिणामस्वरूप निर्माणकार्यों की कमी के कारण उन्हें रखने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी ।

(ग) और (घ) उनके लिए कोई खाली जगह उपलब्ध नहीं थी क्योंकि मितव्ययता अभियान सभी विभागों पर लागू होता है ।

औषध उद्योग को अधिकार में लेने का प्रस्ताव

2021. **श्री सरदीश राय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त औषध उद्योग को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में 116 तथा लघु क्षेत्र में 2300 औषध उत्पादक एकक हैं जो औषध और भेषज के निर्माण कार्य में लगे हुए है । उपरोक्त में से 36 एककों में 50% से भी अधिक की विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है । देश में वर्तमान में लगभग 50 करोड रुपये की औषधों का उत्पादन किया जाता है जिसमे से 18 करोड रुपये का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है । देश में निर्मित सुत्रयोगों का अनुमानित मूल्य 360 करोड रुपये का है । वर्ष 1972-73 में औषध सुत्रयोगों के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की लगभग 8% की हिस्सेदारी थी, विदेशी क्षेत्र, अर्थात् वे कम्पनियां जिनके 50% से अधिक की विदेशी साम्य पूजी लगी हुई है का सझेदारी लगभग 50% है तथा प्रपूंज औषधों के लिए वह 33% है । फरवरी 1973 में घोषित औद्योगिक लांईसेंसिंग नीति के अनुसार औषध एवं भेषज उद्योग को उस उद्योग सूचि में सम्मिलित कर लिया गया है जिसमें अधिकांश पूंजी निवेशवाली विदेशी कंपनिया तथा बडे घराने की कंपनियां भी भाग ले सकती है सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग के विस्तार/विविधीकरण हतु पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में 70 करोड रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में औषध सुत्रयोगों के उत्पादन को 500 करोड रुपये तक तथा प्रपूंज औषधों के उत्पादन को 150 करोड रुपये तक बढाने की परिकल्पना है ।

संसद् समिती जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप के अन्तर्गत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा जनशक्ति योजना तथा जन संख्या नीति की जांच कर रही है ने औषध उद्योग के बारें में निम्नलिखित सुझाव दिए है :—

"मूल्य नियंत्रण एवं गुणवत्ता को सुनिश्चितता करने हेतु औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए"

सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी को अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की है जिसकी अन्य कार्यों के साथ एक निम्नलिखित कार्य भी है :—

"मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व करने की स्थिति में लाने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव ।"

सरकारी कारखानों में औषधियों का उत्पादन

2022. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अपने औषधि-उद्योग द्वारा कितने प्रकार की औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) प्रत्यक एकक द्वारा उत्पादित औषधियों का नाम क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) विभागीय और सरकारी क्षेत्र एककों तथा स्वामित्व प्राप्त केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित प्रमख औषधों के नाम दिखाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण

1. भारतीय औषध तथा भेषज लि०

(क) एन्टीबायटिक्स प्लांट, ऋषिकेश

1. पेन्सिलिन तथा उसके लवण
2. स्ट्रेपटोमाइसिन सल्फट
3. टेट्रासाइकलिन
4. आक्सीट्रेसाइकलिन
5. नीस्टाटिन

(ख) संश्लिष्ट औषध संयंत्र, हैदराबाद

1. पैरा फेनीटीडाइन
2. फेनासेटिन
3. सल्फागियानीडाइन
4. सल्फाडीमीडाइन
5. सल्फानीलामाइड
6. सल्फासिल तथा उसके सोडियम लवण
7. विटामिन बी० 1
8. विटामिन बी० 2
9. फोलिक एसिड
10. सोडियम पी० ए० एस०
11. एनललाजिन
12. एमीडोपीरिन
13. पीप्राजाइन, हीड्राट, एडीपेट, फास्फेट तथा सिट्रेट
14. निकोटीनामाइड
15. पेरासीटामोल
16. पथील सल्फासीटामाइड
17. फेनावारवीटोन तथा उनके सोडियम लवण
18. थियासेटाजोन
19. सल्फामेथीजोल
20. एसीटाजोल-माइड
21. सोड एस्कारवेट

(2) हिन्दुस्तान एन्टोबायोटिक्स लिमिटेड, पिप्परी ।

1. पेन्सलिन
2. स्ट्रेपटोमाइसिन
3. हेमीसिन
4. अयूरेफियाजिन
5. एन्टोयामोबिन
6. विटामिन सी

(3) सरकारी ओपियम तथा अल्कालाइड वर्क्स गाजीपुर तथा सरकारी ओपियम फैक्टरी नीमच ।

1. कोडाइन तथा उसके लवण
2. मोरफाइन तथा उसके लवण
3. डियोनाइन आइ० पी०
4. नारकोटाइन तथा लवण
5. पेपावराइन तथा लवण
6. कोटाराइन हैड्रो
7. थेबेन
8. पेपावेराटम
9. ओपियम पाउडर तथा केक
10. क्रायमटोपाइन

(ख) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसोली ।

सेरा तथा वैक्सीनस

दक्षिण रेलवे के खाद्य-सामग्री विक्रेताओं से ज्ञापन

2023. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के खाद्य-सामग्री विक्रेताओं से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दक्षिण रेलवे में विभागीय खानपान इकाइयों द्वारा काम में लगाये गये कमीशन पर काम करने वाले खोमचे वालों से है । उनकी ओर से अभ्यावेदन मिले थे ।

(ख) अभ्यावेदन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—(i) कमीशन पर काम करने वाले बेयरों/खोमचे वालों को नियमित रेल कर्मचारी के रूप में समाहित करना, (ii) नियमित कर्मचारी के रूप में समाहित होने तक नैमित्तिक श्रमिक के रूप में नियुक्त करना (iii) यात्रा भत्ते का भुगतान, (iv) मुफ्त वर्दी की सप्लाई और (v) दक्षिण रेलवे पर कमीशन की दरों में वृद्धि और सभी रेलों पर कमीशन की समान दरें निर्धारित करना ।

(ग) दक्षिण रेलवे पर कमीशन पर काम करने वाले खोमचे वालों को देय कमीशन की दरों में हाल ही में वृद्धि की गयी हैं ।

बाकी मांगों पर विचार किया गया है लेकिन उन्हें मंजूर करना सम्भव नहीं हो सका है ।

लघु उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव

2024. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संयंत्रों के बजाय औद्योगिक कारखानों की बिजली उपलब्ध किये जाने के कारण उर्वरक संयंत्र लगातार बन्द हैं ; और

(ख) क्या ऐसी स्थिति में देश में लघु उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिजली की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई के कारण उर्वरक उद्योग कुछ स्थानों में कठिनाई का सामना कर रहा है हालांकि औद्योगिक प्रयोगकर्त्ताओं में से इस उद्योग को समग्र रूप से उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नागपुर डिविजन के अन्तर्गत तोड़-फोड़ की गतिविधियों में अन्तर्गस्त न होने वाले कर्मचारियों के मामले

2025. श्री धामणकर :
श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर डिवीजन में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है जिनकी सेवा में व्यवधान डाला गया है, जो केवल एक दिन अनुपस्थित रहे तथा जो तोड़-फोड़ की गतिविधियों में शामिल हुए ;

(ख) क्या बहुत से उन कर्मचारियों की सेवाओं में भी व्यवधान को अब तक समाप्त नहीं किया गया है जो तोड़-फोड़ की गतिविधियों में शामिल नहीं थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों के केवल नागपुर मंडलों का विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) यह सच है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों का सेवा भंग अभी तक माफ नहीं किया गया है जो तोड़-फोड़ में शामिल नहीं थे इसका कारण यह है कि सेवा-भंग तो अवध हड़ताल में भाग लेने के कारण स्वतः हो हो जाता है और इसका माफ किया जाना प्रत्येक प्रभावित कर्मचारी द्वारा दिए गये व्यक्तिगत अभ्यावेदन के गुण दोष पर निभर करता है। उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और परिस्थितियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति की ओर से इस सम्बन्ध में क्षमा प्रदान करता है जब कभी कर्मचारियों से अपील प्राप्त होती है तो सक्षम प्राधिकारी हर मामले पर तत्परतापूर्वक विचार करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

नागपुर मंडल

	मध्य रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे
(i) जिन कर्मचारियों को सेवा भंग हुई उनकी संख्या .	172	2,187
(ii) एक दिन अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या . .	60	491
(iii) तोड़फोड़ में शामिल कर्मचारियों की संख्या . .	कोई नहीं	कोई नहीं

उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन

2026. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को जनवरी से नवम्बर, 1974 के बीच महीनेवार मिट्टी के तेल का कितना नियतन किया गया ;

(ख) यह सप्लाई राज्य को आवंटित कोटे के अनुसार की गई है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार की ओर से इस कोटे में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र, जिसमें जनवरी से नवम्बर, 1974 तक उड़ीसा को किए गए आवंटनों तथा मिट्टी के तेल की भेजी गई मात्राओं का सम्बन्ध है, संलग्न है।

(ग) विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के कारण, मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने के संबंध राज्य सरकार से प्राप्त हुए अनरोध को पूण रूप से पूरा नहीं किया गया था तथापि, मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति तथा उपलब्धि पर निर्भर करते हुए राज्य को तदर्थ आधार पर मिट्टी के तेल की मात्राएं भेजी गई थी।

विवरण

जनवरी 74 से नवम्बर 74 तक उड़ीसा राज्य को मिट्टी के तेल का आवंटन/भेजी गई मात्रा

महीना	आवंटन	तदर्थ बंटन	कुल आवंटन	प्रेषण
जनवरी '74 .	4,379 (15% कटौती)	..	4,379	6,188
फरवरी '74 . .	4,570 (20% कटौती)	...	4,570	7,063
मार्च '74 . . .	4,752 (15% कटौती)	..	4,752	5,069
अप्रैल '74 . .	4,143 (20% कटौती)	400	4,543	6,125
मई '74	4,188 (20% कटौती)		4,188	5,782
जून '74	3,850 (30% कटौती)	894	4,744	4,420
जुलाई '74 . .	4,038 (30% कटौती)		4,038	5,166
अगस्त '74 .	3,925 (30% कटौती)	1,500	5,425	3,409
सितम्बर '74	4,800 (20% कटौती)	...	4,800	3,962
अक्तूबर '74 .	4,750	. .	4,750	4,153
नवम्बर '74 . .	5,653	. .	5,653	उपलब्ध नहीं

कोरवा तथा पारादीप में उर्वरक संयंत्र

2027. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरवा उर्वरक संयंत्र की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है और इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) कोरवा और पारादीप परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता मांगी गई है तथा अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कोरवा स्थित कोयले पर आधारित प्रायोजना कार्यान्वयन के आरंभिक चरणों पर है और इसके कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रारंभिक कार्य किए गए हैं। पारादीप में उवरक प्रायोजना की स्थापना का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया गया है परन्तु उसका कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है ।

(ख) इन दोनों प्रायोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के अपनाये जाने वाले पेटर्न के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Conference of Oil Exporting Countries in Vienna

2028. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the oil exporting countries in their conference held in Vienna on the 12th September have announced that no cut will be effected in the prices which has been increased by them by 300 per cent ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi : (a) and (b) The gist of the decisions taken after the meeting of the OPEC held in Vienna on the 12th September, 1974 relating to prices is given below :—

Posted prices were frozen for the fourth quarter of 1974. The posting for the marker crude, 34° API Arabian Light therefore remained at $ 11.651/barrel.

With effect from 1st October 1974 tax and royalty rates on the companies equity crude (40 percent of production) will be raised in such a way as to bring about an increase of 33 cents a barrel, or 3.5 percent, from $ 9.41/barrel to $ 9.74/ barrel on weighted average of government take) i.e. tax plus royalty on 40% equity oil and 60 percent government crude at the market price of 93-94.8% of postings) to compensate for inflation in the industrialised countries. This will entail an increase in the royalty rate—from 14.5% in most OPEC countries—to 16.67%, and a rise in the tax rate in the majority of member states from the prevailing 55.% up to 65.75%.

The decisions mentioned above can be interpreted in different ways. Recently the foreign oil companies have increased the price of crude oil imported by them. A clear picture will emerge only after the next meeting of OPEC to be held on December 12, 1974.

गलेकी तथा त्रिपुरा में कुओं से तेल का उत्पादन

2029. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम स्थित गलेकी में हाल ही में एक कुएं में तेल का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कुएं से देश के अन्य कुओं के 20 टन दैनिक उत्पादन की तुलना में कितना तेल प्रति दिन निकाला जा सकता है ;

(ग) क्या त्रिपुरा में खोदे गये कुओं से तेल के उत्पादन के बारे में अच्छी आशायें हैं ; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रति दिन प्रति कूप के कुल 35 मीटरी टन तेल की औसतन उत्पादन की तुलना में, गलेकी कूप प्रति दिन औसतन 40 मीटरी टन तेल उत्पन्न कर सकता है ।

(ग) और (घ) इस मामले में इतनी जल्दी कुछ कहना संभव नहीं है । त्रिपुरा में व्यधन किए गए प्रथम कूपे से अभी तक गैस प्राप्ति के संकेत मिले हैं ।

बम्बई हाई में खुदाई के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विदेशी फर्मों के साथ सहयोग

2030. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई बेसिन में तेल के लिये खुदाई हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कुछ विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये कतिपय फर्मों के साथ बातचीत आरम्भ कर दी गई है ; और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बाम्बे हाई क्षेत्र के अन्वेषण तथा विकास कार्य शीघ्र करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समय समय पर ऐसे सेवाओं की, जो आवश्यक होगी, व्यवस्था ठेके के आधार पर करेगा । शर्तें किराये पर ली गई सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करेंगी ।

'विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा प्रतिवर्ष विदेशों में भेजी जाने वाली राशि'

2031. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा चौथी योजना की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष, कम्पनी-वार, कुल कितनी धनराशि विदेशों को भेजी गई ;

(ख) उनके द्वारा देश ही में निर्मित विभिन्न फार्म्यूलूशनों के बारे में इन फर्मों की लाइसेंस क्षमता कितनी है और ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें उन्होंने आयातित कच्चे माल को लेकर औषधों को अधिक उत्पादन किया है ; और

(ग) सरकार का विचार उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो आयातित कच्चेमाल के बल पर औषधों का निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन करती रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण पत्र, जिस में 50% से अधिक विदेशी सम्पत्पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों में से प्रत्येक द्वारा 1969, 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान बाहर भेजे गए धन के ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०- 8573/74]** । प्रत्येक कम्पनी के बारे में वर्ष 1973/1973-74 की इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) संगठित क्षेत्र में औषधों का निर्माण करने वाले 116 यूनिट हैं जो ऐसी दवाइयाँ तैयार करते हैं जिन की संख्या कई हजार हैं । इन कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियों के लिए अनुमोदित क्षमताओं में पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत जारी की गई अनुज्ञप्तियाँ, समय-समय पर जारी किए गए अनुज्ञेय/अनापत्ति पत्रों विविधीकरण की योजनाओ के अन्तर्गत किए गए उत्पादन, सी० ओ० बी० आदि के अन्तर्गत अनुमोदित क्षमताएँ सम्मिलित हैं । इन सभी दवाइयों के निर्माण को उन रसायनों, जिनका उत्पादन देश मे किया जाता है अथवा जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात किया जाता है, के साथ सम्बद्ध करना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त दवाइयो का निर्माण प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न होता है जो प्रत्येक उत्पाद के विपणन पर निर्भर करता है और इस सीमा तक प्रयुक्त रसायनों में भी समय समय पर काफी भिन्नता होगी ।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई औषध एवं भेषज समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है जिसमें औषध उद्योग विशेषरूप से भारतीय एवं लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करने से संबंधित मामले और मूल औषधों एवं कच्चे माल के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रबन्ध करना शामिल है ।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज के कार्य में हुआ व्यय

2034. विरेन्द्र सिंह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज के कार्य में अब तक कितना व्यय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : 30 अक्तूबर, 1974 तक परिचालन सम्बन्धी खर्च की गई कुल राशि 844.25 लाख रुपये है। इसमें मूल्य ह्रास तथा पूंजीगत आस्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

Arrangements made for Passengers during Bihar Bandh

2035. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) the arrangement made by Government during Bihar Bandh in first week of October, 1974 to ensure that Passengers of the trains that operated in Bihar reached their destinations in time and for providing them other necessary facilities ; and

(b) the impact thereof on the travelling public ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh) : (a) Senior officers of the Railways and other staff were specially deputed to see that there was no dislocation of Rail traffic. Constant liaison with State Government/Police and other agencies was maintained. Security track patrolling was introduced and the job for escorting of trains, was taken up by RPF/GRP.

(b) Inspite of all precautionary security measures, there were cases of damage to Railway property as well as tampering with track, which resulted in temporary dislocation of train services in some places of Bihar State.

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर, कोचिन के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए करार की क्रियान्विति

2036. श्री सी० जनार्धनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, कोचीन डिविजन के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच 15 अक्तूबर, 1974 को हुए करार की शर्तों को अनुमोदित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं और उनका अनुमोदन न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत 15 जुलाई, 1974 को कोचीन प्रभाग के श्रम संघो और, फैक्टरी के प्रबंधकों के बीच हुए समझोते से है। अन्य बातों के साथ साथ समझोते में मजदूरों के मूल वेतन महंगाई भत्ता तथा अन्य लाभ की व्यवस्थाएं भी जैसे कि धुलाई भत्ता, केंटीन अनुदान आदि, निहित है। समझौता जो 31 दिसम्बर, 1976 तक वैध है, इसकी स्वीकृति सरकार ने कतिपय शर्तों के अधीन पहले ही दे दी है।

'नियमानुसार काम करो' अभियान के संबंध में गार्डों के वेतन में की गई कटौती

2037. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुछ डिविजनों में, इस तथ्य के बावजूद कि गार्ड "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन के दौरान उपस्थित थे, उनके "वेतन में कटौती" की जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार "कोई शोषण नहीं करार" (नो विक्टीमाइजेशन एग्रीमेंट) और आन्दोलन के दौरान उनकी गाड़ियों पर उपस्थिति एवम् काम करने की उनकी इच्छा को देखते हुए, डिविजनल प्राधिकारियों को गार्डों का शोषण न करने के आदेश देने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Wagons Required by Commercial Establishments and Firms in Rajasthan during 1973-74

2038. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons asked for by various commercial establishments and firms of Rajasthan during 1973-74 ;

(b) the number of wagons actually supplied to them during this period ; and

(c) the amount of demurrage outstanding for the wagons supplied during the aforesaid period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) The number of wagons asked for by and supplied to various commercial establishments of Rajasthan during 1973-74 is given below :—

	No. of wagons asked for	No. of wagons supplied
B. G.	14,507	5,220
M. G.	2,22,754	1,58,633
N. G.	6,857	6,467

(c) Rs. 3,76,797.

भूमिगत रेलवे के लिए योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देना

2039. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सैक्शनों के नाम क्या है जिनके लिए भूमिगत रेलवे हेतु योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ?

(ख) उन रेल लाइनों की लम्बाई कितनी है और प्रत्येक मामले में प्राक्कलन कितना-कितना है ; और

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि कई पिछड़े क्षेत्रों में निर्माण-कार्य आरंभ करने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी खर्चीली परियोजनायें हाथ में लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता में डम-डम टालीगंज लाइन की भूमिगत रेलवे के लिए अनुमान/योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं ।

(ख) कलकत्ता में लाइन की मार्ग लम्बाई लगभग 16.5 कि० मी० होगी और 1970 के मूल्यों के आधार पर इस पर अनुमानतः 140 करोड़ रुपये की लागत आयगी ।

(ग) महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अलग से रकम आबंटित की जाती है और वे रेल योजना का भाग नहीं होती । इसलिए ये रकमें रेल मंत्रालय द्वारा नयी रेलवे लाइनो के निर्माण के लिए खर्च नहीं की जा सकती । महानगर परिवहन परियोजनाएं हमारे बड़े नगरों की परिवहन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य समझी जाती हैं ।

कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि का नियतन

2040. श्री गजाधर मांझी :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिये उनके मंत्रालय को अतिरिक्त धनराशि का नियतन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वर्तमान रबी फसल के मौसम के दौरान अत्याधिक मांग को पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आबंटन किया गया है जिसका पेट्रोलियम उत्पादो के आयात के लिए प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है ।

वर्क स्टडी इंन्सट्रक्टरों/एफिशियन्सी इन्सपेक्टरों (उत्तर रेलवे) के पदों पर चयन के बारे में अभ्यावेदन

2041. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन को उत्तर रेलवे मुख्यालय में एफिशियेन्सी इस्पैक्टरो तथा वर्क स्टडी इन्स्ट्रक्टरों के पदों पर चयन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क). श्री समर मुखर्जी, संसद् सदस्य से एक पत्र मिला है । उन्होंने इस शर्त में ढील देने के लिए अनुरोध किया है कि जिन व्यक्तियों को उच्च कार्य अध्ययन पाठ्यक्रम में 'उत्तम' कोटि में रखा गया है, केवल वे व्यक्ति कार्य अध्ययन/कुशलता निरीक्षक के रूप में प्रवरण के लिए पात्र होंगे ।

(ख) सरकार का विचार है कि चूंकि कार्य अध्ययन/कुशलता के पद रेलों के अन्य विभाग के कर्मचारियो की पदोन्नति की सारणि में नहीं आते हैं इसलिए केवल वे व्यक्ति, जिन्हें इस काम में अभिरूचि होगी, प्रवरण के पात्र होंगे । जिन व्यक्तियो को 'उत्तम' से कम की कोटि में रखा गया है वे व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे ।

कोलम्बो में तेलशोधक कारखाने के विस्तार के लिये भारत द्वारा की गयी तकनीकी सहायता

2042. श्री एम० कतामुतु :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने कोलम्बों में तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए श्रीलंका को अपना प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इससे भारत सरकार को कितना लाभ होगा ; और

(घ) भारत उस देश को इसके लिए क्या सहायता देगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां। इन्जीनियर्स इंण्डिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटड, जो राज्य व्यापार निगम की एक सहायक संस्था है, के सहयोग से सीलोन पैट्रोलियम कार्पोरेशन को उनकी कोलम्बो स्थित शोधनशाला के विस्तार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) वर्तमान में यह प्रस्ताव सीलोन पैट्रोलियम कार्पोरेशन के विचाराधीन है।

(ग) प्रायोजना कार्य को प्राप्त कर लेना इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन का अन्तर्राष्ट्रीय परिष्करण व्यापार में अपना स्थान बनाने की दिशा में एक अग्रिम कदम होगा।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का वार्षिक उत्पादन

2043. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) इस कारखाने में उत्पादित उर्वरक से माल उत्तर प्रदेश की मांग किस हद तक पूरी होती हैं ;

(ग) क्या इस कारखाने के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और बढ़ाये हुए उत्पादन से अन्य राज्यों तथा केन्द्र की मांग किस हद तक पुरी हो सकेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1973-74 के दौरान लगभग 1,39,500 मीटरी टन यूरिया के बराबर 64,200 मीटरी टन नाइट्रोजन का उत्पादन था।

(ख) राज्य की नाइट्रोजन की वर्तमान आवश्यकता का लगभग 1/6।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तार योजना में 11.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रति वर्ष 1,11,000 मीटरी टन यूरिया के बराबर 51,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की अतिरिक्त उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रायोजना विश्व बैंक स सहायता प्राप्त प्रायोजना है तथा इसके 1975 के मध्य तक यांत्रिक रूप में पूर्ण होने की आशा है। इस विस्तार कार्यक्रम के पूर्ण रूप में कार्यान्वित होने के पश्चात् यह आशा की जाती है कि राज्य की उर्वरक की तात्कालिक अनुमानित आवश्यकता का 1/6 भाग सप्लाई करना यूनिट जारी रखेगा।

वैगनों की पूरी सप्लाई करने के लिये त्रुटिरहित व्यवस्था

2044. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने माल की ढुलाई के लिये कभी भी मांगे जाने वाले सभी वैगन उपलब्ध कराने के लिये अब त्रुटिहीन व्यवस्था कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान वे कोयले, खाद्यान्न, इस्पात, उर्वरक, लौह अयस्क जैसी आवश्यक मदों की किस सीमा तक ढुलाई कर सके हैं ; और

(ग) पूरी मांग को पूरा करने के लिये रेलवे क्या तरीका अपना रही है ताकि रेलवे की आय बढ़े और देश की आर्थिक गतिविधयों को भी सहायता पहुंचे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) जी हां, पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of Flag Stations in Ratlam Division

2045. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the places where flag stations are being opened in Ratlam Division of Wastern Railway ; and

(b) whether there is any scheme for converting the existing flag stations into regular stations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There is, at present, no proposal for opening of any flag station in Ratlam Division of Western Railway. However, atrain halt at Kms. 86 between Sereri and Bhojras stations of Ratlam Division is being provided. Name of this halt station is still under finalisation.

(b) No.

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि० अलवई के कार्यकरण की जांच

2046. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स त्रावनकोर लि०, अलवई के कार्यकरण की गत तीन वर्षों में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) इस कम्पनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पटना जंक्शन तथा पटना सिटी स्टेशन के निकट रेल लाइन पर रुकावट

2047. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1974 से 3 नवम्बर, 1974 के बीच की अवधि में पटना जंक्शन तथा पटना सिटी रेलवे स्टेशन को जाने वाली लाईन पर कई किलोमीटर लम्बे मार्ग में अनेक स्थानों पर रुकावटें खड़ी कर दी गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस कार्य पर कितना धन खर्च हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) ; (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक के कर्मचारियों को दिया गया दण्ड

2048. **श्री वी० मायावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक में ऐसे भी कुछ मामले हुए हैं जिनमें जिन कर्मचारियों को अनुपस्थिति के कारण सेवा से हटाये जाने से इतर कम दन्ड दिया गया था उन्हें बाद में, अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन अपील प्राधिकारी से अपील करने पर सेवा से ही हटा दिया गया ; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को पुन: नियुक्त अथवा बहाल कर लिया गया है और क्या ऐसे मामलों में सेवा से हटाये जाने तथा पुन: नियुक्त करने के बीच की अवधि को क्षमा कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मालडिब्बों की कमी के कारण उद्योगों को कोयले की सप्लाई न होना

2049. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के मालडिब्बों की कमी के कारण उद्योगों की हाल ही में कोयला सप्लाई नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(ग) क्या मालडिब्बों के उद्योगवार पुन: नियतन के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में और अन्य स्थानों पर मिट्टी के तेल का उपलब्ध न होना

2050. **श्री नरूल हुडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आसाम में और देश के कई भागों में मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने और उनके मुल्य बहुत अधिक होने के बारे में जानकारी है ; और

(ख) सरकार इस कमी को दूर करने और मिट्टी के तेल की चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता के कारण इस चालू वर्ष में देश भर में मिट्टी के तेल की मांग को पूर्णरूपेण पूरा करना सम्भव नहीं है । राज्य सरकारों के अबंटित कोटे में खपत कम करने के लिए कटौतियां की गई हैं । यह सम्भव है कि इससे देश के अन्य कुछ भागों में और असम में मिट्टी के तेल का अभाव बढ़ गया हो ।

(ख) इस महीने मिट्टी के तेल के लिए राजकीय कोटे की कटौती को उसकी उपलब्धता बढ़ाने के वास्ते कम कर दिया गया है कुछ महीनों कटौती की जो सीमा बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दी गई थी उसे अब घटाकर खपत में कुल मिलाकर केवल लगभग 10 प्रतिशत तक ही बचत करने का लक्ष्य निहित था । चालू वर्ष की शेष अवधि में इस आधार पर सप्लाई बनाए रखने का प्रस्ताव को राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली बनाएं और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी के खिलाफ उचित कारवाई करें ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और मेसर्स शारपेज लिमिटेड

2051. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के 'इरेजमिक ब्लेड' की निर्माता फर्म मैसर्स शारपेज लिमिटेड में पर्याप्त संख्या में इक्विटी शेयर है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रबन्ध मैसर्स शारपेज लिमिटेड के निदेशक मंडल पर हावी रहता है ;

(ग) क्या 'इरेजमिक' नामक अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड के कारण इसके निर्माता को भारतीय प्रतियोगी निर्माताओं की अपेक्षा अधिक लाभ मिल रहा है ; और

(घ) क्या इरेजमिक ब्लेड के लिए कच्चे माल का कोटा किसी तीसरी पार्टी को मिलता है जिसने अपना यह अधिकार मैसर्स एस्कोटस लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया है और मैसर्स एस्कोट स्वयं उत्पादन इरेजमिक ब्लेड के उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड पर निर्भर करती है और क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) मैसर्स शारपेज लिमिटेड द्वारा बनाइ गई 14-6-74 तक की वार्षिक विवरणी के अनुसार, कम्पनी के 100 रु० प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के कुल 23,625 साम्य शेयरों में से 11,217 साम्य शेयर, जिनके कुल का लेखा जोखा 47.5 प्रतिशत किया जाता है, मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा धारित है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ) यह सूचना कम्पनी कार्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ।

भट्टी तेल की श्यानता (विसकासिटि) में वृद्धि करने के बारे में एक संसद सदस्य से पत्र

2052. **श्री मधु लिमये :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समाजवादी संसद सदस्य ने पेट्रोलियम और रक्षा मंत्रियों को लिखे गये अपने पत्र में और लोक सभा में अपने भाषणों में सरकार का ध्यान बारबार श्री सी० वाई० वी० राव, आई० ओ० सी० द्वारा मद्रास तेल शोधनशाला को भेजे गये टेलेक्स की ओर दिलाया है जिसमें यह निदेश दिया गया है कि भट्टी ईंधन तेल की श्यानता 100 सी० एस० तक और गन्धक की मात्रा 3.7 तक बढ़ा दी जाये ;

(ख) क्या उक्त टेलेक्स भेजने से पूर्व इस सम्बंध में भारतीय मानक/संस्थान की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ;

(ग) यदि अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या उक्त अधिकारी को उसकी गलती के लिये मुअत्तिल किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के प्रति नर्मी का रूख अपनाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां। माननीय सदस्य ने बतलाया था कि इण्डियन आयल कारपोरेशन के तत्कालीन सप्लाई और वितरण प्रबन्धक, श्री सी० वाई० वी० राव, ने मद्रास रिफाइनरीज के प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित किए गए ता० 5-4-1971 के अपने टेलेक्स संदेश में 50 डिग्री से० पर 100 सी० एस० को स्वीकार्य भट्टी तेल की श्यानता और आन्तर गन्धक मात्रा 3.7 अधिकतम की ओर संकेत किया था। इस सम्बन्ध में विस्तृत स्थिति की सूचना माननीय सदस्य को अलग से भेज दी गई थी।

(ख) ईंधन तेल की श्यानता 80 सी० एस०, 125 सी० एस० और 370 सी० एस० वाली 3 श्रेणियों का पहले से ही भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों में उल्लेख है। तथापि भारतीय मानक संस्थान में पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी जिसमें आई० आई० पी०, इण्डियन आयल कारपोरेशन और नौसेना के तकनीकी विशेषज्ञों ने 50 डिग्री से पर 80 सी० एस० से 100 सी० एस० तक कम श्यानता ग्रेड भट्टी तेल की श्यानता बढ़ाने की सम्भावना पर विचार किया था। इस श्यानता वाले भट्टी तेल के कुछ प्रयोगात्मक उत्पादन की व्यवस्था भी मद्रास में की गई थी इससे भट्टी के तेल, डीज़ल आयल आदि की अधिकतर मात्रा का उत्पादन करने में रिफाइनरी समर्थ हुई।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण राष्ट्रीय हित का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए भट्टी तेल की श्यानता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई थी। जिन्होंने उच्च श्यानता भट्टी तेल के उत्पादन का आदेश दिया था उनकी सद्भावनाओं या उनके द्वारा इस कार्य को किसी गलत धारणा से करने के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए किसी अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच

2053. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन अनियमितताओं का पता चला है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में रिक्त पड़े स्थान

2054. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा, राज्य सभा तथा भारत के विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में राज्य-वार कुल कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में रिक्त स्थानों के लिये उप-निर्वाचन किन-किन तारीखों को कराये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाले तीन विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। सभी रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचनों की बाबत नियत की जाने वाली मतदान की संभावित तारीखों के बारे में बताना कठिन होगा क्योंकि ये तारीखें कई बातों को ध्यान में रख कर नियत की जाती हैं जैसे निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, न्यायालयों में अपीलों का लम्बित होना, विधि और व्यवस्था की स्थिति आदि। जहां कहीं मतदान की तारीख नियत कर दी गई है, उसे उपाबद्ध विवरणों में दर्शित कर दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8574/74]**

राज्य सभा में तीन स्थान, गुजरात राज्य का उस सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित सदस्यों की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन, गुजरात राज्य की नई विधान सभा बन जाने के पश्चात्, कराए जाएंगे।

भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के भूतपूर्व ग्रेनशाप कर्मचारियों की वरिष्ठता एवम् वेतन निश्चित करने के बारे में ज्ञापन

2055. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के भूतपूर्व ग्रेनशाप कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा वेतन निश्चित करने तथा उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है।

रूस से मिट्टी के तेल और डीजल का अधिक मात्रा में उपलब्ध न होना

2056. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूस ने भारत को मिट्टी के तेल और डीजल अधिक मात्रा में सप्लाई का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो रूस ने जिस वस्तु की सप्लाई में वृद्धि करने से इनकार किया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इससे देश में मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई स्थिति पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि रूस इन तेलों की सप्लाई बंद कर देता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 3 नवम्बर, 1974 (बंबई संस्करण) के टाइम्स आफ इण्डिया में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1975 के लिए भारत-रूस व्यापार योजना का अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। मिट्टी के तेल और डीजल आयल की बढ़ाई गई सप्लाई के लिए भारत द्वारा किये गए अनुरोध पर रूस की ओर से विचार-विमर्श चला है। जब इस पर पुनः चर्चा की जायेगी तब दिसम्बर, 1974 में व्यापार योजना का अन्तिम निर्णय करने के लिए चर्चा की जाने की सम्भावना है।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन बन्द होना

2057. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन 25 अक्तूबर, 1974 से बिल्कुल बंद हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उक्त कारखाने को कितनी हानि हुई है ; और

(घ) उत्पादन पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) : दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि० से विद्युत की सप्लाई में खराबी आने के कारण 21 अक्तूबर, से 10 नवम्बर, 1974 तक दुर्गापुर फर्टिलाइजर प्लांट बंद रहा । इस महीने की 10 तारीख से विद्युत की सप्लाई होने के साथ संयंत्र को पुनः चालू किया गया तथा अमोनिया और यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ । संयंत्र को प्रतिवर्ष 3,30,000 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए रूपांकित किया गया है । चूंकि इस टाइप का एक रसायन संयंत्र समानतया उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए दो से तीन वर्ष लेगा, संयंत्र इस समय लगभग 50% तक उत्पादन कर रहा है । बन्द रहने के कारण उत्पादन में हानि का अनुमान 10,000 मीटरी टन यूरिया है ।

First Class Passes to Members of Committee on Railway Reservation

2058. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Committee consisting of Members of Parliament to go into and report about the problems of reservations in Railways has been functioning for the last many years ;

(b) whether Members of that Committee have been issued passes enabling them to travel in the air-conditioned class ;

(c) whether this facility is not provided to any other Parliamentary Committee ; and

(d) if so, the reasons for making exception in the case of this Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. A Committee known as the "Committee on Reservation and Booking 1972" was constituted in July, 1972 under the Chairmanship of Shri Krisnan Kant, M. P. and has been continuing since then.

(b) Yes. The Parliament Members represented on this Committee have recently expressed their desire not to avail of the facility to travel in air-conditioned coaches in view of the need for economy.

(c) The facility of travel by air-conditioned coaches has also been extended to the Parliament Members represented on the Committee on the functioning of the Sholapur Division of the South Central Railway. At present there is no other Parliamentary Committee entrusted with any special assignment in so far as the Ministry of Railways are concerned.

(d) The facility of travel by air conditioned coaches has been allowed in the case of both the aforesaid Committees having regard to their special assignments and extended tours on the railways.

बहु राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से कार्य कर रही गैर-सरकारी कम्पनियाँ

2059. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई गैर-सरकारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगमों के सहयोग से कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में विदेशों को कितनी राशि भेजी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

रेलगाड़ियों में विस्फोटक पदार्थों को ले जाने पर रोक लगाने के बारे में कार्यवाही

2060. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर इंडिया एक्सप्रेस में हाल की दुर्घटना रेलगाड़ी में विस्फोटक सामग्री होने के कारण हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी ऐसा हुआ था ; और

(ग) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में विस्फोटक पदार्थों को ले जाने पर रोक लगाने के बारे में कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना कुछ यात्रियों द्वारा पी जाने वाली बीड़ी या हुक्के की चिंगारी से बहुत शीघ्र आग पकड़ लेने वाले किसी पदार्थ (जिसके नाइट्रो सेल्लुलोज़ या कोई ऐसा पदार्थ होने का संदेह है) के कुछ थैलों के जल उठने के कारण हुई थी । वे यात्री भी आग में जलकर भस्म हो गये थे ।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की प्रारम्भिक रिपोर्ट में किसी रेल कर्मचारी की असावधानी सिद्ध नहीं हुई है ।

(ग) गाड़ियों के डिब्बों में सामान के रूप में विस्फोटक पदार्थ ले जाना कानून के अन्तर्गत पहले से ही निषिद्ध है ।

वैगनों की कमी से बचने के लिये स्थान-व्यवस्था के नये तकनीक

2061. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैगनों के रूक जाने के फलस्वरूप पैदा होने वाली वैगनों की वर्तमान कमी से बचने के लिये स्थान-व्यवस्था के आधुनिक तकनीक लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

(i) उपलब्ध स्थान के युक्तियुक्त वितरण के लिए महत्वपूर्ण माल गोदामों में कार्य अध्ययन किया जाता है ।

(ii) निर्गत माल, आगत माल, फुटकर आदि के लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाता है ।

(iii) जहां कहीं सम्भव है, खनिज और कोयले जैसी थोक वस्तुओं को लादने-उतारने का काम इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अलग साइडिंगों से किया जाता है ।

(iv) जहां कहीं संभव होता है, पार्टी को माल गोदाम क्षेत्र के निकट भूखण्ड पट्टे पर दिये जाते हैं ताकि वह माल गोदाम के बाहर अपने माल के चट्ट लगा सकें और माल डिब्बों को शीघ्रता से खाली कर सकें ।

(v) कानून में संशोधन करके अभिरक्षा में पड़े माल के लिए रेलवे की अमानतदार के रूप में जिम्मेदारी को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है ताकि पार्टियां अपना माल जल्दी से उठा ल और माल गोदाम में भीड़-भाड़ न हो और साथ ही माल उतारने के लिए माल डिब्बे रूके न रहें ।

(vi) परेषणों के चट्टे लगाने आदि के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(vii) माल गोदाम के स्थान की पर्याप्तता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियां

2062. **श्री कुमार माझी :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार, कार्य कर रही मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन राज्यों में, राज्यवार, इस अवधि के दौरान, वर्ष वार प्रत्येक यूनिट में लगी हुई प्रदत्त पूंजी सहित स्थापित मिश्रित-पूंजी वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 31-3-72, 31-3-73 और 31-3-74 तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार दी जाती है :—

राज्य	इस दिन कार्यरत कम्पनियों की संख्या		
	31-3-72	31-3-73	31-3-74
पश्चिम बंगाल	9332	9710	10215
असम एवं मेघालय	445	465	532
नागालैण्ड	3	11	11
मणिपुर	-	7	7
त्रिपुरा	8	7	8
मिजोराम	..	..	.
अरुणाचल प्रदेश	..	..	..

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत शेयरों द्वारा लिमिटेड, कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी जाती है :—

राज्य	नवीन पंजीकृत कम्पनियों की निम्न अवधि में संख्या		
	1971-72	1972-73	1973-74
पश्चिम बंगाल . . .	337	445	582
असम	32	26	66
मेघालय . . .	2	1	10
नागालैण्ड . . .	1	8	..
मणिपुर . .	1		1
त्रिपुरा .			2
मिजोरम . .			..
अरुणाचल प्रदेश . . .			..

इन कम्पनियों में से प्रत्येक का नाम एवं प्राधिकृत पूंजी संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8575/74]

रंगपाड़ा-उत्तर तथा शिलापाथार सेक्शन में आने-जाने वाली रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का प्रस्ताव

2063. श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि रंगपाड़ा-उत्तर तथा शिलापाथार सैक्शन में आने जाने वाली रेलगाड़ियों को बंद कर देने से आसाम में दरांग और लखीमपुर जिलों के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बंद की गई रेलगाड़ियों को शीघ्र ही पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या गोहाटी से शिलापाथार-मुरकोंगशलक को तथा वहां से वापिस आने वाली सीधी रेल गाड़ी चलाने की भारी मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 177/178 रंगिया-मारकंगसेलक सवारी गाड़ी जो कि कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई थी, 1-8-74 से रंगिया-उत्तर लखीमपुर खंड पर दुबारा चालू कर दी गई है। इस गाड़ी को उत्तर लखीमपुर-मारकंगसेलक खंड पर कम यात्रियों के कारण दुबारा चलाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) गोहाटी और मारकंगसेलक के बीच चलने वाली एक सीधी गाड़ी चालू करने की मांग यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझी गयी।

Applications for Industrial Licences rejected after the Passing of MRTP Act, 1969

2064. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the particulars of applications for industrial licences rejected after the passing of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 and the reasons therefor ; and

(b) the number of applications pending at present and since when they are pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) :(a) & (b) The Ministry of Industry & Civil Supplies are administratively concerned with industrial licensing and that Ministry has furnished the information as follows :—

(1) The number of rejections made in respect of industrial licensing applications during the period 1-1-1969 to 31-12-1973 is 4636 and during the period from 1-1-1974 to 30-10-1974 is 2880.

(2) The number of industrial licensing applications pending with them as on 1-11-1974 was 474 including one application of 1968, for the period prior to 1-11-1973 and 1785 for the period from 1-11-1973.

The detailed information in respect of rejected applications is not being maintained by the Ministry of Industry & Civil Supplies.

उत्तर प्रदेश में बिरला बंधुओं की फर्में

2065. श्री सरजू पाण्डे : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बिरला बन्धुओं की कितनी फर्में हैं ;

(ख) क्या बिरला बन्धुओं की प्रत्येक फर्म में सरकार का प्रतिनिधि है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में बिड़ला औद्योगिक घराने के अन्तर्गत दिखाई गई कम्पनियों में से, चार कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में है । उनके नाम तथा मुख्य व्यापार पथ निम्न प्रकार हैं :—

कम्पनी का नाम	मुख्य व्यापार पथ
(1) मून कारपोरेशन लि०	हिस्सों में नियोजन
(2) न्यूज पेपर्स लि०	अखबारों का मुद्रण तथा प्रकाशन
(3) अवध ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०	पैट्रोल पम्प तथा अन्य जायदाद का किराये पर पट्टा
(4) रेणुसागर पावर कम्पनी लि०	विद्युत जनन

तथापि, यह भी विनिर्दिष्ट किया जाय कि औद्योगिक नीति जांच समिति द्वारा नामित औद्योगिक घराने, फरवरी 1973 में सरकार द्वारा घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रसंग में, बृहद् औद्योगिक घराने निर्धारित करने से सम्बन्धित नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित चार कम्पनियों के प्रबन्धक मंडल में कोई सरकारी निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है एवं इन मामलों में, कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई गई है ।

वर्ष 1973-74 के दौरान कम्पनी अधिनियम का कथित उल्लंघन करने वाली कम्पनियां

2066. **ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े गृहों की तथा विदेशी स्वामित्व वाली ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिस पर वर्ष 1973-74 के दौरान कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी पर क्या विशेष आरोप लगाए गए हैं ; और

(ग) संबंधित कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये कम्पनियों के मुकदमों के सम्बन्ध में आंकड़े, कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण एवं प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट, जो संसद के दोनों पटलों पर, प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है, में दिये जाते हैं । 1973-74 के विषय में इसी प्रकार की सूचना संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अगली रिपोर्ट में दे दी जाएगी । ये आंकड़े अपराधों की प्रकृति प्रस्तुत करते हैं यद्यपि इस प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं दिये जाते हैं । बड़े गृहों और विदेशी नियन्त्रित कम्पनियों से सम्बन्धित कम्पनियों के मुकदमों के विषय में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

मई 1974 की हड़ताल के बाद बर्खास्त किये गये स्थायी कर्मचारियों की अपीलों पर निर्णय

2067. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में जोनवार कितने स्थायी कर्मचारी मई, 1974 की हड़ताल के पश्चात अभी तक बर्खास्त हैं ;

(ख) कितने कर्मचारियों की बहाली के लिए अपीलें रद्द कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या ऐसी अपीलें रद्द करने का अन्तिम प्राधिकार जनरल मैनेजरों/डिवीजनल सुपरिन्टेन्डैंटों को दे दिया गया है अथवा किसी अपील पर उच्च स्तर पर भी विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) नियमों के अनुसार नौकरी से हटाये जाने या बर्खास्त किये जाने के विरुद्ध जिस कर्मचारी की अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दी गयी हो, वह अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए उपयुक्त पुनरीक्षा प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन या याचिका प्रस्तुत कर सकता है और मामले के गुणावगुणों के आधार पर पुनरीक्षा प्राधिकारी द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है । यह प्रक्रिया उन सभी कर्मचारियों के मामलों में चालू है जिन्हें सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है और जिनकी अपील खारिज कर दी गयी है । इसलिए, कितने कर्मचारियों को अन्तिम रूप से बर्खास्त कर दिया जायेगा या सेवा से हटा दिया जायेगा, यह इस समय नहीं बताया जा सकता ।

तिरुर में नई दिल्ली-मंगलौर जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाडी का स्टाप बनाना

2068. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-मँगलौर जयंती जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी मलापुरम जिले में नहीं रुकती है यद्यपि उस जिले में अनेक महत्वपूर्ण स्टेशन हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार तिरुर में इस रेलगाड़ी के लिए स्टाप बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

ओषधियों और फार्मास्युटिकल्स के लिए मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 में संशोधन

2069. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों और फार्मास्युटिकल्स के लिए जारी किए गए मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उसमें बाद में क्या संशोधन किये गये ;

(ग) अधिनियम और नियमों के किन उपबन्धों के अधीन मूल्य बढ़ाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और ये सिद्धान्त बी० आई० सी० पी० ने जारी किये हैं अथवा उनके मंत्रालय ने और क्या इस मसले पर विधि मंत्रालय का परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो विधि मंत्रालय के निकर्ष क्या हैं ;

(घ) क्या मूल्य नियंत्रण आदेश, 1974 के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ओ० पी० पी० आई० के कहने पर जारी किये गये थे और विदेशी फर्मों को ही उनके सभी उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने से लाभ हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी फर्मों को फर्मवार और उत्पादवार मूल्य में जितनी वृद्धि की अनुमति दी गई, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) इस में सरकार को अत्यावश्यक प्रपुंज औषधों के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने और विनिर्माताओं को प्रपुंज औषधो की अन्य निर्माताओं की बिक्री करने के सम्बन्ध में निर्देश देने की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

(2) इस में एक फार्मूले की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार दवाइयों के फुटकर मूल्यों का परिकलन किया जाना है ।

(3) इस में मूल्य-निर्धारण ढांचे के लिये दो योजनाओं की व्यवस्था है जिन में से कुछ उद्योग द्वारा एक अपनाई जा सकती है ।

(4) इस में केन्द्रीय सरकार को दवाइयों के फुटकर मूल्य निर्धारित करने और किसी भी दवाई के फुटकर मूल्य अपने आप निर्धारित करने की भी शक्ति प्रदत्त की गई है ।

(5) इस में थोक बिक्री तथा परचून व्यवसाय के लिये न्यूनतम मुनाफे का विशेष रूप से उल्लेख है ।

(6) इस में सरकार को औषध का निर्माण करने वाले यूनिटों के किसी वर्ग को आदेश के सभी अथवा किसी भी उपबन्ध के लागू किये जाने से छूट देने और ऐसे आदेश को रद्द करने अथवा उस में संशोधन करने की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

(1) दवाइयों की तमाम प्रमाणिक आयुर्वेदिक (सिद्ध सम्मिलित करते हुए तथा यूनानी (तिब्ब) पद्धतियाँ ;

(2) दवाइयों की होम्योपैथिक पद्धति में शामिल कोई दवाई ;

(3) तारकोल रोगाणुनाशी द्रव ;

(4) निम्नलिखित कीटनाशी दवाइयां, अर्थात् :—

(क) बेन्जेन हैक्साक्लोराइड तथा इस की दवाइयां ;

(ख) डी-क्लोर डीफेनील-ट्रिक्लोरो इथेन और इसकी दवाइयां

(ग) डीएल्डरीन तथा इसकी दवाइयां ;

(घ) पाइरेथ्रम तथा इसकी दवाइयां ;

(5) मानव शरीर की संरचना अथवा किसी प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के लिए अनोष्ट ऐसे पदार्थ जिन के लिये, समय समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया जाए ।

(ख) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 में 11-1-1971 तथा 8-8-1974 को संशोधन किया गया था । भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित संशोधीत आदेश संख्या 226-क तथा 485-ड की प्रत्येक की प्रति क्रमश: 6 अगस्त, 1974 तथा 13 अगस्त 1974 को सभा पटल पर रख दी गई थी ।

(ग) आदेश के पैराग्राफ 13 तथा 14 में दवाइयों के फुटकर मूल्यों में संशोधन किये जाने की भी व्यवस्था है। मार्गदर्शक सिद्धान्त, विधि मंत्रालय, जिस का निष्कर्ष था कि ऐसे मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का जारी किया जाना ठीक था, के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये थे । ये केवल इस आशय से बनाये गये हैं ताकि उद्योग का मार्ग-दर्शन हो सके कि अंतरिम मूल्य संशोधन के लिये मूल्य-ढांचे, जिसका उन्हों ने हिसाब लगाना है, का ढंग क्या हो ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई के गहरे समुद्र में स्थायी ड्रिलिंग प्लेटफार्म स्थापित करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना

2070. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गहरे समुद्र में स्थायी ड्रिलिंग तथा उत्पादन प्लेटफार्म स्थापित करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बम्बे हाई संरचना पर निकाले गए तेल की वाणिज्यिक उपयोगिता निश्चित हो जाने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का इस संरचना से यथाशीघ्र तेल उत्पादन करने के लिए व्यधन और उत्पादन प्लेटफार्म स्थापित करने का विचार है ।

जाली कागज कम्पनियां

2071. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान समूचे देश में राज्यवार तथा बिहार में जिला-वार जाली कागज कम्पनियों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) कम्पनी कार्य विभाग ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की डिलीवरी में शीघ्रता लाने के लिए सैल की स्थापना

2072. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की डिलीवरी में शीघ्रता लाने के लिये एक सहायक सैल स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सैल की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य क्या होगा तथा यह अपना कार्य कब से आरम्भ कर देगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Condonation of Break in Service of Employees participating in the Strike

2073. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whetner Government made an announcement in September, 1974 that the break in services of tne railway employees who participated in tne rail strike of May, 1974 will be condoned ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the time by which it will be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No. When replying to the debate relating to Supplementary Demands for Grants (Railways) 1974-75 in the Lok Sabha on 9-9-1974, tne Minister of Railways had made it clear that this question will be looked into again as sympathetically as possible witnin the ambit of the law although the staff had erred at the time of tne strike.

(b) & (c) In accordance with the Government's decision, the break in service has been condoned after examining the representations of staff case by case, depending on extenuating circumstances. So far, the break in service of about 3.78 lakh employees has been condoned. The process is continuing with all possible promptitude, but no time limit can be laid down.

गाजियाबाद स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर कार्य कर रहे कमर्शियल कर्मचारियों के लिए गर्मी तथा सर्दी की वर्दियां

2074. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद स्टेशन (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे कमर्शियल कर्मचारियों को वर्ष 1974 के लिए गर्मी तथा सर्दी की वर्दियां सप्लाई नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में ऐसे कर्मचारियों को इस बीच वर्दियां सप्लाई कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाजियाबाद स्टेशन पर वाणिज्यिक कर्मचारियों को वर्ष 1974 में ठंडी वर्दियां दी गयी हैं। 1974-75 के लिये गर्म वर्दियों का संभरण भी जिन्हें आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर में तैयार किया जा रहा है, आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में भी कर्मचारियों को वर्दियों के संभरण की स्थिति भी वैसी है जैसी कि भाग (क) के उत्तर में बतायी गयी है।

(ग) 1974-75 के लिये गर्म वर्दियों के संभरण में देरी आर्डिनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर, जिसको उत्तर रेलवे द्वारा सिलाई का ठेका दिया गया था, में श्रमिक आन्दोलन और बिजली की कमी के कारण हुई।

(घ) रक्षा उत्पादन मंत्रालय से कहा गया है कि वे आर्डिनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर को सर्दी की 1974-75 की वर्दियां तुरन्त बनाने का आदेश दें।

वर्ष 1973-74 के दौरान सतर्कता संगठन को बनाए रखने में हुआ व्यय

2075. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में सतर्कता संगठन को बनाए रखने में होने वाला व्यय बहुत अधिक है तथा उसका कार्य इसके अनुपात में कम होता है ;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान इस संगठन में, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सभी अन्य खर्चा सहित, कुल व्यय कितना हुआ ;

(ग) इस अवधि के दौरान उन्होंने कितने मामलों का निपटान किया तथा उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) क्या प्रशासन का विचार वर्तमान संगठन में कोई कटौती करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 59.6 लाख रुपये।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

	राजपत्रित	अराजपत्रित
(क) 1973–74 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या .	474	8,189
(ख) शिकायतों की कुल संख्या, जिसमें पिछले वर्ष की अग्रानीत शिकायतें शामिल हैं	949	10,323
(ग) वर्ष के दौरान निपटाये गये मामलों की संख्या . .	507	7,984
(1) बिना जांच के छोड़े गये . . .	170	4,090
(2) जांच के बाद छोड़े गये . . .	273	2,743
(3) विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या अदालत में मुकदमा चलाये जाने के वास्ते लिये गये ।	64	1,151
(घ) दंडित किये गये कर्मचारियों की संख्या . .	27	1,035

Scheme to provide Sheds at small Railway Stations

2076. Shri Pannalal Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to provide sheds at small Railway Stations in near future;

(b) whether there is any similar scheme to plant more and more shady trees at small railway stations on Northern Railway ; and

(c) if so, the time by which these schemes will be completed and the amount of expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There is no such scheme to provide sheds at all small stations. It is presumed that by "sheds" it is meant the passenger covers built on the platforms to provide protection against rain and sun. Provision of such sheds at stations is considered on merits, depending upon the volume of passenger traffic at the stations and climatic conditions and are undertakenon a programmed basis as recommended by the Railway Users' Amenities Committee and subject to availability of funds.

(b) Planting of shady trees on platforms at all stations is considered as a basic amenity and is covered by general policy instructions. Every year during monsoon trees are planted on the platforms, as found necessary.

(c) Augmentation of passenger amenities including passenger covers and planting shady trees on platforms is a continuous process. A sum of Rs. 20 crores was originally proposed to be spent during the Fifth plan period on all passenger amenity works which include in addition to passenger covers items like waiting halls, improvements to platforms, foot over bridges, drinking water supply at stations, lighting etc.

विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

2077. **श्री पी० आर० चिनाय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1974 को भारत के उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल कितने मामले अनिर्णीत पडे थे ;

(ख) इतने अधिक मामलों के अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने मामलों के अनिर्णीत पड़े रहने की अवधि को कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1 नवम्बर, 1974 को स्थिति के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। 30 जून, 1974 को भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयो में लम्बित मामलों की कुल संख्या क्रमशः 12,895 और 4,59,974 थी।

(ख) अधिकांश उच्च न्यायालयों में मामलों के बकाया रहने के मुख्य कारण मामलों के संस्थित किए जाने में सामान्य वृद्धि और न्यायाधिशों की संख्या का अपर्याप्त होना है।

(ग) (i) राज्य प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे इस बात को ध्यान में रख कर कि कितने मामले संस्थित किए गए है, कितने निपटा दिए गए हैं और कितने लम्बित हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनर्नियतन करें। उनको यह भी सलाह दी गई है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिये कार्रवाई काफी पहले ही प्रारंभ कर दी जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस तारीख को स्थान रिक्त हों उसी तारीख से उनकी पूर्ति हो जाए।

(ii) उच्च न्यायालयों की बकाया मामलों से संबंधित समिति ने कुछ सिफारिशों की हैं जो पूर्णतः प्रशासनिक प्रकृति की है और जिनका उद्देश्य मामलो के निपटारे में होने वाले विलम्ब को समाप्त करना है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को यह सलाह दी गई है कि ऐसी सिफारिशें को तुरन्त कार्यान्वित किया जाए।

(iv) विधि आयोग ने आपराधिक मामलों से संबंधित प्रक्रिया विषयक विधि में संशोधन करने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के आधार पर एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता अभी हाल ही में अधिनियमित की गयी है।

(v) विधि आयोग ने सिविल मुकदमों में होने वाले विलम्ब को समाप्त और कम करने तथा इस प्रकार उनमें होने वाले खर्च में कमी करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ संशोधन करने के सुझाव भी दिये हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिये एक विधेयक संसद के समक्ष है।

कम्पनी अधिनियम की धाराओं 146(4), 147(3), 147(4) और 148(1) के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमें

2078. **श्री हेमेन्द्रसिंह बनेरा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 146(4), 147(3), 147(4) और 148(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यालय के नाम तथा स्थान का सही प्रकाशन करने से संबंधित मुकदमें चलाये गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम की उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत किए गए ऐसे अपराधों का पता लगाने हेतु कोई एजेंसी स्थापित की है अथवा कोई तरीका निकाला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन उपबन्धों को लागू किया जाए तथा कम्पनी और उनके अधिकारियों द्वारा पालन किए जाएं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) धारा 146(4) और 147(2) के अन्तर्गत कुछ मुकदमें इस अवधि में चलाए गये थे ।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कम्पनी रजिस्ट्रार ही इस प्रकार के अपराधों की खोज करने के लिये सांविधिक रूप से प्राधिकृत है और कम्पनी अधिनियम की धारा 621 के अनुसरण में वह ही मुकदमें चलाने का अधिकारी है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

पांचवीं योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाईनों का विस्तार/उनका बदला जाना नई रेलवे लाईनों का बिछाया जाना

2079. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में वर्तमान रेलवे लाईनों के विस्तार, उनके बदले जाने तथा नई रेलवे लाइनें बिछाने संबंधी कितनी योजनायें पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल की गई हैं और प्रत्येक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन गुजरात में इस समय निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम चल रहा है :

(i) साबरमती–गांधीनगर बड़ी लाइन––लम्बाई 27.85 कि० मी०; लागत 2.85 करोड़ रूपये ।

(ii) वीरमगाम–ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना––लम्बाई 556.97 कि० मी०; लागत 42.95 करोड़ रुपये ।

आंशिक अथवा पूर्ण रूप से गुजरात में पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं/चालू हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के संबंध में विनिश्चय सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच हो चुकने के बाद किया जायेगा बशर्ते कि उसके लिये धन भी उपलब्ध हो ।

(i) दिल्ली–अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना––लम्बाई 1110 कि० मी०; लागत 131 करोड़ रुपये। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ii) भावनगर–तारापुर बड़ी लाइन––लम्बाई 141 कि० मी०; लागत 11.92 करोड़ रुपये (1968–69 के अनुमान के अनुसार) । सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(iii) गांधीधाम–भुज–लखपत मीटर लाइन/बड़ी लाइन––लम्बाई 284 कि० मी०; लागत 22.00 करोड़ रुपये । सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(iv) नडियाद–कपड़वंज–मोदासा छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव-एवं-विस्तार––लम्बाई 109 कि० मी०/शामलाजी रोड–मोदासा–कपड़वंज नयी मीटर लाइन––लम्बाई 84 कि० मी० । सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

Scheme to start Jayanti Janta Express and North India Express from Muzaffarpur

2080. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to start the Jayanti Janta Express and North India Express from Muzaffarpur after the completion of Samastipur-Muzaffarpur broad gauge line and if so, the time by which these trains are likely to be introduced; and

(b) whether any facility is proposed to be provided to Muzuffarpur and East and West Champaran bound passengers travelling by these trains ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Presumably the reference is to 21/22 Howrah-Samastipur North Binar Express which is proposed to be extended to and from Muzaffarpur on the opening of Samastipur-Muzaffarpur B. G. line. However, 153 Up/154 Dn Jayanti Janata Express will continue to originate/terminate at Samastipur.

(b) After the opening of the B. G. line, 7 pairs of B. G. trains including 19/20 Mithila Express, 21/22 North Bihar Express, 329/330 Howrah Fast Passenger and 311/312 Sealdah Fast Passengers will be extended to and from Muzaffarpur. Suitable connections to 21/22 North Bihar and 153/154 Jayanti Janata Express have been provided at Samastipur and Muzaffarpur for the convenience of passengers to and from Narkatiaganj both via Motihari and Raxaul. For the facility of through passengers at Muauffarpur and beyond travelling to and from Delhi side, the existing two through service coaches running between New Delhi and Samastipur will be extended upto Muzaffarpur by 85/86 Assam Mail and 9/20 Mithila Express.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सिफारिश

2081. **श्री पी० एम० सैद :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधि संसदीय समिति (पांचवी लोकसभा) के छटे प्रतिवेदन में की गई निम्नलिखित सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ;

(i) गोहाटी तेल शोधक कारखाने को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षित किसी पद को गैर-आरक्षित करने के पूर्व आरक्षित पदों के लिये इन समुदायों से उपयुक्त व्यक्ति लेने के लिये स्थानीय रोजगार कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये ;

(ii) भारतीय तेल निगम को गैर आरक्षण के इन सभी मामलों की सूचना पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आयुक्त भी देनी चाहिये; और

(ख) यदि इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) आरक्षित रिक्त स्थानों के अपारक्षण के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाई गई पद्धति, जैसा कि सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों में उल्लेख किया गया है, में व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के कोटे में आरक्षित रिक्त स्थानों को अपारक्षित करने से पूर्व (i) समाचार पत्रों में विज्ञापन दें कर (ii) रोजगार केन्द्र को अधिसूचित करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आरक्षित रिक्त स्थानों की जानकारी देनी चाहिए। विज्ञापन की एक प्रति क्षेत्रीय रोजगार केन्द्र को भी भेजनी होती है। इण्डियन आयल कारपोरेशन इस प्रक्रिया को अपना रहा है।

समिति की सिफारिश है कि इण्डियन आयल कार्पोरेशन की अपारक्षण के समस्त मामलों की सूचना पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आयुक्त को भी देनी चाहिए, को स्वीकार किय गया है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन को इस प्रक्रिया का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। तथापि अप्रैल 1973 में इस सिफारिश की स्वीकृति के बाद गोहाटी शोधनशाला में अपारक्षण का कोई मामला नहीं आया।

औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी योजना

2082. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी योजना के अन्त तक 1972–73 के मूल्य के अनुसार, 600 करोड़ रुपये के "फार्मुलेशन" तथा औषधियों के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है;

(ख) क्या इस समय वार्षिक उत्पादन का 70 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में ही नये औषध एककों की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये एककों तथा अन्य विस्तार कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर गणेश) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्ररूप में 1978–79 के अन्त तक औषध सूत्रयोगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 500 करोड़ रूपये की परीकल्पना की गई है। इससे प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये के मूल्य के प्रपूंज औषधों का उत्पादन होगा।

(ख) इस समय 36 विदेशी फर्में जिनमें 50 % से अधिक विदेशी पुंजी लगी हुई है पुर्ण रूप से अथवा आंशिक रुप में औषधों के उत्पादन में लगी हुई है। सूत्र योगों के संबंध में इन फर्मों की बिक्री कुल बिक्री का लगभग 45% है तथा प्रपुंज औषधों के सबंध में इन फर्मों की बिक्री कुल बिक्री का 33% है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1973 में घोषित औद्योगिक लाईसेंसींग नीति के अनुसार औषध एवं भेषज उद्योग को उस उद्योग सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें अधिकांश पूंजी निवेष वाली कम्पनोयां तथा बड़े घराने की कम्पनोयां भी भाग ले सकती है। सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग के विस्तार/विविधीकरण हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

संसद समिति जो पांचवी पंच वर्षीय योजना के प्रारुप के अन्तर्गत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, जनशक्ति योजना तथा जन संख्या नीति की जांच कर रही है, ने औषध उद्योग के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये है :—

> "मूल्य नियंत्रण एवं गुणवत्ता की सुनिचिता हेतु औषधी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।"

सरकार ने श्री जय सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की है जिसकी अन्य कार्यों के साथ एक निम्नलिखित कार्य भी है।

> "मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व करने की सिति में लाने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव।"

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों के विविधीकरण/विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्न प्रकार है :—

प्रायोजना	प्रस्तावित क्षमता	अनुमानित पूंजी लागत
I. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०		रुपये लाखों में
सिन्थेटिक ड्रग प्लांट विस्तार . .	38 औषधि-प्रतिवर्ष 1989 मी० टनों से 3307 मी० टनों तक विस्तार	2190.00
नियोसिनामाइड प्लांट . .	300 मीटरी टन	838.00
एन्टीबायोटिक प्लांट विस्तार	स्ट्रैप्टोमाइसीन 85 मी० टन से 120 मी० टन तक : टैट्रासाइक्लीन 25 से 95 मी० टन : एम्पीसिलिन 10 मी० टन : डोक्सीसाइक्लीन 5 मी० टन	820.00
नये सूत्रयोगों से संबंधित यूनिट	1500 मिलियन टिकियां, शिशियां एवं कैप्सूल्स 50 मिलियन, सिरप 1 लाख लिटर, आयनमेट 1 किलो लिटर	550.00
II. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०		
पेन्सिलिन विस्तार . . .	84 एम एम यू से 160 एम एम यू	154.18
पेनिसिलिन प्लाट विस्तार .	160 एम एम यू	579.84
अर्ध संश्लिष्ठ पेन्सिलिन में विस्तार . .	5 मी० टन से 35 मी० टन	547.41
स्ट्रैप्टोमाइसोन विस्तार . .	85 मी० टन से 170 मी० टन	290.98
विटामिन सी विस्तार .	125 मी० टन से 250 मी० टन	119.97
एरिथ्रोमाइसीन	19 ,,	403.11
नये एन्टीबायोटिक्स . . .	18 ,,	179.16
औद्योगिक इंजाइम्स . . .	20 मी० टन	115.06
287 मी० टन प्रपुंज औषधों का निर्माण करने के लिए नये उत्पादक यूनिटों की क्षमता .		600.23

लोक सभा तथा गुजरात विधान सभा के शीघ्र निर्वाचन कराना

2083. श्री समर गुह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा तथा गुजरात विधान सभा के शीघ्र निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक तयारी करने हेतु सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को कोई अनुदेश जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन को समाप्त करना

2084. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री धर्मगंज सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के आन्दोलन की समाप्ति पर सेवा व्यवधान न करने सहित सभी दमनकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के बारे में समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किये गये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे में रनिंग स्टाफ की सेवा में व्यवधान अब तक किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को, विशेष रूप से अजमेर डिवीजन में, सेवा में व्यवधान समाप्त न करने के क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह विनिश्चय किया गया था कि कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी और यह कि लोको रनिंग कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और गिरफ्तारी, मुक्ति, वारंट वापस लेने और इनसे सम्बद्ध मामलों में, हिंसा और तोड़-फोड़ के मामलों को छोड़कर, यथापूर्व स्थिति बनायी रखी जायेगी।

(ग) दिसम्बर 1973 की अवैध हड़ताल में भाग लेने पर पश्चिम रेलवे के कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों की सेवा भंग के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के लिए इटली की एक फर्म द्वारा दोषयुक्त उपकरण की सप्लाई

2085. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की एक फर्म द्वारा दोषयुक्त उपकरण की सप्लाई करने से वाणिज्यक उत्पादन के लिये दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को चालू करने में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अनेक आधुनिक उपकरणों जिनमें कुछ इटली के निर्मित उपकरण सम्मिलित है, में खराबी आने से संयंत्र के सफलता पूर्वक प्रारंभण में कठिनाई उत्पन्न हुई थी, संयंत्र ने संतोषपूर्वक स्तर तक कार्य करना जारी रखा।

(ख) विभिन्न खराबियों का पता लगाने एवं उन पर काबू पाने के लिए उठाये गये उपायों के अतिरिक्त अनेक उपकरणों में बदलने के लिए, जो खराब पाये गये, नये उपकरण प्राप्त किये गये। मेसर्स टैकनोमोंट आफ इटली द्वारा एक पूर्ण विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है तथा इस सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए संयंत्र को संतोषजनक स्तर तक काम करने में सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

शंटरों के विभिन्न वर्गों के वेतनमानोंके बारे में निर्णय

2086. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शंटरों के विभिन्न वर्गों के वेतनमानो के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शंटरों को निम्नलिखित वेतनमान आबंटित किये गये है :--

	वर्तमान वेतनमान रु०	संशोधित वेतनमान रु०
भाप शंटर 'ए'/डीजल शंटर/बिजली शंटर .	130-200	290-400
भाप शंटर 'बी'/डीजल शंटर/बिजली शंटर . .	130-158	290-350

विवाचक मंडल (संयुक्त वार्ता तंत्र के अंतर्गत) के पंच निर्णय के फलस्वरूप शंटरों के वेतनमानों में कुछ और संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गरीबों को कानूनी सहायता

2087. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस बीच कोई स्कीम बनाई गई है और इसे अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी राहत देने का प्रस्ताव है और इस स्कीम के क्रियान्वयन की संभावित तारीख क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०) (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चामराजनगर तथा सत्यमंगल (दक्षिण रेलवे) के बीच रेल लाइन

2088. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेलवे में चामराजनगर तथा सत्यमंगलम के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित बातें क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । लेकिन इस लाइन के संबंध में पहली रिपोर्टों से पता चलता है कि इस लाइन पर यातायात पर्याप्त नहीं होगा जिससे उसके निर्माण का औचित्य बनाता हो और यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो । धन की कमी के कारण निकट भविष्य में इस प्रस्ताव को हाथ में लेना कठिन होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मसूरी में पाये गये राक फास्फेट के निक्षेप

2089. श्री श्रीकिसन मोदी :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मसूरी क्षेत्र में वाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने राक फास्फेट के भारी निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) क्या इन भंडारों को निकालने का कार्य शुरू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे, और

(घ) यदि नहीं, तो इन भंडारों को निकालने में विलम्ब के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय नें उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार मसूरी क्षेत्र में लगभग 18 मिलियन मीटरी टन राक फास्फेट उपलब्ध होगा ।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रम वाइराइट्स फास्फेटस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने इन खानों का उपयोग कार्य प्रारम्भ किया है तथा इस समय प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मीटरी टन खनन किया जा रहा है । प्रतिवर्ष 60,000 मीटरी टन तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं तथा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

राजस्थान में पट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी

2090. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गत तीन महीनों के दौरान पैट्रोल और डीजल तेल की अत्यधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य के लिए निर्धारित कोटा सप्लाई करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अन्तिम त्रैमास के दौरान राजस्थान में पेट्रोल अथवा डीजल तेल की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पेट्रोल अथवा डीजल तेल का राज्यवार आबंटन नहीं किया जा रहा है । इन उत्पादों की सप्लाई इस समय मांग के आधार पर की जाती है ।

राजस्थान में औद्योगिक एककों को भट्टी के तेल की सप्लाई

2091. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वास्तविक स्थायी प्रयोक्ताओं तथा औद्योगिक एककों को भटटी तेल देने के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गयी है ; और

(ख) क्या भारतीय तेल निगम राजस्थान के लघु औद्योगिक एकको को भट्टी तेल नही दे रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भट्टी के तेल के स्था उपभोक्ताओं को इस तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों से सप्लाई प्राप्त करने की हकदारी है । सप्लाइय करने में वर्ष 1973 में माल उठाये जाने की मात्रा के आधार पर 33 प्राथमिकता वाले उद्योगों पर 10 प्रतिशत की कटौती तथा समस्त अन्य उद्योगो के मामले में 20 प्रतिशत की कटौती की जाती है । अन्य अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकताओं के लिए पार्टियों को भट्टी के तेल की स्थाई समिति की आंवटन उप-समिति, जो तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा सचिव के नेतृत्व में कार्य करती है के पास आवेदन पत्र भेजने होते हैं । उप-समिति के अनुमोदन के पश्चात तेल कंपनियों को अितिरिक्त मात्रा की सप्लाई जारी करने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति हो जाती है ।

लघु एककों तथा राज्य प्रतिष्ठानों जो किसी केन्द्रीय समन्यक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारो को 1-7-1974 से प्रपुंच कोटे दे दिये गए हैं । इस कोटे के आंवटन हेतु, राज्य सरकारों को ही स्वंय आवश्यक व्यवस्था करनी होती है । राजस्थान को इस कार्य हेतु वर्तमान वर्ष के लिए 10,403 किलो लीटर का आवंटन किया गया है ।

(ख) आइ० ओ०सी० द्वारा समस्त ग्राहकों को भट्टी के तेल का आंवटन 1973 में उठाये गये माल । मट्टी के तेल की स्थाई समिति द्वारा किए गए आंवटन के आधार पर, उनके हकदारी के अनुसार किया जाता है । आइ० ओ० सी० उन ग्राहकों को भी मट्टी के तेल की सप्लाई कर रही है जिनको राज्य समितियों द्वारा आंवटन किया जा चुका है ।

अस्पतालों स्वास्थ्य यूनिटों (उत्तर रेलवे) में कार्यभार तथा फार्मेसिस्टों और डाक्टरों की संख्या

2092. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में पृथक-पृथक प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य यूनिट के सम्बन्ध में वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में (एक) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में दैनिक औसत ओ० पी० डी० उपस्थिति कितनी थी, (दो) प्रत्यक अस्पताल/स्वस्थ्य यूनिट में इस समय तथा 1968 से 1971 तक कुल कितने फार्मोसिस्ट तथा डाक्टर उपलब्ध कराये गये, (तीन) प्रत्येक मामले में अर्थात् फार्मेसिस्टो तथा डाक्टरों पर औसत दैनिक कार्य भार कितना था, (चार) प्रत्येक मामले में निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ; और (पांच) पीछे कार्य विश्लेषण किस तारीख को किया गया था ; और

(ख) इन वर्षों में लिपिकीय कार्य के रूप में कितना काम बढ़ा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) (i) एक विवरण संलग्न है ।

(ii) और (iii) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8576/74]**

(iv) कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(v) चिकित्सालयों/स्वास्थ्य एककों में कार्य विश्लेषण नहीं किया गया है ।

(ख) कोई परिवर्तन नहीं ।

फार्मेसिस्टों के लिए तृतिय वेतन आयोग के वेतन मान

2093. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान फार्मेसिस्टों की श्रेणी के मामले में लागू कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) वेतन मान क्या हैं, (दो) वर्षों के हिसाब से प्रत्येक वेतन मान की कुल अवधि कितनी है, (तीन) अधिकतम वेतनमान पर कितने फार्मेसिस्ट पद हैं, (चार) अगले दो वर्षों में अधिकतम वेतन पर कितने फार्मेसिस्टों के रूकने की सम्भावना है, (पांच) ऐसे फार्मेसिस्टों की संख्या कितनी है जिन्होंने 10 से 20 वर्ष की सेवा पुरी कर ली है, और (छः) ऐसे फार्मेसिस्टो की संख्या कितनी है जिन्होंने 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तृतीय वेतन आयोग द्वारा फारमेसिस्टो के वर्ग के बारे में जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की गयी है, उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ख) (i)

	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
	रु०	रु०
फारमेसिस्ट ग्रेड 'ए'	205—280	425—640
फारमेसिस्ट ग्रेड 'बी'	130—240	330—560*

*पूर्णतः अर्ह फारमेसिस्टों के लिए, अर्थात उनके लिए जो फारमेसी अधिनियम, 1948 की धारा 31 और 32 में उल्लिखित अर्हता रखते हैं, परन्तु इनमे वे शामिल नहीं जो उक्त धारा 31 के खण्ड (घ) द्वारा शासित होते हैं ।

फारमेसिस्ट ग्रेड 'बी'	130—240	330—480**

**अनर्ह फारमेसिस्टों के लिए, अर्थात उनके लिए जो फारमेसी अधिनियम की धारा 31 के खण्ड (घ) द्वारा शासित होते हैं या उक्त धारा के अधीन पंजीकृत अर्हता रखते हैं ।

(ख) (ii) 425—640 रु० वेतन-मान की समय-दूरी . . 13 वर्ष

330—560 रु० वेतन-मान की समय-दूरी . . 19 वर्ष

330—480 रु० वेतन-मान की समय-दूरी . . 16 वर्ष

(iii) से (vi) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान लीवर और टाटा कम्पनी द्वारा बाजार में जनता साबुन की बिक्री

2094. श्री शशि भूषण : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर और टाटा कम्मनी के अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1974 के दौरान बाजार में कुल कितनी मात्रा में जनता साबुन बिक्री हेतु भेजा था तथा प्रति टिक्की साबुन का बिक्री मूल्य क्या है तथा प्रति टिक्की साबुन का भार कितना है ; और

(ख) उनके द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले साबुन की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अक्तूबर से 15 नबम्बर, 1974 की अवधि के दौरान, मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 144 मीटरी टन जनता साबुन जिसकी 100 ग्राम की एक टिकिया का मूल्य सभी स्थानीय करों को मिलाकर 1.05 रुपये है, बाज़ार में भजा है और मैसर्स टाटा आयल मिल्स कंपनी लिमिटेड ने 50 मीटरी टन जनता साबुन, जिसकी 100 ग्रॅम की एक टिकिया का मूल्य स्थानीय करों को शामिल न करते हुए 95 पैसे है, भेजा है ।

(ख) साबन की उत्तमता की जांच करने के संबंध में कदम उटाये जाने की जरुरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि उत्तमता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

गोआ को और अधिक डीजल तेल का आबंटन

2095. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ सरकार ने और अधिक डीजल तेल के आवंटन के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : डीजल आयल के लिय राज्यवार आवटंन नहीं किये जाते । तथापि, सेंट फांसिस एग्जावियर के पवित्र स्मृति चिन्हो के प्रदर्शन को दृष्टि में रखत हुए गोआ सरकार ने नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 की अवधि के दौरान अतिरिक्त एच० एस० डी० ओ० की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था । गोआ प्रदेश में इस उत्पाद की उपलब्धि के संबन्ध में योजना बनाते समय डीजल तेल की इन अतिरिक्त आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखे जाने के प्रबन्ध किये गये हैं ।

गोआ में पट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी

2096. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ में चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : 15 से 25 जनवरी, 1974 की लघु अवधि के अतिरिक्त गोआ में अन्यधिक कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इस अवधि के दौरान आई०ओ०सी० के परिवहन ठकेदारों, जो इसके वासको प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे हैं द्वारा एक सांकेतिक हड़ताल की गई थी जिस से आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादो की नहीं भेजा जा सका । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में लागू आम कटौती के सदर्भ में इस अवधि के दौरान गोआ के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती की गई थी । इससे भी कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल में और कमी आ गई । सेंट जेवियर्स वाडी में हुये विस्फोट को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आवश्यकताओं की दृष्टिगत करके गोआ में मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि की गई गई है ।

कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने क लिए कम्पनियों के विरूद्ध चलाये गये मुकदमें

2097. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के उपबन्धो का उल्लंघन करने के लिए कम्पनियों के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किये गये ;

(ख) अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धो के उल्लघन के लिये, कम्पनियों के अभियोग से असम्बन्धित आंकड़े, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किये जाने के लिय अपेक्षित, कम्पनियो के कार्य-कलाप एवं प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट, में दिये जाते है । 31 मार्च, 1973 के वर्ष समाप्ति की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर 26 मार्च, 1974 को प्रस्तुत की गई थी । 1973–74 के वर्ष की बाबत इसी प्रकार की सूचना अगली वार्षिक रिपोर्ट में दी जायगी । 31 मार्च, 1974 की वर्ष समाप्ति के मध्य 2730 कम्पनियो पर 5661 अभियोग चलाये गये थे । अलग-अलग मामलों के ब्यौरे, केवल सम्बद्ध राज्यों में, सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रारो के पास उपलब्ध हैं ।

वर्ष 1973–74 के दौरान भारत में विदेशी कम्पनियां

2098. श्री अरविंद एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान भारत में कितनी विदेशी कम्पनियों ने अपने कारोबार शुरु किए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी कम्पनियां बन्द की गयी ; और

(ग) उनके बन्द किए जाने के क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत यथा परिभाषित, पांच विदेशी कम्पनियो ने 1973-74 के मध्य, भारत में अपने व्यापारिक स्थान स्थापित किये । इसी अवधि में दो विदेशी कम्पनियों ने अपने व्यापारिक स्थान बन्द कर दिये ।

उन कम्पनियो, जिन्होने अपने व्यापारिक स्थान बन्द कर दिये, में से एक का व्यापार, भारत में एक अन्य विदेशी कम्पनी की एक शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया था । दूसरी कम्पनी ने अपने व्यापारिक स्थान के बंद कर देने का कोई कारण नहीं बताया है ।

मेसर्स होचेस्ट को निर्धारित अवधि के बाद सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना

2099. श्री सत्यन्द्र नारायण सिन्हा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या मैसर्स 'होचेस्ट' नामक फर्म को, जो विदेशी स्वामित्व वाली औषधि निर्मात्री फर्म है निर्धारित अवधि के बाद सी० ओ० बी० लाइसेंस देने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या मसर्स होचेस्ट फर्म को अनेलजिन का कोटा गत तीन वर्षों के उत्पादन के आधार पर दिया गया था जो कि लाइसेंस शुदा क्षमता से बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अनसार था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र जिसमें सी० औ०बी० आवेदन पत्र की तिथि, मद का नाम तथा मसर्स हैक्स्ट फार्मास्युटिकल्ज लि० दवारा आवदित क्षमता दिखाई गई है, संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०**

8577/74] पार्टी ने सरकार द्वारा 16 फरवरी 1973 को घोषित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुसार 31 अगस्त 1973 को सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया था। उपरोक्त नीति के अनुसार सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 1973 थी।

(ग) और (घ) डी० जी० टी० डी० यूनिटों को एनलजीन सहित समस्त सरणीकृत कच्चे माल की सप्लाई : गत दो वर्षों के श्रेष्ठ उपभोग या राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा सिफारिश की गई मात्रा इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है। मैसर्स हैक्स्ट फार्मा स्युटिकल्ज को एनलजीन के आबंटन करने के मामले में भी इन नीति को अपनाया गया था। मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्युटिकल्ज द्वारा एनलजीन सूत्रयोगों के सहित अनेक एककों द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।

औषधियों संबंधी मूल्य नियंत्रण आदेश

2100. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों सम्बन्धी मूल्य नियंत्रण आदेश लगभग निरर्थक अथवा सरकार का दिखावे मात्र का उपाय है ;

(ख) क्या मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 तथा 1974 में जारी किए गए तत्सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त "ओ० बी० सी० आई०" जारी किए गए थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी प्रमुख वाली कम्पनियों के उत्पादों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) औषधों के मूल्य चाहे वे उद्योग के भारतीय क्षेत्र द्वारा अथवा विदेशी क्षेत्र द्वारा निर्मित किये जाते हों, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित किये जाते हैं।

औषधि फर्मों द्वारा अति उत्पादन किये जाने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2101. **श्री के० एस० चावडा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० ग्रोवर, निदेशक (औषधि) के साथ एक समिति ने औषधि फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किये जाने सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए हाल में बम्बई और कलकत्ता का दौरा किया था ;

(ख) विभिन्न औषधि निर्माता फर्मों से प्राप्त जानकारी की मुख्य बातें क्या हैं तथा समिति के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन को तथा इस समिति द्वारा एकत्र की गयी अन्य जानकारी को सभा पटल पर रखने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) डी० जी० टी० डी० और इस मंत्रालय के अधिकारियों को एक दल ने केवल फरवरी 1973 में डी० जी० टी० डी० एककों में प्रपुंज औषधों और उनकी आयात आवश्यकताओं के लिए सूत्रयोगों की क्षमता की तुलना में उत्पादन से संबन्धित सूचना एकत्र करने के लिए बम्बई का दौरा किया था। विभिन्न एककों से प्राप्त सूचना विस्तृत है और सरकार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान कुछ विदेशी औषधि फर्मों का उत्पादन

2102. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में मैसर्स सेन्डोज, एबोट्स, एस० के० एफ० मे एण्ड बेकर, ग्लैक्सो और फाइजर्स का कितना उत्पादन रहा और उनको लाइसेंस-प्राप्त क्षमता कितनी है ;

(ख) उन मदों का ब्यौरा क्या है, जिनका वे बिना किसी औद्योगिक लाइसेन्स या मूंजरी के उत्पादन कर रही हैं ; और

(ग) बिना वैध लाइसेंस के उत्पादन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कराने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किये गये अनुदेश

2103. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश जारी किए हैं जिसके अन्तर्गत देश में तेल बेचने वाली कम्पनियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अन्य कम्पनियों के खुदरा व्यापारियों को पैट्रोलियम उत्पाद सप्लाई किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में पैट्रोलियम उत्पादों, जैसे हायस्पीड डिजल, मिट्टी के तेल लाइट स्पीट डीजल, चिकनाई वाले तेल, स्नेहक, विलायक (साल्वेंटस) तथा भीम को खुदरा व्यापारियों के माध्यम, से उपभोक्ताओं को सप्लाई के बारे में मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सरकार द्वारा सितम्बर 1974 में एक पेट्रोलियम उत्पाद (फुटकर पम्पों को सप्लाई का विनियमन, आदेश 1974 नामक एक आदेश जारी किया गया था। जिसके अन्तर्गत एक तेल कम्पनी किसी विशेष पम्प को, जो किसी दूसरी कम्पनी से संबंधित हो, कोई विशिष्ट उत्पाद अथवा उत्पादों को भेजने के लिए निर्देश देने हेतु केन्द्रीय सरकार का अधिकार प्राप्त है।

(ख) सम्पूर्ण देश में एजेंसियों/डिस्ट्रीब्यूटरशियों अभिकरणों/वितरकों के माध्यम से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों को सप्लाई की जाती है। मोटर स्पिरीट, हाई स्पीड डीजल आयल तथा कुछ स्नेहक तेल, तेल कम्पनियों के पेट्रोल पम्पों के माध्यम से सप्लाई की जाती है। मिट्टी का तेल / एल सी ओ की सप्लाई एजेंटों / डीलरों के माध्यम से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाईट डिजल आयल की बिक्री के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा कुछ बैरल पम्पों का भी संचालन किया जाता है। ग्राहकों को भट्टी के तेल की सप्लाई सीधे रूप में की जाती है। उपयुक्त आदेश इस आशय से जारी किया गया है ताकि सरकार समस्त जनहित में आवश्यक समझे जाने पर किसी भी फुटकर केन्द्र पर उत्पाद की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

माल 'टर्मिनल' पर प्रेषितों द्वारा माल डिब्बों से माल उतारने के सम्बन्ध में असाधारण विलम्ब किया जाना

2104. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक माल 'टर्मिनल' पर प्रेषितियों (पानेवालों) द्वारा माल डिब्बों से माल उतारने के सम्बन्ध में असाधारण विलम्ब किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रेषितियों से माल डिब्बों से माल शीघ्र उतरवाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कई बार और कुछ टर्मिनल स्टेशनों पर माल पाने वाले माल डिब्बों को तत्परतापूर्वक खाली नहीं करते ।

(ख) माल पाने वालों के द्वारा डिब्बों को शीघ्र खाली करवाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) जहां कहीं माल पाने वालों का पता ज्ञात होता है, वहां उन्हें माल के पहुंचने की सूचना दी जाती है। इस आशय की हिदायतें मौजूद हैं कि पिछले दिन जो प्रेषण प्राप्त हुए हों लेकिन जिनकी सुपुर्दगी न ली गयी हो, उनकी एक सूची माल गोदाम के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाये ।

(2) यदि माल पाने वाले समय पर माल डिब्बों से माल उतारने में असफल रहते हैं तो रेलें उसे उतारने का काम करती है और उनसे माल उतराई का प्रभार ले लेती है।

(3) दिसम्बर, 1972 से विलम्ब शुल्क की दरों को काफी कठोर बना दिया गया है ।

(4) माल गोदामों में डिब्बों की भीड़-भाड़ को दूर करने और माल उतारने के लिए प्रतीक्षा में खडे माल डिब्बों को प्लैटफार्मों पर लाने की सुविधाएं प्रदान करने के लिये :

(क) भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77 में संशोधन करके अमानतदार के रूप में रेलवे की जिम्मेदारी परिवहन की समाप्ति के बाद 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गयी है; और

(ख) भारतीय रेल अधिनियम में यह संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है कि कुछ अधिसूचित स्टेशनों पर और कुछ विशेष अवधियों में परिवहन की समाप्ति के बाद 7 दिन के भीतर सुपुर्दगी न लिये गये प्रेषणों का निबटारा करने का रेलों का अधिकार होगा ।

गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड

2105. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोलचा प्रापर्टिज प्राईवेट लिमिटेड के 'रिसीवर' के पास इस समय कुल कितनी धनराशि जमा है ;

(ख) क्या जमा राशि के वितरण के बारे में रिसीवर आयकर अधिकारियों और क्रेडिटर्स एसोसिएशन के बीच समझोता हो गया है;

(ग) यदि हां, तो] समझोते के फार्मूले की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋणदाताओं की जमा राशि कब वितरित की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 20 नवम्बर, 1974 तक कम्पनी के सरकारी समापक के पास कुल राशि 49,19,172.14 रु० थी ।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय में, उसकी अनुमति के लिए समझोता की योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ग) जमाकर्त्ताओं को पूर्ण–अदायगी, सरकारी समापक को लागत खर्च और प्रभार की भी व्यवस्था है । इसमें आयकर अधिकारियों को तुष्टि के लिए देय आयकर की अदायगी हेतु पर्याप्त व्यवस्था भी है। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों, कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों द्वारा प्रदान की जाएगी ।

(घ) जमाकर्ताओं को अदायगी किये जाने का प्रश्न केवल न्यायालय द्वारा योजना को स्वीकृत किये जाने, और भूतपूर्व निदेशकों द्वारा अपेक्षित निधियां उपलब्ध किये जाने के पश्चात उत्पन्न होगा ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी एकत्र किया जाना

2106. श्री एस० आर० दामाणी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की पूरी अवधि के दौरान औद्योगिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी नई पूंजी एकत्रित की गई ;

(ख) प्रमुख उद्योग–वार इसे किस प्रकार वितरित किया गया ;

(ग) यह आशा से कितना अधिक या कम रहा ; और

(घ) योजना में निर्धारित उत्पादन और औद्योगिक विकास के मार्ग में क्या-क्या बाधायें आई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 1969–70 से 1973–74 तक चतुर्थ योजना अवधि के मध्य, साम्य एवं अधिमान पूंजी के रूप में वृद्धि की गई नवीन पूंजी की राशि, सरकारी क्षेत्र में 2854.3 करोड़ रु० एवं निजी क्षेत्र में 270.9 करोड़ रु० थी ।

(ख) उपरोक्त वृद्धि की गई पूंजी का प्रमुख उद्योग वार वितरण संलग्न विवरण–पत्र में दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) यह सूचना आयोग योजना से संग्रह की जा रही है एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

विवरण

(करोड़ रु० में)

उद्योग	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप . . .	1.4	5.9
2. खनिज तथा पत्थर निकालना	250.1	4.1
3. विधापन तथा उत्पादन खाद्य पदार्थ, वस्त्र, चमड़ा तथा इसका सामान	28.5	56.1
4. विधापन तथा उत्पादन–धातु एवं रसायन एवं इनका सामान .	912.7	106.1
5. विधापन तथा उत्पादन – जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया	51.9	35.7
6. निर्माण तथा उपयोगितायें	65.2	3.7
7. वाणिज्य (व्यापार तथा वित्त) . . .	13.2	42.9
8. परिवहन संचार तथा संग्रहण . .	22.9	3.5
9. सामुदायिक तथा व्यापार सेवायें . . .	1392.3	3.0
10. व्यक्तिगत तथा अन्य सेवायें . . .	(–)1.9*	9.9
योग .	2854.3	270.9

*यह गिरावट अशोक होटल्स लि० (पी० यू० सी० 2.5 करोड़) तथा जनपथ होटेल लि० (पी० यू० सी० 0.3 करोड़) के इन्डिया टूरीज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ संविलियन के कारण है, जिनका अन्य औद्योगिक समूहों के साथ वर्गीकरण किया गया था ।

Steps to improve the Quality of Fertilizer

2107. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the steps taken during the last three years in regard to production of fertilizers with a view to encouraging agricultural production ;

(b) whether any research has been conducted to improve the quality of fertilizers; and

(c) the outcome of the steps taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) &(c) A large scale programme is under implementation for expansion of fertilizer capacity through the setting up of new plants and optimisation of production in the operating units by such measures as renovation, debottlenecking, modernisation etc. With the implementation of this programme, the capacity for production of nitrogeneous fertilizer which stood at 14.64 lakh tonnes in 1971-72 (19.39 lakh tonnes of nitrogen in 1973-74) would go up to about six million tonnes of nitrogen by 1978-79. The production which was about 9.52 lakh tonnes of nitrogen in 1971-72 (10.6 lakh tonnes in 1973-74) is expected to be in the range of 36 to 40 lakh tonnes of nitrogen by 1978-79.

(b) The quality of fertilizers produced has to conform to the specifications laid down in Fertilizer (Control) Order, 1957. To this end, appropriate research in regard to quality control etc., is carried out by the manufacturers.

खान-पान विभाग द्वारा सप्लाई किये गये भोजन की जांच

2108. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गाड़ियों में रेलवे के खान-पान विभाग द्वारा सप्लाई किया जाने वाला भोजन घटिया किस्म का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उपभोक्ताओं को भोजन दिये जाने से पूर्व उनकी जांच करने के बारे में क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । लेकिन अच्छे किस्म का भोजन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) भोजन तैयार करने में अच्छी किस्म के सामान का उपयोग होता है यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है ;

(ii) अच्छे किस्म का भोजन परोसा जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण किया जाता है ;

(iii) मिलावट और अव-मानक भोजन देने की रोकथाम के लिए समय-समय पर भोजन के नमूने लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है ;

(iv) अच्छे किस्म का भोजन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसरों में परोसे गये भोजन के नसूने रेल अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लिये जाते हैं ;

(v) भोजन तैयार करने और परोसने में स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बार-बार जांच की जाती है ।

रेल हड़ताल (पूर्व रेलवे) के दौरान दानापुर डिवीजन में काम करने वाले प्रादेशिक सेना के कर्मचारी

2109. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में हाल की रेल हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना के ऐसे कितने कर्मचारियों ने काम किया जिन्हें भूमि का आबंटन किया गया है ; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको अभी तक भूमि का आबंटन नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रादेशिक सेना के ऐसे किसी कर्मचारी को भूमि का आबंटन नही किया गया है जिसने हाल की हड़ताल के दौरान पूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल में काम किया था और न ऐसे किसी कर्मचारी द्वारा भूमि के आबंटन के लिए अनुरोध ही किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ियों में सीटों पर अनधिकृत कब्जा

2110. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल डिब्बों के प्लेटफार्म पर आने से पूर्व उनकी अधिकांश सीटों पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा होता है तथा वे सीटें यात्रियों को अवैध रूप से धन लेकर दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे अनधिकृत कब्जे पर रोक लगाने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह सच नहीं है कि प्लेटफार्म पर सवारी डिब्बों के आने से पहले उनकी अधिकांश सीटों पर अनधिकृत व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं। लेकिन समाज विरोधी तत्वों द्वारा गाड़ियों की सीटों पर अनधिकृत कब्जा करने और उनके फलस्वरूप अनाचार के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ख) यार्डों / धुलाई लाइनों में गाड़ियों में स्थान का अनधिकृत रूप से कब्जा करने से रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के सहयोग से टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा बार-बार जांच की जाती है और अचानक छापे मारे जाते हैं। इन जांच-पड़तालों के माध्यम से जो व्यक्ति पकड़े जाते हैं उनका भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 (ग) के अंतर्गत चालान किया जाता है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। धुलाई लाइनों में सवारी डिब्बों को ताले से बंद करने और मार्ग रक्षकों की देख-रेख में गाड़ियों को प्लेटफार्मों पर लाने की व्यवस्थाएं कुछ चुने हुए स्टेशनों पर प्रारंभ कर दी गयी हैं।

पांचवी योजना में एर्णाकुलम–त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

2111. **श्री वयालर रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार कितने मील रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है और उसका रेलवे-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या एर्णाकुलम–त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए सम्भाव्यता अध्ययन इस योजना में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित खंडों के 1474 मार्ग किलोमिटर पर बिजली लगाने का विचार है :

	रेलवे	खंड	मार्ग किलो-मीटर
1.	पश्चिम	विरार–भेस्तान	200
2.	दक्षिण पूर्व	पांशकुड़ा–हल्दिया	69
3.	दक्षिण पूर्व	वाल्तेरु–किरंडूल	471
4.	उत्तर	टूंडला–दिल्ली	259
5.	दक्षिण	मद्रास–गुडूर	138
6.	दक्षिण	मद्रास–त्रिवेल्लोर	42
7.	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा–गुडूर	295
			1474

(ख) एरणाकुलम–तिरुवनंतपुरम खंड पर बिजली लगाने की व्यावहारिकता की पहले ही जांच की जा चुकी है। अध्ययन से पता चलता है कि बिजलीकरण का काम अर्थक्षम नहीं है।

दक्षिण रेलवे में कपिल स्टेशन का भवन

2112. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में दक्षिण रेलवे में कपिल स्टेशन का भवन बहुत पुराना हो गया है और इस समय की आवश्यकता के लिए वह अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन की दशा सुधारने और वहां पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कपिल स्टेशन का भवन बहुत पुराना है। इसका निर्माण 1918 में हुआ था। एरणाकुलम और त्रिवन्द्रम सेन्ट्रल के बीच के खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की योजना के अन्तर्गत एक नये स्टेशन भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

विभिन्न देशों को रेल उपकरणों का निर्यात

2113. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल को विभिन्न देशों से रेल उपकरणों के निर्यात के लिए भारी संख्या में आर्डर प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इन निर्यातों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है तथा देश में रेल उपकरण निर्माण उद्योगों को सुधारने में इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलवे उत्पादन कारखानों को निम्नलिखित निर्यात आर्डर मिले हैं जो 1975 में क्रियान्वित होंगे :—

(i) फिलिप्पीन : किफायती श्रेणी के 30 सवारी डिब्बे, फालतू पुर्जों सहित।

(ii) ताइवान : 96 सवारी डिब्बें, फालतू पुर्जों सहित।

(iii) बर्मा : 2 सवारी डिब्बें, फालतू पुर्जों सहित।

(ख) फिलिप्पीन से सवारी डिब्बों की मांग उस बाजार की पहली बड़ी मांग है जब कि शेष तरह के आर्डर पहले भी मिल चुके हैं। इन आर्डरों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की कुल आमदनी लगभग 3.34 करोड़ रुपये होने की आशा है। अधिकांश उपकरण और कच्चे माल की उपलब्धि भारत में निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से होगी और उसी मात्रा में उनसे लाभ होगा यद्यपि सही रकम की मात्रा नहीं मालूम हो सकती।

उड़ीसा को और अधिक डीजल तेल का आबंटन

2114. **श्री पी० गंगादेव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य को और अधिक तेल का आबंटन करने के लिए केन्द्र से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नवम्बर, 1974 तक उड़ीसा को कितनी मात्रा में डीजल तेल की सप्लाई की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (ग) जी, हां। तथापि, डीजल तेल की सप्लाई इस समय निर्बाध हैं और इसके लिए राज्यवार कोटे निर्धारित नहीं किए जाते। उड़ीसा की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है और तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई अपेक्षित मात्रा तक बढ़ा दी गई है। डीजल की सप्लाई के आंकड़े राज्यवार आधार पर नहीं बनाये जाते हैं।

उड़ीसा में औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई

2115. **श्री पी० गंगादेव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सुस्थित प्रयोक्ताओं तथा औद्योगिक एककों को भट्टी तेल देने के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम उड़ीसा के छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को भट्टी तेल नहीं दे रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भट्टी के तेल के प्रमाणित ग्राहक सप्लाई करने वाली अपनी कम्पनियां से सप्लाई लेने के हकदार हैं। तथापि, सप्लाई करते समय 1973 की खपत पर प्राथमिकता प्राप्त 33 उद्योगों के बारे में 10 प्रतिशत की और अन्य तमाम उद्योगों के बारे में 20 प्रतिशत की कटौती की जाती है। अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये पार्टियों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय के सचिव एवं महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। भट्टी के तेल पर स्थाई समिति की आबंटन करने वाली उप-समिति को लिखना पड़ता है। उप-समिति की अनुमति के पश्चात् तेल कम्पनियों को भट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्राएं देने के लिये अधिकृत किया जाता है।

लघु उद्योगों तथा राजकीय उद्यमों, जो किसी केन्द्रीय समर्थक प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों के अधिकार में भी 1-7-1974 से प्रचुर कोटा रख दिया गया है। इस कोटे के आबंटन के लिये राज्य सरकारों को अपनी प्रक्रिया स्थापित करनी होगी। उड़ीसा के लिये, चालू वर्ष के लिये इस प्रयोजन हेतु 3502 किलो लिटर का आबंटन किया गया है।

(ख) और (ग) आई० ओ० सी० सभी ग्राहकों को 1973 की खपत पर आधारित उन की हकदारी भट्टी के तेल पर स्थाई समिति द्वारा किये गये आबंटन के अनुसार भट्टी का तेल दे रही है। आई० ओ० सी० उन ग्राहकों को भी भट्टी का तेल दे रही है जिन के लिये राज्य समिति द्वारा आबंटन किया गया है।

उड़ीसा के पूर्वी तट पर तेल की खोज

2116. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कच्चे तेल की कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) क्या उड़ीसा के पूर्वी तट पर कच्चे तेल की खोज के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि के कारण, कुल कच्चे तेल, दोनों देशीय तथा आयातित, जिसके 1974-75 के दौरान सभी शोधनशालाओं में शोधित किए जाने की संभावना है, का अनुमान लगभग 21 मिलीयन मीटरी टन है।

(ख) उड़ीसा से दूर तटीय पानी में तेल के लिए भूभौतिकीय अन्वेषण एक पूर्ण रूप से उपस्कृत सर्वेक्षण पाते, जिसके लिए आदेश दिया जा चुका है, की सहायता से तेल तथा प्राकृतिक गैस द्वारा किए जाने की योजना है।

हावड़ा-मद्रास मार्ग पर एक डीलक्स वातानुकूलित गाड़ी का शुरू किया जाना

2117. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हावड़ा मद्रास मार्ग पर एक डीलक्स वातानुकूलित गाड़ी चलाने अथवा मद्रास तक गाड़ी में एक वातानुकूलित चेयर बार बोगी जोडने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं।

रुप्सा-बांग्रीपोसी ब्राड गेज लाइन

2118. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रुप्सा-बांग्रीपोसी ब्राड गेज लाइन के आर्थिक पहलू पर विचार करने वाली समिति का कहना है कि उसमें बचत की जा सकती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों पर आधारित रुप्सा-पालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया गया था। जब सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच पूरी हो जायेगी उसके बाद ही इस बदलाव के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

मोरारका बन्धुओं द्वारा डब्ल्यु० एच० ब्राडो एण्ड कम्पनी का नियंत्रण

2119. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यु० एच० ब्राडो एण्ड कम्पनी पर नियंत्रण रखने के लिये मोरारका बन्धुओं द्वारा कोई प्रायास किया गया था ;

(ख) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिसके पास 20 प्रतिशत इक्विटी पूंजी थी, यह प्रयास विफल कर दिया गया था;

(ग) क्या उद्योग विभाग सरकार द्वारा इस बारे में बैंकों, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिये मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का अनुरोध करेगा; और

(घ) क्या यह नैशनल रेयन जैसी कम्पनियों पर भी लागू होगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपं-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) मोरारका परिवार से सम्बिन्धित कम्पनी के निदेशकों में से एक ने वार्षिक महासभा के समक्ष त्यागपत्र दे दिया और मोरारका परिवार के एक निदेशक को कथित वार्षिक महासभा की बैठक में हटा दिया गया था। राष्ट्रीयकृत संस्थानों सहित कम्पनी के शेयरधारियों ने मोरारकाओं को छोड़कर दो निदेशकों को चुना :

(ग) तथा (घ) : जब कभी बैंक या वित्तीय संस्थान किसी सार्थ में भारी शेयर धारण करते है, तो कम्पनी के शेयरधारियों का उस रीति में, अपने मताधिकार का किसी भी महासभा की बैठक में प्रयोग करना उनके द्वारा अपेक्षित है कि वह निडेशक मंडल या शेयरधारियों के किसी समूह को लोकहित का अहित करने की चेष्टा का सम्भव सीमा तक निवारण करें।

मैदानी, तटीय मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति किलोमिटर रेल लाइन पर तुलनात्मक लागत

2120. **श्री बी० वी० नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय, तटीय मैदानी और पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के प्रति किलो मीटर निर्माण की तुलनात्मक लागत के आंकड़े क्या है; और

(ख) नई रेलवे लाइनों पर रेलवे स्टेशन बनाने के लिये परिस्थिति तथा जनसंख्या सम्बन्धी क्या कसौटियां रखी गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नयी लाइनों के निर्माण की तुलनात्मक लागत इस प्रकार है :-

	रुपये
मैदानों में	8.00 से 14.00 (लाख)
तटवर्ती मैदानों में	10.00 से 13.00 (लाख)
पठारों और पहाड़ों में	30.00 से 72.00 (लाख)

(ख) नयी रेलवे लाइनों पर स्टेशनों की व्यवस्था वाणिज्यिक और परिचालनिक आधार पर की जाती है जिसमें प्रत्येक स्थान के यातायात की आवश्यकताओं के बारे में सिविल अधिकारियों से परामर्श किया जाता है और प्रत्येक लाइन की परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यानमें रखा जाता है ।

Pilferage of Goods

2121. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the types of goods which are generally pilfered from railways wagons ;

(b) the value of goods pilfered during the year 1973-74 ;

(c) the amount of calims paid by the Railways ; and

(d) the steps taken by Government to stop the pilferage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh : (a) Grains and pulses, oil seeds, sugar, spices, tea, piece goods, iron and steel, vegetable and other edible oils, fruits and other perishables etc.

(b) the value of goods involved in pilferages (including those from seals intact wagons) on all Indian Railways during the year 1973-74 as reported was Rs. 183.13 lakhs approximately.

(c) the amount of compensation claims paid on account of pilferages of consignments on all Indian Railways during the year 1973-74 was Rs. 617.47 lakhs.

(d) The following steps have been taken to check the incidence of pilferages :—

(i) All important yards, goods sheds transhipment/repacking points etc. are being guarded round the clock by Railway Protection Force.

(ii) Nominated goods trains perticularly those carrying high-rated commodities are being escorted by the Railway Protection Force in vulnerable sections.

(iii) Special drives are conducted against the receivers of stolen property and cases are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

(iv) Plain clothed Railway Protection Force staff are deployed to keep a vigilant watch on the activities of criminals.

(v) Assistance and co-operation of Railway Trade Unions has been sought for prevention and detection of crime on the Railways.

(vi) Necessary co-operation is maintained with the State Police authorities for keepng surveillance over bad characters operating on the Railways.

Introduction of trains from Najibabad to Saharanpur via Raisi, Laksar and Roorkee in morning time

2122. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether local Members of Parliament and the public have made a demand that a train starting in the morning from Najibabad to Laksar via Raisi and from there direct to Roorkee and Saharanpur should be introduced on the Northern Railway ;

(b) the reaction of Government thereto ; and

(c) the time by which this train will be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) & (c) A convenient connected service for passengers travelling from Raisi to Roorkee/Saharanpur in the morning is already available in 61/65 Janata Express and 372 Dn Hardwar-Delhi Passenger with a change at Laksar. Introduction of a train from Najibabad to Roorkee/Saharanpur is neither justified on traffic considerations nor operationally feasible due to lack of terminal facilities at Saharanpur, Roorkee and Najibabad.

Categories of Employees Provided with uniforms

2123. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the categories of employees provided with Uniforms by the Railways ;

(b) salient features of the rules or orders in regard to wearing of the uniforms ;

(c) action taken against the employees attending their duties without uniform ; and

(d) whether Government have considered the question of not supplying the uniforms to employees who do not wear them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Uniforms are supplied to such categories of staff working in different departments of the Railways (i) who generally come into contact with the travelling and trading public and are required not only to appear in clean and neat dress, but also to be easily identified; and (ii) Class IV staff working in offices, sheds, yards, stations etc., who are required to be neat and clean while on duty.

(b) Staff who are provided with uniforms are required to wear them on duty.

(c) Orders exists for action being taken against employees attending duties without uniforms.

(d) Does not arise in view of reply to (c) above.

Supply of Diesel to Farmers

2124. Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal for providing diesel to the farmers for their diesel pumps during the next Rabi season ;

(b) whether sufficient quantity of diesel was not made available to the farmers last year as a result of which the Rabi crop was damaged ;

(c) whether in order to improve upon the last year's distribution system of diesel, sufficient quantity of diesel will be made available on priority basis for agriculture ; and

(d) whether any such scheme is already under consideration of Government and if so the time by which a decision will be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) (a) to (d) All efforts are being made to meet the diesel requirements for agricultural sector, during the next rabi season on priority and in full.

Due to failure of winter rains, there was a sudden spurt in diesel oil demand during early February and March this year. Additional supplies were however, rushed immediately to the scarcity areas to meet the requirements. It has not been possible to assess the effect of any temporary shortage that may have been experienced in particular areas on the total rabi crops. It has been recommended to the State Governments that quota cards prescribing the seasonal quotas for meeting the requirement for pumps for irrigation and for tractors when used for cultivation should be issued assigning the cards to specific retail outlets of the oil companies. In case of any shortage these outlets will be given instructions to supply diesel oil to the agriculturists on priority.

Posting of Class-I Officers in other Departments after Promotion

2125. Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class-I posts created in Railways during the last one year and the number of super time scale posts created in Traffic and Commercial Departments, separately ;

(b) the number of such officers who after their promotion were posted in other Departments(as from Commercial Department to Traffic Department and from Traffic Department to commercial Department) and whether the seniority of officers working in concerned Department was not affected due to such arrangements ; and

(c) if so, the reasons for doing so only for promoting some particular officers ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 520 Class I posts were created in Railway Administrations for varying periods during the year ended 30-9-74 Of these, 20 Administrative grade posts were created in Traffic & Commercial Department.

(b) Traffic & Commercial is one Department and promotions are regulated on the basis of a combined seniority.

(c) Does not arise.

पारादीप में उर्वरक परियोजना के कार्य को आगे बढाने का प्रस्ताव

2126. श्री डी० के० पंडा :
श्री श्याम सुन्दर महापात्र
श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप में उर्वरक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या देश में उर्वरक की कमी को देखते हुये सरकार इस परियोजना के कार्य को आग बढ़ायेगी?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने पारादीप पर इस प्रयोजना की स्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है

गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का उत्पादन

2127. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) गत तीन वर्षों में उर्वरकों की कुल आवश्यकता कितनी थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पोषक तत्वों के रूप में उत्पादन

('000 मीटरी टनों)

	नाइट्रोजन	फास्फेट
1971-72	952	278
1972-73	1060	326
1973-74	1060	317

(ख) पोषक तत्वों के रूप में आवश्यकताएं

('000 मीटरी टनों में)

	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1971-72 . . .	1470	467	257
1972-73 . . .	1816	489	291
1973-74 . . .	2309	756	407

दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे

2128. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली में भूमिगत रेलवे बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में और इसके चारों तरफ महानगर रेल परिवहन के संबंध में सर्वेक्षण/अध्ययन चल रहे हैं और आशा है कि ये अध्ययन 1975 के उत्तरार्ध में पूरे हो जायेंगे जिसके बाद इसकी मुख्य मुख्य बातें तथा काम प्रारम्भ करने की समय-सारणी आदि मालूम हो पायेंगी।

Statement of the chairman of oil shell corporation regarding production of oil from used tyres

2129.**Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Jagannath Rao Joshi:

Shri R. V. Bade:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased state

(a) Whether Government's attention has been drawn to the statement of Mr. Coolsbargan, Chairman of Oil Shell Corporation to the effect that they propose to conduct survey for a scheme of producing 1 1/2 lakh gallons of oil and other products out of 80 lakhs used tyres in India; and

(b) if so, Government's reaction theireto;

(c) Whether Government are cooperating in any way in the implementation of the scheme ; and

(d) if not, whether Government have any scheme of their own to produce petrol and other products out of the used tyres.

Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) to (d) Government is not aware of any proposal to conduct a survey with a view to recover oil and other products out of used tyres in India. There is no proposal in the public sector to produce petrol from used tyres.

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक की पूंजी वाले उपक्रम

2130. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री कुमार माझी :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की पूंजी वाले उपक्रमो का राज्यवार विवरण क्या है ; और

(ख) उन में से प्रत्येक के पास कितने शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) 31-3-1973 तक, बैंकिंग, वित्तीय और निवेशी कम्पनियों को छोड़कर तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत तथा परिभाषित निर्जन निर्गमित क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को भी छोड़कर, पश्चिम बंगाल की पूंजी निवेश अर्थात् 10 करोड़ और अधिक की कुल परिसम्पति के मूल्य की सहित 36 कम्पनियाँ और आसाम की एक कम्पनी, संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखीए संख्या एल० टी०—8518/74]**। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में इस प्रकार की कोई कम्पनी नहीं थी। पश्चिमी बंगाल की 36 कम्पनियों की प्रत्येक और असम की एक कम्पनी द्वारा जारी शेयरों की संख्या विवरण-पत्र के कालम 3 और 4 में दी जाती है।

अमृत बाजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच

2131. **श्री एस० एम० पुरती** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत बजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता के मामलों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ): (क) यह धारणा की जाती है कि माननीय सदस्य अमृत बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता को संदर्भित कर रहे हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बहियों का निरीक्षण 1971 में सम्पन्न किया गया था।

(ख) निरीक्षण से कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 2, अनुसूची 6 के साथ पठित धारा 292, 209(1)(ग), 143, 193, 303, 297, 299 और 301, 314, और 211 के सम्बन्ध में उल्लंघन किया जाना प्रगट हुआ।

(ग) इन उल्लंघनों को कम्पनी रजिस्ट्रार पश्चिमी बंगाल द्वारा कम्पनी को लिखा जा रहा है। अन्य विभागों के हित की सूचना उनको दे दी गई है।

रेमिंगटन रैंड आफ इंडिया लिमिटेड

2132. श्री एम० एस० पुरती :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य कोन कौन हैं;

(ख) अंशधारियों के नाम, पते आदि क्या है और उन में से प्रत्येक के पास कितने कितने मूल्य के कितने कितने अंश हैं;

(ग) क्या कम्पनी के कार्यों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ): (क) रेमिंगटन रैंड आफ इन्डिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना उनके 31-3-1973 के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार निम्न प्रकार है :—

1. श्री केशव महेन्द्र, अध्यक्ष
2. श्री एस० एस० कपूर, प्रबन्ध निदेशक
3. श्री आर० एस० त्रिपाठी, निदेशक
4. श्री एस० के० बोस, निदेशक

(ख) 31-3-1973 के तुलन-पत्र के अनुसार, मै० रेमिंगटन रैंड आफ इन्डिया लिमिटेड को प्रदत्त पूंजी 100 रु० की दर के 50,000 अधिमान हिस्सों तथा 10 रु० की दर के 9,32,050 पूर्ण रूपेण आहत साम्य हिस्सों को मिलाकर, 1,43,20,500 रु० की राशि की है। सभी 50,000 अभिमान हिस्से तथा 6,05,850 साम्य हिस्से इसकी धारिता कम्पनी, स्प्रे रेन्ड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इसके मनोनीतों के पास है। इसकी 22-9-1972 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, अन्य निगम निकायों, जिनमें

कम्पनियां, बैंक, बीमा कम्पनियां, तथा वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं, द्वारा धारित साम्य हिस्सों की बाबत ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं :—

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

क्रम संख्या	हिस्सेधारियों के नाम (कम्पनियाँ, बैंक, बीमा कम्पनि तथा वित्तीय संस्थान सहित निगम निकाय)	10 रु० की दर के साम्य हिस्सों की संख्या
1	शेषकिम प्राइवेट लि०	10
2	बंगाल एण्ड आसाम इन्वेस्टर्स लि०	10
3	अमृतलाल एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	10
4	इण्डियन इकोनामिस्ट प्राइवेट लि०	40
5	शेषकिम प्राइवेट लि०, बम्बई	40
6	ससून जे० डेविड एण्ड कम्पनी लि०	100
7	दि एक्सवियर केलवानी मंडल प्राइवेट लि०	100
8	बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता	120
9	इण्डियन स्टाक्स एण्ड शेयर्स प्रा० लि०	200
10	इण्डियन शेयर डीलर्स लि०	200
11	एस० टी० हेलेन्स नोमीनीज इण्डिया प्रा० लि०	290
12	गुजरात इन्वैस्टमेंट ट्रस्ट लि०	300
13	सेंन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लि०	340
14	हनीवर इन्शोरेन्स कम्पनी	440
15	बैंक आफ बड़ोदा, कलकत्ता	900
16	न्यू बैंक आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता	1,080
17	स्टर्लिंग जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि०	1,680
18	बैंक आफ इण्डिया, बम्बई	2,900
19	इण्डिया रिइन्शोरेन्स कारपोरेशन लि०	3,540
20	इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	4,000
21	लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	11,330
22	न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि०	20,584
23	इण्डियन नेशनल डीजल इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०	26,445
24	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, बम्बई	34,185

हड़ताल के दौरान की गयी स्थानीय यात्री गाड़ियां

2133. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली रेलवे हड़ताल के दौरान बन्द की गयी स्थानीय यात्री गाड़ियों का विवरण क्या है ;

(ख) बन्द की गयी इन यात्री गाड़ियों से कितने क्षेत्र की सेवा होती थी ; और

(ग) क्या ये सभी गाड़ियां फिर से चालू कर दी गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मई, 1974 की पिछली रेल हड़ताल के दौरान बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में प्रतिदिन औसतन 630 जोड़ी उपनगरीय गाड़ियां रद्द की गयी ।

(ग) ये सभी उपनगरीय गाड़ियां फिर से चलने लगी हैं ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से प्राप्त की गई स्वीकृति

2134. श्री शशि भूषण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही किसी ऐसी विदेशी कम्पनी ने, जिस के मामले एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये थे, एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त कर ली है ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को मामले सौंपे जाने पर लगी निषेधाज्ञा की किसी मामले में हटाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन विदेशी कम्पनियों के मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे जाने के बारे में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को सौंपे गये विदेशी बहु-हिस्से धारणाकर्त्ता तीन कम्पनियों के मामले, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 21 व 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निपटा दिये थे ।

(ख) तथा (ग) रोकादेश के सम्बन्ध में, दिनांक 27 अगस्त, 1974 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर में दी गई तथा आज सदन में उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2178 के उत्तर में निर्देशित, स्थिति में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(घ) चूंकि ये लिखित याचिकायें उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णित है, अतः इस स्तर पर इन पर अन्य कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बी० डी० तथा जी० डी० मुगलसराय रेलगाड़ी में प्रकाश, पानी तथा पंखों का अभाव

2135. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बी० डी० तथा जी० डी० मुगलसराय रेलगाडी बिना प्रकाश, पानी तथा पंखो के चलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) ऐसे अवसर रहे हैं जब जी डी और बी डी यात्री गाड़ियों में रोशनी और अन्य सुविधाएं संतोषजनक नहीं रही हैं जिनके मुख्य कारण हैं सम्बन्धित खंडों में उपस्करों की चोरियां और उठाईगीरी तथा बदमाशों की गतिविधियां। चोरी और उठाईगीरी पर काबू पाने और इन गाड़ियों के सवारी डिब्बों की कमियों और त्रुटियों से मुक्त रखकर इनका उपयुक्त अनुरक्षण करके इनकी स्थिति में सुधार के लिए विशेष कदम के रूप जो अभियान चलाये गये थे वे जारी रहेंगे

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी कम्पनियां

2136. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में, राज्यवार, कौन-कौन सी गैर सरकारी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां चल रही हैं तथा इन में से प्रत्येक में गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया ; और

(ख) इस अवधि के दौरान कौन-कौन सी कम्पनियां बन्द हो गयी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 31-3-72, 31-3-73 व 31-3-74 के मध्य, पश्चिमी बंगाल राज्य एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में पंजीकृत एवं कार्यरत हिस्सों द्वारा सीमित, प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या, उनकी प्रदत्त पूंजी सहित, संलग्न विवरण-पत्र 1 में दी गई हैं। **[ग्रंथालय म रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8579/74]**

31-3-72, 31-3-73 तथा 31-3-74 तक पश्चिमी बंगाल राज्य एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में पंजीकृत एवं कार्यरत प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के नाम जिनकी संख्या 10,773 है व उनकी अलग अलग प्रदत्त पूंजी की बाबत सूचना के संकलन में पर्याप्त समय एवं श्रम लगेगा। विभाग ने 31-3-1970 तक भारत में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों की एक निर्देशिका प्रकाशित की है। वार्षिक 'ब्लू बुक' एवं मासिक "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" नियमित रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। उन प्रकाशनों की सूचियां, जिनमें इस प्रकार की सूचना है, संसद सदन पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) 1971-72, 72-73 व 73-74 के वर्षों के मध्य, पश्चिमी बंगाल राज्य एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उन कम्पनियों, जिन्होंने परिसमापित होकर अथवा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलिक हो जाने पर कार्य करना बंद कर दिया, की संख्या की बाबत सूचना नीचे दी गई है।–

	1971-72	1972-73	1973-74
पश्चिमी बंगाल	69	68	78
आसाम व मेघालय	3	16	9
त्रिपुरा	..	1	1
मणिपुर	..	..	1
नागालैंड	..	..	..
मिजोराम	..	..	..
अरूणाचल प्रदेश	..	..	..

इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र 2 में दिये गये है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8579/74]**

अपर इण्डिया एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर के कार्य न करने तथा दुर्घटना के अन्य कारणों की जांच

2137. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1974 को इलाहाबाद के निकट अपर इण्डिया एक्सप्रेस में लगभग 44 व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए इस बीच जांच कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या रेलगाडी की खतरे की जंजीर कार्य नहीं कर रही थी और रेलगाड़ी केवल तभी रोकी जा सकी जब एक यात्री इंजन तक पहुंचा और उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा ;

(ग) क्या इस बात का भी पता लगाया गया है कि विस्फोट के तुरंत बाद गाड़ी क्यों नहीं रोकी जा सकी ; और

(घ) यदि हां, इन बातों की जांच के क्या निष्कर्ष हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस दुर्घटना की जांच उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की गयी है। उनके अंतिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना कुछ यात्रियों द्वारा पी जाने वाली बीडी या हुक्के की चिंगारी से बहुत शीघ्र आग पकड़ लेने वाले किसी पदार्थ (जिसके नाइट्रो सेल्लुलोज़ या कोई ऐसा पदार्थ होने का संदेह है) के कुछ थैलों के जल उठने के कारण हुई थी। वे यात्री भी आग में भस्म हो गये थे।

(ख) से (घ) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है। अब तक मिली सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि एक यात्री ड्राइवर से रुकने के वास्ते कहने के लिए इंजन तक गया था। गाड़ी तुरंत रोक दी गयी थी।

मेसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच का प्रतिवेदन

2138. श्री एन० ई० होरो :
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटड के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) बाटा इण्डिया लिमिटेड के कार्य-कलापों की जांच-पड़ताल के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किये गये थे, वरन, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत इसकी लेखा-बहियों की जांच कराई गई है, एवं इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रजिस्ट्रार, निबंधनकारी व्यापार अनुबन्ध ने, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (3) के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को, इस कम्पनी के निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत रहने के आरोपों के लिए इसके विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत जांच के लिये दिनांक 23-2-1974 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा जांच प्रवर्तमान है।

विशाखापतनम न्यायालय से रेल कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों को वापस लेना

2139. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध विशाखापतनम् के न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश के कानून का उल्लंघन करने के कारण राज्य सरकारों द्वारा रेल कर्मचारियों के विरूद्ध अदालत में जो अभियोग चलाये जा रहे हैं उन में कानून के अनुसार कारवाई होनी हो है ।

रेलवे कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही

2140. **श्री धामणकर :**
श्री मधु दण्डवते :
श्री वसंत साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित जांच के अभाव में मई, 1974 की रेल हड़ताल में दंडित किये गये रेल कर्मचारियों को बहाल करने सम्बन्धी गुजरात उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय को देखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अथवा अनुवर्ती कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) रेल कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर एक खण्ड पीठ के पास अपील कर दी गयी है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) कारण यह है कि खण्ड पीठ के पास की गयी अपील का अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

बम्बई हाई में तटदूर तैल की खुदाई के लिए 'रिग्स'

2141. **श्री धामणकर :**
श्री वसंत साठे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई पर तटदूर खुदाई के प्रयोग में वर्तमान "रिग्स" प्रभावी सिद्ध हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अच्छे तथा प्रभावी "रिग्स" की आयात करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बाम्बे हाई पर तटदूर अन्वेक्षण प्रायोजना में केवल एक रिग अर्थात सागर सम्राट कार्य पर लगाया गया है तथा यह प्रभावी सिद्ध हुआ है।

रेलवे में छंटनी

2142. **श्री धामणकर :**
श्री वसंत साटे :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कर्स फैडरेशन ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें रेलवे में छंटनी की नीति की तुरन्त समीक्षा और इसे बदलने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण केवल 20,000 के करीब नैमित्तिक श्रमिकों और एवज़ी कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया था जबकि भारतीय रेलों पर लगभग 3 लाख लोग इस प्रकार नियोजित हैं। लगभग 12,000 श्रमिकों को फिर से काम पर लगाया जा चुका है। हालांकि उनके मामलों की समीक्षा जारी रहेगी। फिर भी उनको फिर से काम पर लगाना काम और संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

अपर इण्डिया एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों की जांच

2143. **श्री धामणकर :**
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :
श्री हरि सिंह :
श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री वसंत साठे :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अपर इंडिया एक्सप्रैस में इलाहाबाद के निकट आग लगने के कारणों की जांच कराई है ; यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ख) रेलों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इस दुर्घटना की जांच उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की गयी है। उनके अंन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना कुछ यात्रियों द्वारा पी जाने वाली बीड़ी या हुक्के की चिंगारी से बहुत शीघ्र आग पकड़ लेने वाले किसी पदार्थ (जिसके नाइट्रो सैल्लुलोज़ या कोई ऐसा ही पदार्थ होने का संदेह है) के कुछ थैलों के जल उठने के कारण हुई थी। वे यात्री भी आग में जलकर भस्म हो गये थे।

(ख) गाड़ियों के डिब्बों में विस्फोटकों, खतरनाक और ज्वलनशील वस्तुओं को सामान के रूप में ले जाना कानून के अन्तर्गत पहले से ही निषिद्ध है। इसके अलावा इश्तिहारों, फ़िल्मों, प्रचार साधनों और लाऊड स्पीकरों आदि से घोषणाओं द्वारा गाड़ियों में आग लगने सहित सभी कोटियों की दुर्घटनाओं को रोक थाम के लिए लगातार निवारक कार्रवाईयां की जा रही हैं। गाड़ियों के डिब्बों में नोटिस भी लगाये जाते हैं जिनमें यात्रियों को सावधान दी जाती है कि वे डिब्बों के अन्दर जलती हुई दियासलाई या सिगरेट न फेंकें और स्टोव अथवा सिगड़ियां न जलायें या पेट्रोल, फ़िल्में या अन्य ज्वलनशील सामान लेकर डिब्बों में न चलें।

फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, ट्रावणकोर के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद

2144. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच कौन-कौन से विवाद अभी बाकी हैं जिनके बार में समझौता नहीं हुआ ; और

(ख) क्या कर्मचारियों ने धमकी दी है कि यदि उसकी शिकायतों को दूर करने के लिये प्रबन्धकों ने आवश्यक पग न उठाये तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे और यदि हां, तो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बकाया विवादों में से एक विवाद, जिस पर समझौता नहीं हुआ था, कोचिन प्रभाग के प्रबंधकों तथा श्रमिक यूनियनों के बीच हुए समझौते की क्रियान्विति से संबंधित था। कर्मकारों ने समझौते की क्रियान्विति न किये जाने से हड़ताल करने की धमकी दी थी। सरकार ने अब कुछ शर्तों पर इस समझौते का अनुमोदन कर दिया है। अन्य शेष विवादों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Agreement for Transportation of Goods between India and Bangla Desh

2145. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Railways** by pleased to state:

(a) Whether there has been any agreement between India and Bangladesh under which transportation of goods by rail would be possible between the two countries ;

(b) if so, the salient features there of ; and

(c) the estimated quantity of goods to be so transported annually?

Dy. Minister in the Ministry of Railways (Sardar Buta Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Salient featuress of the Agreement are given at Annexure 'A

(c) During March, 1974 to October, 1974 2,731 Broad Gauge and 869 Metre Gauge wagons were interchanged by the Eastern and Northeast Frontier Railways respectively with Bangaladesh Railway. The level of interchange for the remaining periods of the year depends on the trade acivity between the two countries from time to time.

STATEMENT

Salient Features of Fundamental Rules Governing the Inter-Change of Railway Traffic and Rolling Stock between the Government of India and Bangla Desh

1. India Bangladesh traffic shall be interchange at the following points:

On Board Gauge	1. Bangaon (Eastern Railway)
	2. Ranaghat (Eastern Railway)
	3. Amnaura (Bangladesh Railway)
Metre Gauge	1. Parbatipur (Bangladesh Railway)
	2. Lalmanrihat (Bangladesh Railway)
	3. Akhaura (Bangladesh Railway)

2. The rates and fares shall be quoted by the Railways in either country upto the boundary. All India and Banglaoesh traffic shall be pre-paid upto the border and will move as "to pay" for the remaining portion of the transit. This system will apply to rail-cum-steamer traffic also, provided the forwarding and receiving station is situated in Bangladesh .

3. In case of passenger luggage, horse carriage, dog and parcel traffic, for which pre-payment of freight is compulsory, the forwarding country shall be entirely responsible for the correctness of the freight from start to destination. In case of goods and parcel cross traffic, the country receiving the traffic shall be entirely responsible.

4. All the traffic shall be booked through to destinations and the booking Railway will supply the necessary rolling stock. The acutal rout by which the consignment is booked shall be selected as laid down by each country in its own publications.

5. If it is discovered at the custom inspection post that goods have been misdeclared by the consigner, it will be the duty of the destination station to collect the necessary under-charges and credit the proportion of these under charges to the forwarding country.

6. India ond Bangladesh Railways will work to target wagon balance to be fixed from time to time by mutual agreement between the two countries. Penalty will be prescribed and imposed when usually agreed target are not aced upon. The hire charges for wagon shall be payable by the debtor railway at such rates as may be fixed from time to time.

Exploration for Oil at various places

2146. **Shri B. S. Chowhan:**
Shri Phool Chand Verma:
Shri M.V. Krishnappa:
Shri Bhaura:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number and names places in the country where exploration for oil was carried out during the last three years ;

(b) the total expenditure incurred on the exploration; and

(c) the broad outlines of the reusts of the exploration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri. C. P Majhi) : (a) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(b) During the years 1971-72 to 1973-74 the ONGC incurred, on exploration and development of hydrocarbons in India, a total expenditure of Rs. 90.46 crores. The total expenditure on exploration incurred by Oil India Ltd., for the calender years 1971 1972 and 1973 is estimated at about Rs. 4.36 crores.

(c) During the period, the ONGC discovered a large number of possible hydrocarbon bearing stuctures. As a result of drilling and testing, oil/gas was encountered in 8 structurers in Gujarat and 2 in Assam. During the calender years 1971, 1972 and 1973 Oil India Limited discovered gas in Tengakhat area and oil/gas in Taragan, Nagajan and Jorajan areas.

Statement

During the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74, the ONGC conducted geological, gravity—magnetic and seismic surveys for oil and gas in various parts of J&K Rajasthan, Uttar Pradesh, Pnjab, Himachal Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Pondichery, Gujarat Madhya Pradesh, Maharashtra and the Arabian Sea area. Besides drilling operations were carried out by the Commission on 63 structures on land in the states of J&K, Gujarat, Assam, Tripura, Rajasthan, Tamil Nadu & Pondichery and on 2 soffshore structures in the Arabian Sea.

In so far as Oil India Ltd., is concerned, this company apart from proving the extent and developing the resources of its 2 important oil fields at Nahorkatiya and Moran in Assam, undertook intersive exploration for oil, during the last 3 years at Tengakhat, Nagajan, Jorajan and Tarajan area (all in Assam) and at Kharsang in Arunachal Pradesh.

नाइट्रोजन्स उर्वरक के उत्पादन में कमी

2147. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नाइट्रोजन्स उर्वरक का उत्पादन आशा से कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) नाइट्रोजन्स उर्वरक के उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) 1974–75 के दौरान 14.33 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन्स का उत्पादन होने की संभावना है जब कि इसका पहला अनुमान 15 लाख मीटरी टन था। उत्पादन में कमी मुख्यत: यांत्रिक रुकावटें, अपर्याप्त बिजली की सप्लाई, वर्ष के दौरान पूर्ण किए जाने वाले संयंत्रों को आरंभ न करने तथा कोचिन और दुर्गापुर में स्थायी रूप से उत्पादन रखने में प्रोद्योगिकी कठिनाइयों के कारण हुई थी। बिजली वोल्टेज में बार बार घटाव-बढ़ाव और ठीक कोटि के अपेक्षित कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी उत्पादन में कमी हुई है ।

(घ) आयात और उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग द्वारा कमी को यथा संभव पूरा करने का प्रस्ताव है ।

तेल संकट को दूर करने के लिए कार्यवाही

2148. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आशा है कि तेल का संकट समाप्त हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह आशा किन बातों पर आधारित है ;

(ग) क्या अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में विदेशी मुद्रा नियंत्रण से तेल संकट दूर करने में कोई बाधा नहीं आयेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) गत वर्षों में देश में पेट्रोलियम उत्पादों को खपत में 9 प्रति वर्ष मिश्रित दर से वृद्धि हुई है। कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भारी दबाव पड़ा है, उसके लिए पेट्रोलियम पदार्थों के अनावश्यक उपभोग में अधिकतम सीमा तक कटौती करने तथा वर्तमान वर्ष में उपलब्धता को लगभग गत वर्ष के स्तर पर बनाये रखने के लिए कदम उठाये गए हैं। जब कि भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता तथापि देश के आर्थिक विकास को बनाये रखने के हेतु समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(क) देशीय कच्चे तेल का अधिकतम उत्पादन करने के प्रयत्नों को गहन कर दिया गया है।

(ख) अनेक इष्टतम प्रयत्नों द्वारा शोधनशालाओं के कच्चे तेल के उत्पादन प्रारूप को इस प्रकार से समायोजित किया गया है ताकि अधिकतम बचतशील उत्पादन किया जा सके। इसके लिए उत्पाद नूम्नों को यथासंभव समायोजित किया गया है।

(ग) कुछ उत्पादों जैसे मोटर गैसोलीन लुब्रिकेटिंग आयल, विटुमैन आदि के खपत में कमी करने हेतु राजकोशीय उपाय किये गए हैं। कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु, भट्टी के तेल के मूल्य भी बढ़ा दिये गए हैं। ईंधन के प्रयोग में कुशलता बढ़ाने हेतु भी उपाय किये गए हैं। मिट्टी के तेल को उपलब्धता, जो निजी खपत की एक मद है, को अधिकतम संभव सीमा तक कम कर दिया गया है।

(घ) उन पेट्रोलियम उत्पादों का जो हमारी आवश्यकता से अधिशेष है निर्यात किया जा रहा है। उन उत्पादों जिनसे अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं, के निर्यात को अधिकतम कर दिया गया है।

(ङ) ईरान और ईराक से द्विपक्षीय आस्थगत भुगतान के आधार पर कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था की गई है।

उन देशों जिन पर तेल मूल्यों में तोव्र वृद्धि तथा परिणामस्वरूप उनकी अदायगी भुगतान स्थिति बहुत बिगड़ गई है के सहायतार्थ अनेक प्रस्ताव तथा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विचाराधीन है। आई० एम० एफ० द्वारा तेल सुविधा स्थापना जिसमें से हमने कुछ धनराशि भी ली है, एक बड़ा ठोस कदम है।

औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र द्वारा औषधियों के उत्पादन पर ऋण पर लगे प्रतिबन्ध का प्रभाव

2149. श्री के० एस० चावडा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र द्वारा औषधियों के उत्पादन पर ऋण पर लगे प्रतिबंध के क्या क्या प्रभाव हुए हैं ;

(ख) क्या उन विदेशी फर्मों पर ऋण पर लगे प्रतिबंध का प्रभाव नहीं हुआ है जिनके पास अत्यधिक मात्रा में पूंजी है ; और

(ग) भारतीय क्षेत्र, विशेषकर औषध उद्योग के लिए ऋण पर लगे प्रतिबंध में छूट देकर सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध निर्माताओं के अनेक संगठनों द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया है कि हाल की ऋण कटौती का औषध उद्योग के विकास पर कुप्रभाव पड़ चुका है। ऋण कटौती के कारण औषधों की उपलब्धता पर पड़े संभावित कुप्रभाव के बारे में अक्तूबर, 1974 की एक बैठक जिसमें औषध उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था में विचार-विमर्श किया गया था। बैंकिंग विभाग के प्रतिनिधियो द्वारा यह बताया गया कि ऋणदान के बारे में पूर्ण कटौती नहीं की गई है और यदि कोई कंपनी ऋण के उपयोग के बारे में विवरण देती है तथा अपनी अग्रिम आवश्यकताओं कों सामने रखती है, तो उसका बैंकर उस कंपनी को आवश्यक अग्रिम ऋण देने के लिए तैयार हो जाएगा।

(ख) ऋण कटौती का प्रभाव प्रत्येक एकक पर अलग अलग होता है जो उसकी परिसम्पत्ति विक्रय रखे गए आरक्षण तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर आधारित करता है, इसलिए ऋण कटौती का सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र पर पड़े प्रभाव के बारे में हिसाब लगाना संभव नहीं है।

(ग) 9 अक्तूबर 1974 की बैठक, जिसकी ऊपर (क) में चर्चा की गई है, में उद्योग ने बैंकिंग विभाग को एक ज्ञापन देने को कहा है जिसमें वे उनके सामने आने वाली कठिनाइयां के वास्तविक रूप के बारे में विशिष्टता पूर्वक बताएंगे ताकि सरकार मामले में निवारक कारवाई कर सके।

Public Sector Companies Working under the Ministry of Petroleum and Chemicals

2150. Shri Chandulal Chandrakar

Shrimati Roza Vidyadhar Deshpande :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of companies and corporations in the public sector under his Ministry;

(b) the capital invested therein, separately;

(c) the amount of loss suffered or profit earned by each company or corporation during the last three years; and

(d) whether and step is being taken to save them from suffering loss?

The Deputy Minister in The Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) A list containing the names of the public sector companies and corporations under the Ministry of Petroleum and Chemicals is attached.

(b) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Statement

1. Indian Oil Corporation Ltd.
2. The Indo-Burma Petroleum Co. Ltd.
3. Bitumen Marketing Corporation Ltd.
4. Oil & Natural Gas Commission.
5. Madras Refineries Ltd.
6. Engineers India Ltd.
7. Lubrizol India Ltd.
8. Cochin Refineries Ltd.
9. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
10. Indian Petrochemicals Corporation Ltd.
11. Bongaigaon Refinery & Petrochemical Ltd.
12. Fertilizer Corporation of India. Ltd.
13. Fertilizers & Chemicals (Travancore) Ltd.
14. Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd.
15. National Fertilizers Ltd.
16. Madras Fertilizers Ltd.
17. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
18. Hindustan Organic Chemicals Ltd.
19. Hindustan Antibiotics Ltd.
20. Hindustan Insecticides Ltd.

Cancellation of Trains in Bihar due to Demonstration on 4th November, 1974

2151. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government had to cancel 50 trains in Bihar as a result of the demonstration on the 4th November, 1974.

(b) if so, the amount of loss suffered by Railways as a result to the cancellation of these trains; and

(c) whether the demonstrators have caused any damage to the Railway property also on this day?

The Deputy Minister in The Ministry of Railway : (a) Yes.

(b) The approximate loss in passenger earnings is estimated to be Rs. 1.31 lakhs.

(c) Yes.

कुछ विदेशी औषध फर्मों द्वारा अपनी मूल कम्पनियों के साथ अनियमित रूप से बीजक बनाया जाना

2152. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी औषध फर्में अर्थात् मैसर्स फाइजर लिमिटेड होयस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज इण्डिया लिमिटेड, मैसर्स जानवेथ लिमिटेड तथा कुछ अन्य औषध फर्में अपनी मूल कम्पनियों के साथ सौदा में कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेसर्स वारनर हिन्दुस्तान द्वारा 'चिकलैट्स' का उत्पादन

2153. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड विविधीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत "चिकलैट्स" का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने किस तिथि को उनके मामले तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास भेजे तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के उत्तर की मुख्य बातें क्या हैं जिसमें "चिकलैटस" के उत्पादन के लिये विविधीकरण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ;

(ग) क्या यह फर्म "पिकोलिन" बनाने के लिये प्रतिबन्धित वस्तुओं तथा जंग लगी और पुरानी मशीनों का आयात भी करती है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने इस फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1966 में घोषित विविधीकरण नीति के अन्तर्गत कुछ शर्तों के आधार पर औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसीकृत औद्योगिक उपक्रमों को नो लाइसेंस प्राप्त किये बिना नये उत्पादों के उत्पादन प्रारंभ करने में उसके अपने उत्पादन को विविधकृत करने की स्वतंत्रता थी। सरकार द्वारा घोषित उपरोक्त विविधीकृत नीति के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं के अनुसार फर्म ने चुंगम तथा चिकलेट का उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया था।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

7—39 LSS/74

Setting up of petrol and diesel pump in rural areas of Bihar

2154. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Petroleum and Choemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have been setting up petrol pumps and diesel and petrol selling shops in the urban areas only;

(b) whether this is entrusted only to the rich people;

(c) whetner no petrol pump/diesel and petrol selling shop has been set up in the rural areas of Champaran District in Bihar where petrol and diesel can be sold in large quantity; and

(d) whether the rural areas are being discriminated against in this respect?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) & (b) No, Sir.

(c) Public Sector Oil Companies have a total of 13 retail outlets in Champaran District, Bihar. Of these, 9 outlets are mainly serving the rural demands.

(d) No, sir.

Standard of living of Judges and advocates

2155. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Law, Justice and Comphny Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the structures of High Courts and the Supreme Court and the standard of living of the judges and advocates are inconsistent with the present poverty in India and the Indian traditions ;

(b) wnether in accordance with the statistics of the Planning Commission, the monthly income of more than 70 per cent of the people in India is Rs. 40 ; and

(c) if so, the number of cases of the persons falling in the category (b) above pending in High Courts and Supreme Court at present and whether Government are giving a thought to the question as to how these persons can get justice in the existing set up ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) :(a) to (c) The High Courts and the Supreme Court have been established in accordance with the provisions of the Constitution. The salaries of judges of these Courts are also laid down in the Constitution. The standard of living of the Judges and advocates is relatable to their monthly income and not to the general economic condition of the people.

The High Courts and the Supreme Court do not maintain statistics regarding the monthly income of the litigants. The question of legal aid to the poor is under consideration of Government

Losses Suffered by Railways in Bihar

2156. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the nature of losses suffered in various Railway zones in Bihar during or around the period from the 3rd to 5th October, 1974 ;

(b) Ehe extent of loss suffered in terms of money, zone-wise ; and

(c) the scheme proposed to be drawn up by Government to prevent such losses in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh):(a) Tampering with track, Up-rooting of rails, Physical obstruction in the movement of trains, Forcible dropping of fire from engines, Wire/Cable cutting and damage to signalling gears etc., Arson/damage to Stations Cabins, Rolling stock etc., Cancellation of trains and restroration of traffic.

(*b*) *Eastern Railway* : Rupees 2,96,302 approximately.

North-Eastern Railway : Rupees 3 Lakhs approximately.

(c) Revised Security Scheme is being prepared by the Railway Administration in liaison witn the State Government of Bihar to meet emergent situations of this natures.

Translation of Laws in various languages

2157. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme under which all the laws passed by Central Government since 1952 to 10th October, 1974 will be translated into different languages of the country and will be made available to tne voters ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (a) and (b) The Government of India have made arrangements with the State Governments concerned for getting all the Central Acts translated into the Official languages of the States through the agencies of the State Governments. The State Governments are paid by the Government of India for this work at a mutually agreed rate. The translations prepared by the State Government agencies are examined and finalised by the Central Official Language (Legistlatve) Commission. The finalised translations are, proposed to be printed and published and made available to the public as early as possible.

हल्दिया तेल शोधक कारखाने को बन्द किया जाना

2158. **श्री सी० जनार्दन :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने ने कार्य करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और कार्य फिर से कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) हल्दिया शोधनशाला का फ्यूल (ईंधन) सैक्टर का अशोधित तेल को साफ करने वाला एकक ने अगस्त, 1974 के अन्तिम सप्ताह में परीक्षण कार्य प्रारंभ किया। परीक्षण कार्य के लगभग 4 सप्ताह के पश्चात पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षण के आगामी चरण में कार्य करने के लिए, जिसमें कैटलिस्ट रिफार्मिंग यूनिट का परीक्षण कार्य सम्मिलित है, संयंत्र को बन्द कर दिया था। इन परीक्षण कार्यों के आगामी कुछ दिनो में प्रारंभ हो जाने की आशा है। कैटलिस्ट रिफार्मिंग यूनिट के कार्य के स्थिर हो जाने के बाद अशोधित तेल को साफ करने वाला एकक को भी प्रारम्भ किया जायेगा तथा अशोधित तेल को साफ करने वाला एकक के प्रतिभूति परीक्षण कार्य तथा रिफार्मिंग ब्लाक यूनिट को दिसम्बर, 1974 के दौरान प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

तोड़-फोड़ अथवा रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण दुर्घटनाएं

2159. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री वी० मायावन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के वर्दवान स्टेशन पर 12 अगस्त, 1974 को 338 डाउन गया यात्री गाड़ी और टावर वैगन संख्या 819 के बीच टकराव रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण से था ;

(ख) क्या रेल दुर्घटनाओं के बारे में कुछ जांच प्रतिवेदनों में, जो केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए, आरोप लगाया गया है कि दुर्घटनाओं का कारण या तो तोड़फोड़ था या रेलवे कर्मचारियों की असफलता ; और

(ग) यदि हां, तो कितने जांच प्रतिवेदनों से यह तथ्य प्रकट हुआ है और प्रत्येक प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन दुर्घटनाओं से है जिनकी संविधिक जांच रेल संरक्षा आयोग के अधिकारियों द्वारा की गयी थी । जहां तक 1-1-1974 से 31-10-1974 तक की अवधि में हुई दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, 7 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । इन में से 5 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती से हुई और दो रेल कर्मचारियो से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती से ।

9 मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली हैं जिनमें अनन्तिम निष्कर्ष दिये गये हैं । अनन्तिम निष्कर्षों से पता चलता है कि इनमें से 5 मामले रेल कर्मचारियों की गलती से हुए और तीन मामले रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों से । शेष मामला किन्हीं अज्ञात व्यक्तियो द्वारा रेल पथ की छेड़-छाड़ के कारण हुआ । ऐसे मामलों में अपराधियों की धर-पकड़ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिन्हें पहले ही लिखा जा चुका है । जहां कहीं रेल कर्मचारियो का दायित्व ठहराया गया है, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

संयुक्त सदाचार समिति, गुजरात से अभ्यावेदन

2160. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सदाचार समिति, गुजरात ने 5 अगस्त, 1974 को सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था जो कुछ कम्पनियों, विशेष कर उन कम्पनियो द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के पालन के बारे में था जो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गए गुजरात में विविध गैर-बैंककारी कम्पनियों रिज़र्व बैंक निदेश, 1973 के अन्तर्गत आती है ;

(ख) क्या उन के मंत्रालय ने अभ्यावेदन की जांच की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह परीक्षाधीन है ।

गुजरात सरकार को वैगनों का अलाटमेंट

2161. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को अलाट किए गए रेल डिब्बों की संख्या उक्त राज्य द्वारा मांगे गए डिब्बों से बहुत कम थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को कम डिब्बे उपलब्ध करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य को सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1974 में कम डिब्बों का नियतन करने के कारण राज्य के सूखा एवं दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों को आवश्यक खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की जा सकी ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त महीनों के लिए कुल मांग क्या थी, और राज्य की मांग के अनुरूप डिब्बों की पूरी सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल के आयात में कमी

2162. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में अशोधित तेल के आयात में कमी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल के आयात के लिए 858 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आबंटन किया गया था । तथापि, विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि के कारण, कच्चे तेल के आयात में थोड़ी कमी कर दी जाएगी । इस से देश की कच्चे तेल सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । देश के निरन्तर आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित सभी अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ।

इलेक्ट्रिकल लोकोशेड, भिलाई में सुरक्षा उपाय न किये जाने के बारे में अभ्यावेदन

2163. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इलैक्ट्रिकल लोको शेड, भिलाई में अधिकारियों और सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा उपाय न किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) उस के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मार्टिन रेलवे अरीह, भजपुर (बिहार) का राष्ट्रीयकरण

2164. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मार्टिन रेलवे अरीह, भजपुर (बिहार) का राष्ट्रीयकरण करने की मांग के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आरा-सासाराम लाइट रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इस रेलवे को लेने की केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई योजना नहीं है क्योंकि वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं होगा । लेकिन बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अस्वस्थकर सड़क प्रतिस्पर्धा से इस रेलवे की रक्षा करे तथा इस रेलवे को कार्य कुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में इसके अनुरोध पर विचार करे ।

पूर्वी प्रदेश में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

2165. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी प्रदेश की लगभग 900 रेलगाड़ियां स्थायी रूप से रद्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । पूर्वोत्तर सीमा, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर केवल 60 गाड़ियां रद्द की गयी हैं ।

(ख) इन गाड़ियों में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें रद्द किया गया है । फिर भी यातायात की मात्रा पर निगाह रखी जा रही है और यदि इसमें वृद्धि नजर आयी तो बाद में गाड़ी सेवाओं में उपयुक्त वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा ।

वकालत की दोहरी पद्धति को समाप्त करने की मांग

2166. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों द्वारा वकालत की दोहरी पद्धति (सालिसिटर और एडवोकेट) की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या इस पद्धति को समाप्त करने की निरन्तर मांग की जाती रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी): (क) मुम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालय ।

(ख) और (ग) इस विषय पर इससे संबंधित व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं और उन पर सरकार ने अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

हल्दिया की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये राज्य मंत्री का दौरा

2167. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिन के दौरे के दौरान परियोजना के सम्मुख आ रही कठिनाइयों का मौके पर अध्ययन करने के लिए हाल्दिया निर्माण स्थल पर गये थे ; और

(ख) उन के अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के मीटर गेज सेक्शन के कर्मचारियों को गर्मी तथा सर्दी की वर्दियां

2168. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मीटरगेज के रेलवे कर्मचारियों को उनकी मिलनेवाली गर्मी अथवा सर्दी की वर्दियां प्रदान नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सर्दि का मौसम शुरू हो गया है उनको सर्दी की वर्दी तत्काल सप्लाई करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के मीटर लाइन खंड के लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारियों को 1974 की गर्मी की वर्दियां पहले ही दी जा चुकी है। 1974-75 के जाड़े की वर्दियों की भी सप्लाई प्रारम्भ हो गयी है। गर्मी और जाड़े की बाकी वर्दियों की सप्लाई शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) उत्तर रेलवे ने 1974-75 की जाड़े की वर्दियों की सिलाई का ठेका शाहजहांपुर के आयुध वस्त्र कारखानों को दिया था । कारखाने में बिजली की कटौती तथा श्रमिक अशांति के कारण वर्दियों की सप्लाई में देर हुई ।

(ग) रक्षा उत्पादन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि शाहजहांपुर के वस्त्र आयुध कारखाने को कहे कि 1974-75 के जाड़े की वर्दियां तुरन्त बनाये ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

2169. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और पुनर्गठन कब तक किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न एककों में रेल डिब्बों का निर्माण

2170. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बे बनाने वाले विभिन्न निर्माण एककों में गत एक वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के डिब्बों सहित कुल कितने डिब्बों का निर्माण किया गया ;

(ख) नये बनाये गये कितने डिब्बों में वे सभी सुविधायें उपलब्ध है जो द्वितीय श्रेणी के डिब्बों के लिये अपेक्षित हैं ; और

(ग) ब्राड एवं मीटर गेज लाइनों के लिए उनकी अलग अलग संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973-74 के दौरान 1308 बोगी सवारी डिब्बों का निर्माण हुआ ।

(ख) 1973-74 के दौरान निर्मित सभी तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में जिनको अब द्वितीय श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है सभी विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध है । संख्या नीचे (ग) में दी गयी है ।

(ग)

	(तिसरे दर्जे के सवारी डिब्बे जो अब द्वितीय श्रेणी है)	अन्य सवारी डिब्बे	जोड़
बड़ी लाइन .	941	198	1139
मीटर लाइन . .	127	29	156
छोटी लाइन . .	6	7	13

बर्मा शैल को अधिकार में लेने के बारे में बातचीत

2171. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री मधु दण्डवते :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बर्मा-शैल के तेल हितों को सरकारी अधिकार में लेने के लिए चल रही बातचीत किस अवस्था में है ;

(ख) सरकार द्वारा रखी गयी शर्तों की रूपरेखा क्या है और "एस्सो" के साथ हुये समझौते की शर्तों से किस प्रकार भिन्न है ; और

(ग) इस मामले के अन्तर्गत निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) बातचीत की जा रही है । बर्माशैल की परिसम्पत्तियां अर्जित करने की रूपरेखा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सरकार इस संबंध में शर्तों तथा अन्य प्रश्नों पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कालटैक्स को अधिकार में लेने के बारे में बातचीत

2172. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स ने भारत में उसके कार्य को सरकारी अधिकार में लेने के बारे में कोई पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अब तक हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय). : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विध्वंसक गतिविधियों तथा हिंसात्मक आंदोलन के कारण हुई हानी

2173. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में विध्वंसक गतिविधियों तथा हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) लगभग 2.38 करोड़ रुपये की जिसमें यातायात की अस्त-व्यस्तता के कारण हुई यातायात की हानि शामिल है ।

(ख) (1) रेल प्रशासन राज्य के कार्यकारी तथा राज्य की पुलिस के खुफिया विभाग से निकट सम्पर्क रखते हैं और वे रेल-संचालन को प्रभावित करने वाले विषयों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सम्बन्धी सूचना का विनिमय करते हैं ।

(2) जब गड़बड़ी की आशंका होती है तब राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा भेद्य स्थानों पर पहरा दिया जाता है और भेद्य खंडों पर गश्त लगायी जाती है ।

(3) जिन क्षेत्रों में गड़बड़ी होने का संदेह होता है वहां रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अलावा, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा प्रभावित खण्डो पर गाड़ियों के मार्ग-रक्षण की कार्रवाई की जाती है ।

(4) जहां गड़बड़ी होने की आशंका होती है उन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों के नजदीक और निकटस्थ रेल पथपर गश्त की व्यवस्था स्थानीय पुलिस करती है ।

(5) रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के घातक प्रभाव को जनता के समक्ष रखने के संबंध में भी कदम उठाये जाते हैं ।

(6) रेल सम्पत्ति की ऐसी क्षति/बर्बादी के निवारक उपाय के रूप में रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां / विशेष लेख/ब्रोशर जारी किये जाते हैं । अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा रेडियो पर भी चर्चा की जाती है । इस विषय में, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री परिषद् का भी सहयोग मांगा गया है ।

(7) रेल सम्पत्ति को विनष्ट करने के संबंध में अधिक भयावह दण्ड देने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में संशोधन किया गया है ।

वर्ष 1973-74 में रजिस्टर्ड की गई गैर-सरकारी कंपनीयां

2174. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 – 74 में, राज्यवार कितनी गैर-सरकारी कम्पनियां रजिस्टर्ड की गई थीं; और

(ख) इन कम्पनियों की प्राधिकृत पूंजी क्या है ?

वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) 5,09,83 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी सहित, शेयर द्वारा लिमिटेड 3713 गैर-सरकारी कम्पनियां 1973-74 के मध्य देश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी।

इन कम्पनियों का राज्यवार वितरण और उनकी प्राधिकृत पूंजी संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है।

विवरण

1973–74 में समस्त राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में पंजीकृत शेअर द्वारा लिमिटेड गैर-सरकारी कंपनियों की संख्या और उनकी प्राधिकृत पूंजी

राज्य	कम्पनियों की संख्या	प्राधिकृत पूंजी (लाख रु०)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	109	1354
असम	65	671
बिहार	116	501
गुजरात	245	7156
हरियाणा	33	610
हिमाचल प्रदेश	13	104
जम्मू और काश्मीर	11	144
कर्नाटक	199	3302
केरल	98	842
मध्य प्रदेश	92	1144
महाराष्ट्र	865	9658
मेघालय	9	49
उड़ीसा	21	208
पंजाब	135	1066
राजस्थान	70	612
तमिलनाडु	238	3768

1	2	3
त्रिपुरा	1	1
उत्तर प्रदेश	171	2301
पश्चिम बंगाल .	577	10908
चण्डीगढ़	21	116
*दिल्ली .	595	6198
गोवा, दमन और दीव	24	260
पांडिचेरी .	4	10
अन्डमान और निकोबार .	1	--
योग	3713	5,09,83

*15 लाख रु० की प्राधिकृत-पूंजी सहित गैर लिमिटेड देयता की केवल एक प्राइवेट कम्पनी सम्मिलित है ।

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी

2175. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी बर्खास्तगी के क्या कारण है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय अधिकारी संघ समन्वय समिति ने बर्खास्तगी के इन नोटिसों को वापस लेने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के दो अधिकारीयो को हाल ही में बर्खास्त किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित सूचना प्राप्त हो जाने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के क्लीयरिंग तथा फारवर्डिंग एजंटो की कार्यविधी को बढाना

2176. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **विधी, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने दिल्ली तथा अन्य स्थानों में अपने एकमात्र ठेकेदारों जिन्हें क्लीयरिंग तथा फारवर्डिंग एजेंटों के रूप में जाना जाता है, की कार्यावधि को बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के रूप में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को इस मामले को सौंपने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधी, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी के अनुबन्धों से ऐसे संकेत नहीं मिलते कि कम्पनी द्वारा "क्लीयरिंग तथा फारवर्डिंग एजंटों" के रूप में, अनन्य ठेकेदारों से कोई समझौता किया गया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत किये गये हाल के निरीक्षण से भी कोई ऐसी सूचना प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) रजिस्ट्रार, निबंधनकारी व्यापार अनुबन्ध, जिसने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्धों की सन्वीक्षा की है को एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिये कोई औचित्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

गाडियों में यात्रियों को घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ दिया जाना

2177. श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडियों मे यात्रियों को सप्लाई किये गये खाद्य पदार्थो की किस्म में गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तों उसके क्या कारण है ; और

(ग) उसे सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये है !

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खानपान के स्तर में कुछ और सुधार करने के लिये किये गये उपायों में से कुछ इस प्रकार है :—

(i) लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाडियों में से परम्परागत भोजन यानों को क्रमश: हटाकर मार्ग में विभिन्न स्थानों पर बनाये गये आधुनिक रसोईघरो में तैयार किये गये 'परोसने के लिये तैयार' भोजन उठाकर यात्रियों को दिया जाता है जिससे अधिक स्वास्थ्यप्रद स्थिति में तैयार बेहतर भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित् की जा सके।

(ii) अधिकांश यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कम दाम वाला पैक किया हुआ भोजन देना शुरू किया गया है।

(iii) विभिन्न विभागीय भोजनालयों में भोजन संबंधी आधुनिक तरीकों और उपकरणों का उपयोग जैसे गरम पेटियों, इनसुलेटेड ट्रालियो; इडली चूर्ण उपस्करो, रेफ्रिजरेटरो, कीटाणुनाशकों और धुलाई मशीनों आदि की व्यवस्था की गयी है।

(iv) विभागीय खानपान स्थापनाओं में नियोजित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है।

(v) सभी शिकायतों की पूरी तरह जांच की जाती है और गलती करने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध समुचित निवारक और दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में उल्लेख से बचने के लिए कंपनियों द्वारा अपनाए गये हथकंडे

2178 श्री मधु लिमये : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में उल्लेख से बचने अथवा उसमें बाधा डालने के लिये विभिन्न विदेशी कम्पनियों और उनकी शाखाओं और सहायक कम्पनियों द्वारा विभिन्न युक्तियों तथा हथकंडों को अपनाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह बात भी सरकार की नोटिस में लायी गयी है कि इन हथकंडों में संबंधित विभागों के कुछ लोगों की सांठ-गांठ है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों के उल्लेख से बचने संबंधी इन हथकंडों और बाधा डालने का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कुछ विदेशी कम्पनियों तथा उनकी सहायकों, जिन्होंने, आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिये किये गये निर्देशनों के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के अन्तर्गत लिखित याचिकायें दायर की हैं, के ब्यौरे, दिनांक 27 अगस्त, 1974 को सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर में दिये गये थे। इस प्रकार के निर्देशनों के विरुद्ध लिखित याचिकाएं दायर करने के वैधिक प्रत्यपाय से अलग, कुछ कम्पनियों द्वारा अपनाई गई रीति, मुख्य रूप से, आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिये निर्देशित आवेदन पत्रों को वापिस लेने के लिये है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) उपरोक्त (क) में यथावर्णित कम्पनियों द्वारा अपनाई गई प्रत्युपाय प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

आल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड, नागपुर के विरुद्ध अभ्यावेदनों का प्राप्त होना

2179 श्री मधु लिमये : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आल इण्डिया रिपोर्टर लिमिटेड, नागपुर के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो इन अभ्यावेदनों मे मुख्य आरोप क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मुख्य आरोप हैं कि :

"अधिमान शेयरहोल्डरों की हानि करके साम्य शेयर धारण करने वाले चिटलों को लाभ दिये जानेपर अभिकथित कम्पनी को कपटपूर्ण पूंजी संरचना आरोपित आल इण्डिया रिपोर्टर के मूल्य में बढ़ोतरी, व्यवसायिक सेवाएं प्राप्त करने के वेश में कम्पनी के अध्यक्ष श्री पी० पी० देव को भारी हितकारी अदायगी नाममात्र के मूल्य पर श्री जी० डब्ल्यु० भिन्डे को मुद्रण मशीनरी की बिक्री, कागज एंव जरंगालो के स्टाक लेखे को न रखना, प्रबन्ध निदेशक के रिश्तदारो की ऊंची वेतनों पर नियुक्ति, चिटलो के हित में गृहवास को खरीद का निर्माण, निधियों के मोड़ हेतु मैसर्स भोला राम एंड सन्स, बम्बई नाम की फर्म का झूठा सृजन, बोनस अधिनियम में अदायगी के उपबन्धों का उल्लंघन, नाममात्र के मूल्यों पर श्री चित्तले के निकट संबंधियो की सम्पत्ति/भवनों को

बिक्री, आय को भारी मात्रा में छिपाना, वेतन के संबंध में अन्याय श्रम प्रथाएं, अतिरिक्त मजदूरी भत्ते को न देना, महंगाई भत्ते की अदायगी या बढ़ोतरी आदि के प्रबन्ध में अतत्परता ।

(ग) कम्पनी की लेखा बहियों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट से कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की कोई सामग्री नहीं मिलती है जिसमें कार्यवाही अपेक्षित हो । शिकायत पत्र में उल्लिखित बातें जो अन्य विभागों के हित में हैं, उनको संचारित कर दी गयी है ।

सागर सम्राट में तेल के लिए ड्रिलिंग काम में लगे अमरीकी विशेषज्ञों को अदा की गई राशि

2180. श्री भोगेंद्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई हाई में सागर सम्राट के कार्य में लगे अमरीकी विशेषज्ञों को अब तक कुल कितनी धनराशि अदा की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई निर्धारण किया है कि तेल की खोज के बारे में समाजवादी देशों और स्टार्लिंग देशों में से कौन से देश सबसे सस्ता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के निष्कर्षों की रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

गत एक वर्ष के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

2181. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) इनमें कुल कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ; और

(घ) इसके कारण उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-11-1973 से 31-10-1974 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर, गाड़ियों को टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 850 दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का लगभग 2,21,33,978 रुपये का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 269 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 843 घायल हुए ।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम के अधीन इन दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया है । दुर्घटनाओं में ग्रस्त रेल कर्मचारियों को कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन अब तक, 1,33,805.00 रुपये की रकम का भुगतान किया गया है अथवा मंजूरी दी गई है ।

पंजाब में लघु प्लास्टिक निर्माताओं को हो रही कठिनाइयां

2182. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण पंजाब में लघु प्लास्टिक निर्माताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ख) : प्लास्टिक निर्माण करने वाले उद्योग अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र में है जिन्हें प्लास्टिक बिरोजा उपलब्ध करने में देश भर में कठिनाई अनुभव हो रही है । इसका प्रमुख कारण है कि इसका देशीय उत्पादन मांग के अनुरुप नहीं है । थर्मोप्लास्टिक अपरिष्कृत सामग्री पर कोई मूल्य और वितरण नियंत्रण नहीं है ।

देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे है और जहां तक सम्भव है उनका किसी सीमा तक आयात भी किया जा रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच

2183. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाया गया है; और

(ग) कमियों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सरकार ने अगस्त 1971 में "तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समीक्षा के लिए समिति" नियुक्त की थी और समिति की रिपोर्ट तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्रमशः 12 दिसम्बर 1972 में तथा 22 अगस्त 1973 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

रेल्वे द्वारा मण्डी कुल्लू निगम को पूंजी अंशदान

2184. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मन्डी–कुल्लू निगम को पूंजी अंशदान देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथी से अंशदान देना बन्द किया गया है और उसके क्या कारण है;

(ग) मण्डी–कुल्लू निगम को कुल कितना पूंजी अंशदान दिया गया है; और

(घ) उन प्रतिनिधियों के नाम एवं पते क्या है, जिन्हें रेलवे की ओर से निगम में नाम निर्देशित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निगम को अंशदान 1966–67 से बंद कर दिया गया है । मंडी–कुल्लू सडक परिवहन निगम केन्द्रीय सरकार (रेलवे) द्वारा लगायी गयी पूंजी पर ब्याज न दे सका और निगम आवती भारी हानि उठा रहा है । पहली अक्टूबर 1974 से इस निगम को नवगठित हिमाचल राज्य परिवहन निगम में मिला दिया गया है और केन्द्रीय सरकार (रेलवे) ने इस में भागीदार बनने का सिद्धांत रुप से निर्णय कर लिया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार (रेलवे) द्वारा मंडी–कुल्लू सड़क परिवहन निगम में लगायी गयी कुल पूंजी 12.70 लाख रुपये होती है ।

(घ) मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक उत्तर रेलवे, बडोदा हाउस, नई दिल्ली । इन अधिकारियों का स्थानान्तरण हो सकता है और नाम समय-समय पर बदलते रहते है ।

1974 और 1973 के पहले नौ महिने में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री

2185. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 के पहले नौ महीनों में विभिन्न रेलवे जोनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले पकडे गए यात्रियों की संख्या वर्ष 1973 की इस अवधि की तुलना में कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेलवे	1973–74 के प्रथम नौ महीनों की अवधि में बिना टिकट अथवा अनुचित टिकटों पर यात्रा करते हुए पकडे गये यात्रियों की संख्या	
	1974	1973
मध्य	1,54,530	1,83,594
पूर्व	2,21,918	2,44,143
उत्तर	1,33,009	1,36,441
पूर्वोत्तर	78,798	97,586
पूर्वोत्तर सीमा	51,861	55,618
दक्षिण	1,16,293	1,29,536
दक्षिण मध्य	94,421	1,05,227
दक्षिण पूर्व	1,12,789	1,12,339
पश्चिम	2,04,298	1,93,242
जोड	11,67,917	12,57,726

रेल यात्राओं के लिए आरक्षण विषयक समिती का अन्तिम प्रतिवेदन

2186. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्राओं के आरक्षण विषयक समितिने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जानेकी सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति, भारतीय रेलों पर सीटों को बुकिंग और आरक्षण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर रही है । समिति से 31-12-1974 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेल्वे के लिए नई डिवीजन

2187. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी लोक सभा में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए एक नई डिवीजन की मंजूरी देने के बारे में अपना निर्णय घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन की मंजूरी किस स्थान पर दी गयी थी और यह घोषणा किस तारीख की को गयी थी;

(ग) क्या घोषित किये गये स्थान पर यह डिवीजन इस बीच खोल दी गयी है; और यदि हां, तो यह कब खोली गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस डिवीजन को कब तक खोल दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, । 5-3-1969 की लोक सभा में रेलवे बजट पर बहस का उत्तर देते हुए तत्कालीन रेल मंत्री ने जो कुछ कहा वह यह था कि यदि यातायात में वृद्धि के कारण आवश्यक हुआ तो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक नयी मण्डल की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस प्रश्न पर आसाम सरकार के परामर्श से अब भी विचार किया जा रहा है। फिर भी, हर हालत में, यातायात में वृद्धि न होने और संसाधनों की वर्तमान कमी के कारण किसी अन्य मण्डल के सृजन को अवश्य ही स्थगित करना पडेगा।

Annual Requirement of Diesel, Petrol and Kerosene Oil

2188. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the annual requirement of diesel, petrol and kerosene oil in the country ;

(b) the extent of their requirement met respectively from indigenous production and imports in each case ; and

(c) the quantity of each of them imported in 1973-74 and during the period from 1st April, 1974 to 30th September, 1974, country-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a), (b) & (c) The consumption of Motor Spirit (Petrol), diesel oil (HSD&LDO) and Kerosene Oil during 1973-74 together with indigenous production and imports is given below. The quantities imported during the period from 1st April 1974 to 30th September 1974 are also indicated :—

(Figures in '000 MTs)

Product	Consumption during 1973-74	Indigenous production during 1973-74	Imports during 1973-74	Imports from 1st April to 30th Sept. 1974
M. S.	1515	1584	..	
Diesel Oil . . .	6672	6395	600	136
Kerosene Oil . . .	3319	2565	888·4	409·8

Provisional figures.

Imports were made from USSR, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Singapore, Ceylon and Bahrain.

हड़ताल तोड़ने वालों के बच्चों आदि को नौकरी पर लेने के लिये डोरनाकाल के पुराने कर्मचारियों की छंटनी

2189. **श्री महुमद इस्माईल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हडताल तोडने वालों के बच्चों आदि को नोकरियों में लेने के लिए डोरनाकाल के पुराने कर्मचारियों (सी० एम० आर० खलासियों) की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को तंग करने की इस नीति से विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच से यह मालूम हुआ है कि निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्रों में से नियमित रूप से चुने गये उम्मीदवारों को नियुक्ति किये जाने पर अल्पकालिक रिक्तियों पर लगाये गये चार दैनिक दर वाले कर्मचारियों और एक एवजी कमचारियों को हटा दिया गया था। रेल प्रशासन की यह कार्रवाई ठीक है ।

फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन में भारत का भाग लेना

2190. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय तेल संमेलन के बारे में प्रारम्भिक वार्ता में भाग लेने के लिये आमंत्रित तीन विकासशील देशों में से भारत एक है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य तेल उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन-कौन से है; और

(ग) इस बैठक के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है । सरकार को निमंत्रण स्वीकार करने वाले राष्ट्रों के बारे में कोई सूचना नहीं है। भारत द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिए जाने के बारे में, समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद, निर्णय लिया जायेगा ।

तेल के मूल्य घटाने के लिए ईरान के शाह का प्रस्ताव

2191. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ईरान के शाह तेल उत्पादक देशों से अपने तेल के मूल्यों में 14 प्रतिशत की कमी करने के लिये आग्रह करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप भारत में तेल की कितनी कमी दूर हो जाने की सम्भावना है;

(ग) तेल खरीदने के लिये इरान के साथ नये समझौते करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि ईरान के शाह तेल उत्पादन करने वाले देशों को तल के मूल्यों में लगभग 14 प्रतिशत तक कमी करने के लिए आग्रह करेंगे इस समय यह कहना संभव नहीं कि तेल उत्पादन करने वाले देशों को इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी यद्यपि खाडी तेल उत्पादन करने वाले देशों, साऊदी अरेबिया, यू० एस० ई० और बयातर ने हाल की बैठक में अशोधित तेल के दर्ज मूल्यों में कमी करने और कम्पनियों पर लागू होने वाली रायल्टी और आय कर को 1 नवम्बर, 1974 से बढ़ाने का निर्णय किया है ।

(ग) और (घ) 1975 के दौरान ईरान से अतिरिक्त अशोधित तेल खरीदने के बारे में अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नए पेट्रोल पम्प खोलना

2192. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा चालू वर्ष के दौरान राजधानी में कितने नये पैट्रोल पम्प/पैट्रोल पम्प-एक्स-सर्विसस्टेशन खोलने का विचार है;

(ख) वे कहां-कहां पर और कब तक खोले जाने है;

(ग) राजधानी में पहिले ही काफी संख्या में पैट्रोल पम्प होने के बावजूद इनके खोले जाने का औचित्य क्या है; और

(घ) क्या किसी स्थान विशेष पर पेट्रोल पम्प खोलने से पूर्व इस बात को देखा जायेगा कि वहां पर पेट्रोल पम्प खोले जाने के बारे में उस स्थान के निकट रहने वाले निवासियों व निकट स्थित स्कूलों को उस पर कोई आपत्ति तो नहीं है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) वर्ष 1974-75 की शेष अवधि के दौरान, तीन नए फुटकर बिक्री केन्द्र (1) सहादरा-4/7, जी० टी० रोड; (दिल्ली), (2) नई दिल्ली नेशनल बाई-पास से 1900 फुट की दूरी पर; तथा (3) विनोबापुरी; नई दिल्ली खोलने का प्रस्ताव है । इन समस्त फुटकर बिक्री केन्द्रों की मार्च 1975 तक चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) इन क्षेत्रों, जहां पर इन फूटकर बिक्री केन्द्रो को खोले जाने का प्रस्ताव है, यातायात तथा वहां के निवासियों । निकट स्थित औद्योगों की आवश्यकताओं की संभाव्यता इन फुटकर केन्द्रो को खोले जाने की उचित ठहराती है ।

(घ) फुटकर विक्री केन्द्रों को खोलने से पूर्व, जिला प्राधिकरकारियों से आवश्यक 'अनापत्ति' प्राप्त कर ली जाती है क्योंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा समस्त संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन स्थलों को अलग छाट लिया जाता है इसलिए क्षेत्र के निवासियों या स्कूलों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही होती है

प्रवर अधिकारियों के कार्यालयों को वातानुकूलित करना

2193. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रवर वेतनमान के कुछ अधिकारियों के पदों का दर्जा बढाया गया है और उनके पदनाम से पूर्व 'प्रवर' शब्द जोड दिया गया है जैसे कि प्रवर डिवीजनल अधिकारी (तकनीकी), प्रवर डी० सी०, प्रवर डी० ए० ओ०, प्रवर डी० इ० एन० आदि और उनके वर्तमान कार्यालय वातानुकूलित किये गये है; और

(ख) डिवीजन/जौनवार रेलवे के ऐसे कौन-कौन से कार्यालय है जहां पर भाग (क) में उल्लिखित प्रवर वेतनमान के अधिकारियों के कमरे वातानुकूलित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, कुछ पदों का ग्रेड बढाकर उनका पदनाम बदलकर वरिष्ठ मण्डल अधिकारी रख दिया गया है। हाल में बढ़ाये गये ग्रेड के मण्डल अधिकारियों के लिए वातानुकूलित की व्यवस्था करने पर सरकार ने मितव्ययता के उपाय के रूप में अस्थायी प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है और जब तक उपर्युक्त प्रतिबन्ध रहेगा तब तक रेलों के मण्डल कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के और कार्यालयों में वातानुकूलित की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेन्शन सम्बन्धी मामलों को निपटाने में विलम्ब

2194. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों की पेंशन देने के बारे में महालेखाकार की मंजूरी लेने में पर्याप्त समय लगता है;

(ख) क्या सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन उसी तरीख को नहीं दी जाती है जब से वह सेवा मुक्त होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारी द्वारा लिये गये अन्तिम वेतन पर आधारित सेवा निवृत्त होने की तारीख का ही अनन्तिम पेंशन मंजूर करने और इन कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर उन्हें शीघ्र ही भविष्य निधि, ग्रेच्युटी (उपदान) तथा अन्य देय राशियों को देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए महालेखापाल की मंजूरी अपेक्षित नहीं है क्योंकि इसकी मंजूरी रेलवे के सक्षम-प्राधिकारियों द्वारा दी जाती है । अधिकतर मामलों में पेंशनी लाभों का भुगतान सेवा निवृत्ति की तारीख से तीन महीने या इससे कम अवधि के अन्दर कर दिया जाता है । लेकिन कुछ असाधारण किस्म के मामलों में, जैसे कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर खाली न करने, मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा वैधानिक कागजात पेश न करने आदि के मामलों में देय राशि के भुगतान में कुछ देरी हो जाती है । तथापि समय समय पर ऐसे अनुदेश जारी किये गये है जिनमें देय राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए रेल प्रशासनों पर जोर डाला गया है ।

(ग) जहां ऐसा समझा जाता है कि किसी रेल कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख तक पेंशनी लाभों का अंतिम अभिनिर्धारण नहीं लगाया जा सकता और उन्हें निपटाया नहीं जा सकता वहां प्रत्याशित पेंशनी लाभों के भुगतान के लिए वर्तमान अनुदेशों में पहले से ही व्यवस्था की गयी है । प्रत्याशित पेंशनी लाभों के भुगतान की इस प्रकार व्यवस्था करनी होती है कि इनका भुगतान उस तारीख से पहले या उस तारीख को कर दिया जाये जिस तारीख को वे देय होते हों । वर्तमान नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जब कोई अंशदाता नौकरी छोड़े तभी उसे भविष्य निधि और अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाये ।

निष्ठावान कर्मचारियों को वेतन वृध्दि देने पर अपव्यय

2195. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मई, 1974 की हड़ताल में काम करते रहने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त (अग्रिम नहीं) वेतन वृद्धि दी गई है / दी जा रही है जिससे प्रति वर्ष करोड़ो रुपये का आवर्ती व्यय होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परिहार्य व्यय को रोकने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उन निष्ठावान कर्मचारियों को जो डरायें धमकाये जाने, हिंसा तथा मार दिये जाने की धमकी के बावजूद अपने काम पर उटे रहे, उन्हें 1-6-1974 से एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी गयी है । उन कर्मचारियों को उनके वेतनमान की अगली वेतन वृद्धि उसी सामान्य तारीख को दी जायेगी जिस तारीख को अग्रिम वेतन वृद्धि न दिये जाने पर भी देय होती, न कि अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के एक वर्ष बाद ।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो हड़ताल के दौरान अपने काम पर डटे रहे और दुःसाध्य कार्य किया, वे निश्चय ही इस दी गयी रियायत के पात्र है ।

डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय, दानापूर (पूर्व रेल्वे) की कार्मिक शाखा में जाब विश्लेषण

2196. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री डिवीजनल सुपरिन्टेडेन्ट कार्यालय, दानापुर में तीसरे वेतन आयोग को सिफारिश कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त (अनुसचिवोय) पद बनाने के बारे में 27 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 151 लिपिकोय पद बनाने के लिए प्रशासकोय अनुमति प्रेषित कर दो गई है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है और अनुमति कब तक प्रेषित की जायेगो ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह); (क) जो नहीं ।

(ख) देश को और रेलों को वर्तमान आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में ऐस पदों के सर्जन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । दानापुर मंडल कार्यालय की कार्मिक शाखा में अतिरिक्त पदों के सर्जन के प्रस्ताव को आने वाले बेहतर समय को प्रतोक्षा करनो होगो ।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगम

2197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत की कम्पनियों में शेयर रखने वाले बहुराष्ट्रोय निगमों पर कोई नियंत्रण बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) औद्योगिक क्षेत्र, फार्मास्युटिकल क्षेत्र तथा उर्वरक क्षेत्र में क्रमशः इन बहुराष्ट्रोय निगमों ने कितना पूंजो निवेश किया है;

(घ) गत तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में इन बहुराष्ट्रोय निगमों ने विदेशों को कितनो धन-राशि भेजो है;

(ङ) क्या इन बहुराष्ट्रोय निगमों के बोर्डों की भारतोय सहायक कम्पनियों मे कम्पनो कार्य विभाग का कोई प्रतिनिधि है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) भारत को कम्पनियों में बहुराष्ट्रोय निगमों के निवेशों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकार को नोति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा जारो किये गये विदेशो मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के लागूकरण हेतु मार्ग-संदर्शिका में वर्तनित को गई है ।

(ग) भारत में औद्योगिक क्षेत्र, फार्मास्युटिकल क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र में क्रमशः उनकी सहायक कम्पनियों को शेयरपूंजो में बहुराष्ट्रीय निगमों के निवेश 1972-73 निम्न प्रकार थी :—

(घ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा रखो गई सूचना के अनुसार पिछले तोन वर्षों अर्थात् 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के मध्य इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीयों की भारतीय सहायकों द्वारा विदेश में भेजो गई कुल राशि नीचे दो जातो है :—

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	वर्ष	प्रेषण
1. फार्मेस्युटिकल . . .	1969-70	3.30
	1970-71	3.79
	1971-72	3.13
2. उद्योग	1969-70	22.07
	1970-71	27.20
	1971-72	18.78
3. उर्वरक . . .	1969-70	..
	1970-71	..
	1971-72	..

(ङ) तथा (च) सरकार ने कम्पनो अधिनियम को धारा 408 (1) के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय निगमों को भारतीय सहायकों को किसो में भो कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया है ।

बालासोर, तालचेर और बरहामपुर में चिकित्सा सुविधाएं

2198. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के लिए भद्रक रेलवे स्टेशन पर एक औषधालय है;

(ख) क्या बालासोर, तालचेर और बरहामपुर में कम कर्मचारो है जहां पर कर्मचारियों को केवल स्वास्थ्य एकक सुविधाएं उपलब्ध की जातो है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जो हां, भद्रक में एक स्वास्थ्य एकक है ।

(ख) और (ग) बालासोर, तालचेर और बरहामपूर में कम कर्मचारो रहते है और वहां पर स्वास्थ्य एकक को जो सुविधाएं दो गयो है वे मरीजों की औसत दैनिक उपस्थिति के अनुरूप है ।

संसद में विधान से सम्बन्धित दस्तावेजों का अंग्रेजी और हिन्दी—दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाना

2199. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दस्तावेजों और विधान से सम्बन्धित अन्य कागजातों को संसद में पुर:स्थापन की अवस्था में सम्पर्क भाषा में तथा राजभाषा में प्रस्तुत करने के लिये व्यवस्था को जा चुको है;

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रक्रिया कब से प्रभावी होने की संभावना है; और

(ग) पुरःस्थापन पूर्व की स्थिति में ऐसा कर सकने में क्या कठिनाइयां आ रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन यह है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उन सभी संशोधनों के, जो संसद् में पुरःस्थापित किए जाने हो, और उन सभी संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे । अभी तक ऐसी कोई विधि संसद द्वारा अधिनियमित नहीं की गई है ।

2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(2) में यह उपबंध है कि उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । यद्यपि इस धारा के उपबंधों को सरकारी मुद्रणालय में हिन्दी संबंधी पर्याप्त मुद्रण क्षमता के न होने जैसी कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, तथापि, वस्तुस्थिति यह है कि 1970 से संसद में पुरःस्थापित सभी विधेयकों (मूल तथा संशोधनकारी) के हिन्दी अनुवाद, विधेयकों के पुरःस्थापन की अवस्था में भी संसद सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते है । यह प्रक्रिया संसद में विधानों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य को धीरे-धीरे प्राप्त करने के लिए अपनाई गई है ।

गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड और नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लि० द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 147 का उल्लंघन

2200. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 147 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाये गये है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसरण में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दोषों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली में मजदूरों की झुग्गीयों में आग लगाये जान के समाचार के बारे मे

RE. REPORTED SETTING FIRE TO JHUGGIES OF LABOURERS IN DELHI

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : दिल्ली में एक दर्दनाक घटना हुई है । वहां मजदूरों की झुग्गियों में आग लगा दी गई है क्योंकि उन्होंने कम मजूरी पर काम करने से इंकार कर दिया था ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : It is a serious matter and you should allow a notice of Call Attention on this matter.

Mr. Speaker : I can only ask Government to give a statement on it.

Shri S. M. Banerjee : A notice of Call Attention can be admitted on it.

Mr. Speaker : I have admitted it.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाईसेंस का मामला

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने प्रो० चट्टोपाध्याय के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल यह विनिर्णय दिया था कि जब तक पहले से दी गयी सूचना का निपटान नहीं हो जाता है तब तक किसी नयी पर विचार नहीं किया जायेगा ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में जो विशेषाधिकार का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में ही मेरा यह निवेदन है । पहली बात यह उठायी गई है कि यदि लाइसेंस नियमानुसार जारी किये गये थे तो उन्हें निष्प्रभावी क्यों बनाया गया था ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के दौरान लाइसेंसो की चोरबाजारी का संदेह हुआ था । आयात एवं निर्यात मुख्य नियंत्रक ने लाइसेंसधारियों को 'कारण बताओ' नोटिस दिया था कि क्यों न उनके लाइसेंसो को जांच के दौरान निष्प्रभावी बना दिया जाय । लाइसेंसों को चोरबाजारी के संदेहों के कारण निष्प्रभावी बनाया गया था न कि उनकी पात्रता के आधार पर । जहां तक फर्मों द्वारा चोरबाजारी किये जाने का संबंध है, मैंने यह कहा था कि हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है कि उन्होंने चोरबाजारी की थी । मैंने यह भी कहा था कि यदि ऐसी शिकायत हमें मिली तो जांच की जायेगी । उसी के अनुसार ऐसा किया जा रहा है । जहां तक फर्मों के बेनामी होने या उनके काली सूची मे होने का सम्बन्ध है रिकार्ड से पता लगता है कि फर्में पंजीकृत कोटाधारी हैं, और व काली सूची में नहीं हैं । मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया । किन्तु उनके विरुद्ध उस समय तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जब तक कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता । अतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मैंने जो पहले कहा था और जो बाद में हुआ, उन दोनों में असंगतता है । मैं यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि सभा को गुमराह करने का मेरा कोई इरादा नहीं था ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने जो कहा है उसके बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 27 अगस्त को उन्होंने संसद में कहा था कि लाइसेंस नियमानुसार और मामले के गुणदोष के आधार पर जारी किये गये थे । यह दुर्भाग्य की बात है कुछ माननीय सदस्यों ने रिश्वत आदि की बात कही है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? **[अन्तर्बाधाएं]**

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon) : I want to submit that if the Members of opposite side will not allow the proceedings of the House to continue or if they will not pay due respect to the chair, if they will not abide by your ruling, we will not allow them even to speak we will not hear them.

Mr. Speaker : Parliament is a forum where discussion should go on peacefully. If both sides will create obstructions, no business will be transacted. So I make an appeal to both the sides that they should have patience and maintain peace.

श्री ज्योतीर्मय बसु : मैंने आज प्रातः नियमों के अनुसार के सूचना दी थी...

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहती है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिकस मंत्री और अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अब मैंने नहीं सुना कि श्यामनन्दन मिश्र ने क्या कहा है। परन्तु दिन प्रति दिन विपक्षी दलों के सदस्यों को मैं ऐसी बातें करती हुई सुनती हूं जिससे आपकी निष्पक्षता पर आरोप आता है । हमारी ओर के सदस्यों को इस पर दुख होता है और वे आन्दोलित हो जाते हैं । अध्यक्ष की अपनी प्रतिष्ठा होती है । हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सभा का एक छोटा पक्ष शोर मचाता रहे और सभा की कार्यवाही को रोके रहे ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे यह महसूस करें कि इस सत्र में बहुत कम कार्य हो सका है । हमें बहुत कार्य अभी करना है । अतः मैं आप सबसे अपील करती हूं कि इस मामले में विपक्षी भी सहयोग करें ।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : सी० बी० आई की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री शामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय प्रधान मंत्री ने मेरे नाम का उल्लेख किया और उन्होंने अन्त में कुछ अवांछनीय निष्कर्ष निकाले ।

श्री पिलू मोदी (गोधरा) : * *

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : * *

अध्यक्ष महोदय : शोर और अन्तर्बाधाओं के बावजूद किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिये । इन शब्दों को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । आपके जो भी विचार और मतभेद हो वे शिष्ट भाषा में व्यक्त किये जाने चाहिये ।

श्री शामनन्दन मिश्र : आज जो कुछ हुआ इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासक दल प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने से रोकने का प्रयास करता है । आज श्री ज्योतिर्मय बसु कुछ निवेदन करना चाहते थे, किन्तु उन्हें अपनी बात पूरी न करने दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री ज्योतिर्मय बसु बिना अनुमति के बोले । फिर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भाषण देना शुरू कर दिया । मैंने उनसे तर्कसंगत बातें करने के लिए कहा था । यदि आप इसे अध्यक्ष द्वारा व्यवधान पैदा करना कहते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने संसद में कहा था कि लाइसेंस नियमत: दिये गये हैं। किन्तु विशेष अतिरिक्त लाइसेंस देने की प्रक्रिया अक्टूबर, 1959 में रोक दी गई थी। सम्बद्ध फर्म का मूल आवेदन रद्द कर दिया गया था। विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त फर्म ने उन कमियों का इतना शीघ्र कैसे पूरा कर लिया जिनके कारण उनका मूल आवेदन रद्द कर दिया गया था। दूसरे, अतिरिक्त लाइसेंस कैसे जारी किये गये जबकि उनका जारी किया जाना अक्टूबर, 1959 में रोका जा चुका था। अत: मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने सभा में गलत बयान दिया था और सभा को गुमराह किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामया) : आज माननीय मंत्री ने व्यक्तव्य दिया है। मामला यहीं तक रहना चाहिये। इस मामले को बिना अन्त के बढ़ाया जा रहा है।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों को अध्यक्ष को संबोधित करते समय कितनी प्रतिष्ठा देनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * * * *

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to raise a point of order. It is about Rule No. 222. According to this rule if the matter proposed to be discussed is in order and the Speaker gives consent under rule 222, the question of privilege can be raised at any time if the Speaker is satisfied about the urgency of the matter. Now the Ministers has given the statement and you are to take the decision thereon. Unless you hear us it will be difficult for you to take decision that is why we are making submissions. All the assurances given by the Minister have not been fulfilled and it can be done by placing the C. B. I. report on the Table of the House.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, I want your ruling under rules Nos. 349, 350, 351, 352, and 353. These rules should be got cyclostyled and sent to hon. Members so that they may know the rules, decorum and decency to be observed in the House. I want your ruling to the effect that the proceedings in the House should be conducted in accordance with the rules and regulations and not under the threats of some Members.

Mr. Speaker : Such rulings have already been given a number of times. The business in the House should be transacted in accordance with the rules. We should hear each other patiently and without interrupting him. We should observe silence, use parliamentary language, should maintain tradition, dignity and decourm in the House.

Shri Inderjit Gupta (Alipore) : Sir, the issue going rise to this dispute is the assurance given in the House to submit C. B. I. report to the House, which has not been fulfilled so far. This is the reason why this matter is lingering on. Once you gave a ruling and it was interpreted in some other way you said, "I am not going to give ruling. I leave it to the Government".

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : कल गृह मंत्री ने मेरे से यह मार्गदर्शन चाहा था कि इसका कौन सा भाग । न्यायाधिक कार्यवाही के विरुद्ध जायेगा और कौनसा नहीं । ऐसा निर्णय देना अध्यक्ष का कार्य नहीं है । मैं अपनी सीमाएं जानता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो कोई भी नहीं चाहता कि न्यायालय की कार्यवाही में दखल दिया जाये । परन्तु क्या संसद का यह अधिकार नहीं है कि अपने एक सदस्य के संदहस्पद व्यवहार की जांच कर सके ?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आपने यह विनिर्णय दिया था कि दस्तावेज सामान्यतः सभा पटल पर रखे जाने चाहियें । किन्तु वह सभा पटल पर न रखी गई । कल आपने बताया कि आपकी जांच के लिये सरकार ने कुछ कागजात आपको दिये हैं । चूंकि इनके बारे में संसद पहले ही चिन्ता व्यक्त कर चुकी है और ये कागजात सरकार द्वारा आपको सरकारी तौर पर सौंपे गये हैं, इस लिए यह आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप उनकी संसदीय तरीकेस जांच करें । हम उनकी संसदीय जांच इसलिये चाहते है कि जिन संसदसदस्यों पर संदेह है उनके चरित्र को निष्कलंक सिद्ध किया जा सके हम श्री एल० एन० मिश्र या अन्य किसी पर कींचड नहीं उछालना चाहते । परन्तु हम यह चाहते हैं कि संसद की प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर जो कलंक लगा है, हम उसे दूर करना चाहते हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि आपके पास जो कागजात है, उनकी जांच आप संसदीय समिति द्वारा करायें ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, now I am point of procedure. Four notices of question of privileges were given and you heard us about them. Chances were also given to hon. Ministers. Two issues arose out of it—the matter about C. B. I. reports and the matter about the Statements given by the Ministers. I want your ruling on two points. As regards the maxim of sub. justice, it does not apply on the question of privilege. The question of privilege is raised under article 105(3) of the Constitution. According to this provision we as Parliament still enjoy powers, privileges and immunities which are enjoyed by the House of Commons in United Kingdom. In a book of Parliamentary Procedure by Kaul and Shakdhar the following observations have been made on the *sub judice* rule in regard to the privilege questions :

> "So far as privilege matters are concerned, a Legislature is the sole judge of its privilleges and the rule of sub judice does not apply."

The Committee of Presiding officers after considering the scope of the rule of sub judice recommended the following guidelines.

(1) Freedom of speach is a primary right whereas the rule of sub-judice is a self-impoted restriction.

(2) The rule of sub-judice has no application in privilege matters.

Shri Madhu Limaye : In the matter of privilege, Parliament is the highest authority and even the Supreme Court has no authority to interfere in any matter under consideration of Parliament. According to "The Law of Parliamentary Privileges in U. K. and Indian "Comments outside the House or matters which are pending the decision of the Speaker or a committee of the House or even in the House may also amount to a contempt of the House on the grounds of an affront of the dignity of the House in attempting to influence its decision or pre-judging an issue."

In this case when the Parliament is seized of the privilege matter how the matter can be taken to the court. Besides, the provisions contained in Article 105 supersede all the section of Cr. P. C. when any matter is under consideration of Parliament. Then I want your ruling in this matter. (*Interruptions*) In this statement Prof. Chattopadhyaya said that there was no C. B. I. report and that C. B. I. sent only letter to the Ministry of Commerce. I read out that letter twice wherein it was stated, "Certain consequential action had to be taken on receipt of the interium reports mainly from the C. B. I."

Is it only a letter ? The expression 'mainly from the C. B. I. indicates that there are certain other investigating agencies which have submitted the reports but the Government nave made no mention about those reports. It is quite clear that they have misguided the House. In these circumstances you should kindly allow our privilege motion and give categorical ruling regarding the C. B. I. Reports.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यह विवादास्पद नहीं है कि विशेषाधिकार के मामले में सदन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं किन्तु इनका उद्देश्य वास्तव में उस विनिर्णय पर चर्चा करना है जो कल आपने दिया था । वास्तव में ये बार-बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप उक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखे जाने का आदेश दें । यह और कुछ नहीं है केवल आपके विनिर्णय पर विरोध प्रदर्शन है । मेरे विचार से जब आपने एक बार यह विनिर्णय दे दिया है कि आप यह निर्णय नहीं करेंगे कि उक्त दस्तावेज सभा-पटल पर रखे जायें अथवा नहीं तब किसी को यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री सी० एम्० स्टीफन (मुक्त पुजा) : में इस बात को दोहराना चाहता हुं कि हमें यह निर्णय करना है कि जिस विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी गई है क्या उस पर चर्चा की अनुमति दी जा सकती है या नहीं । मूल प्रश्न यही है ।

प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें नियम 224 के अन्तर्गत उल्लिखित हैं । उस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि सभा में कुछ आश्वासन दिये गये थे जिनका जानबूझकर पालन नहीं किया गया । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभा में कोई आश्वासन दिया गया था और यदि दिया गया था तो क्या उसका वही आशय था जो माननीय सदस्य निकाल रहेहैं और क्या उसका पालन जानबूझकर नहीं किया गया । श्री गोखले कहते हैं कि आश्वासन का आशय वह कतई नहीं था जो विपक्षी दल के सदस्य निकाल रहेहैं । अब प्रश्न यह उठता है कि आश्वासन के आशय का निर्णय कौन करे। नियम 323 के अनुसार उन बातों की जांच पडताल सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति द्वारा की जाएगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को उक्त समिति को सौंपा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुझसे यह जानना चाहा था कि सी० बी० आई०की रिपोर्ट किस मामले में न्यायालय की प्रतिष्ठा भंग होगी और किस में नहीं । उसी दौरान उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट भी भेज दी थी ।

मैं कल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह निर्णय करना अध्यक्ष का कार्य नहीं है । न मेरा यह दायित्व है और न मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने वाले की स्थिति मे हूं । कल मेरे विनिशिय का आशय यही था । सरकार की ओर से सभा पटल पर सी०बी०आई० की रिपोर्ट रखना मेरा कार्य नहीं है । यह सरकार का कार्य है । वह इसे सभा-पटल रखे या न रखे । सर्वश्री बसु, लिमये, मिश्र, वाजपेयी तथा अन्य माननीय सदस्यों के इस तर्क से मेरा कोई मतभेद नहीं है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में न्यायालयाधीन मामले का नियम लागू नहीं होता । मैं रिकार्ड देखुंगा तथा उसके पश्चात् अपना विनिर्णय दुंगा क्यों कि इस बीच बहुत-बहुत सी बातें कही गई हैं । वास्तव में मंत्री महोदय के पत्र ने मुझे बहुत कठिनाई में डाल दिया है । मैं आज उसे वापस भेज रहा रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री सी० एल० स्टीफन : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आश्वासन का पूरा न किया जाना नियमानुसार विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं हो सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय ने सभा का ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन किया हैं **(व्यवधान)** हमने सभा की कार्यवाही के दौरान कहीं नई बातों के आधार पर शिकायतें की थी । मंत्री महोदय कहते हैं । विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं किया गया यद्यपि उन्होंने यह कहा था कि लाइसेंस दिये जाने में किसी प्रकार का अन्याय या नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया गया था । अब ज्ञात होता है कि ये लाइसेंस रद कर दिये गये हैं । जो आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें

सिद्ध हो गया है कि लाइसेंस दिए जाने में बहुत चालबाजी की गई है। ऐसी स्थिति में इस समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जाये। इसके अभाव में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पिछले दो-तीन दिनों से क्या ये यह बात उठाई जा रही है कि विशेषाधिकार के मामले में सभा ही सब से बड़ा न्यायालय है। इस सम्बन्ध में मैं इतना और रहना चाहूंगा कि आपराधिक मामलों में भी जांच आयोग नियुक्त किये गये हैं। उदाहरण के लिये दीन-दयाल उपाध्याय हत्याकाण्ड के मामले में चन्द्रचूड़ जांच आयोग नियुक्त किया गया था। अतः संसद में किये गये अपराध की जांच के लिये किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। इसकी जांच हम स्वयं कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में सी०बी०आई रिपोर्ट का यहाँ प्रस्तुत किया जाना अत्यंत अनिवार्य है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने कल भी आपको पत्र लिखा था और आज भी लिखा है किन्तु आप मुझे बोलनेका अवसर ही नहीं दे रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : महोदय ! यह कि साधारण सी समस्या थी। गृह मंत्री को इस सत्र के प्रथम दिन ही रिपोर्ट को सभा-पटल पर रख देना चाहिये था तथा सभा का विचार जान लेना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। आपने भी यह उपयुक्त नहीं समझा कि मंत्री महोदय को इस त्रुटि के लिये कुछ कहा जाए। इसके फलस्वरूप सभा में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव आना स्वाभाविक था क्योंकि मंत्रियों ने सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं किया। आपने जो विनिर्णय दिया है वह भी अनेक शर्तों से भरा हुआ है तथा सरकार को बच निकालने का अवसर प्रदान करता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय तो स्पष्ट है। उसमें कोई शर्त नहीं है **(व्यवधान)**।

श्री पीलू मोदी : किन्तु आपके विनिर्णय को कोई समझ ही नहीं पाया। स्वयं सरकार को आपका विनिर्णय समझ नहीं आया और मंत्री महोदय द्वारा आपको पत्र लिखे जाने का कोई लाभ नहीं हुआ। मंत्री महोदय ने अपना पत्र तो पढ़ कर सुना दिया किन्तु उन्होंने आपका उत्तर पढ़कर नहीं सुनाया। जब मंत्री महोदय ने आप से मार्गदर्शन मांगा है तो आपको यह विनिर्णय देने में क्या आपत्ति है कि रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाये। हमें उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है?

मंत्रीमहोदय तथा हम सभी का यह मत है कि इस मामले में न्यायालयाधीन मामले का नियम लागू नहीं होता। फिर मंत्री महोदय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं का हवाला क्यों देते हैं। **(व्यवधान)** विपक्षी दल के सदस्यों की यही मांग है कि जब तक उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा यह समस्या इसी प्रकार बनी रहेगी। इस प्रकार सरकार को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि यह किसी को बचा ले।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजकर पैंतालीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fortyfive minutes past Fourteen of the Clock.)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर अडतालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re assembled after lunch at forty-eight minutes past Fourteen of the Clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

एक दर्शक कें पास विस्फोटक पदार्थ पायें जानें कें बारें मैं

Re. A VISITOR FOUND CARRYING AN EXPLOSIVE

श्री ज्योतिर्मय बसु : ज्ञात हुआ है कि दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति के पास विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है । यह उपयुक्त होगा कि सभा को विस्तृत जानकारी दी जाये । **(व्यवधान)** ।

Shri Madhu Limaye : I am also told that a visitor has been found with an explosive in this gallery. It is not a fact that Government itself in sending such person with explosive in order to introduce dictatorship in the country as was done in Germany by Hitler ? *(Interruptions)*.

Shri Shankar Dayal Singh : It is all baseless.

निर्माण आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : उन्होंने जो कुछ कहा है वह निराधार है ।**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों के अनुसार किसी व्यक्ति के पास विस्फोटक पदार्थ पाया गया है । इसके अतिरिक्त हमें कुछ जानकारी नहीं है । इस स्थिति में किसी पर आरोप लगाना अनुचित है । जानकारी प्राप्त होते ही सभा को उससे अवगत करा दिया जाएगा (**व्यवधान**) चूंकि यह घटना सभा में हुई है अतः उससे संसदीय कार्य मंत्री का कोई सम्बन्ध नहीं है यह अध्यक्ष का अत्तरदायित्व है ।

श्री जोतिर्मय बसु : इसकी आपको जानकारी क्यों नहीं दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये ।

श्री विक्रम महाजन (काँगड़ा) : किसी ने भी संसदीय कार्य मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये । इसीलिए मैंने कहा कि इससे संसदीय कार्य मंत्री का कोई सरकार नहीं है । सुरक्षा कमचारी जानकारी एकत्रित करेंगें और वह सभा को दे दी जाएगी ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह दूसरी घटना है । पिछली बार एक आदमी छुरा लेकर घुस आया था । उसे पकड़ा गया था और सदन ने उसे दंड दिया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने अभी-अभी आरोप लगाया कि वह युवा कांग्रस का सदस्य था । यह स्पष्ट है कि श्री मधु लिमये और श्री बसु के सभी आरोप निराधार हैं । मैं यह साबित कर सकता हूँ कि वह जे० पी० गुट का आदमी है । आज भी उस आदमी ने जे० पी० जिन्दाबाद नारे लगाये । वे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे श्री मधु लिमये या श्री वयालार रवि के कथन के बारे में कुछ भी नहीं कहना है । आप इछानुसार अंश को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाल रहा हूं ।

श्री समर गुह : श्री रवि ने जे० पी० का नाम लिखा। यह एक आक्षेप है। मैं श्री बन्सीलाल के सार्वजनिक वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ . . . (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जांय।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार द्वारा नवम्बर, 1974 में जारी किये गये बाजार ऋणों का विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा नवम्बर, 1974 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 8570/74]**

म्हैतुर कैमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि० सिस्ट्रोनिक्स लि० अहमदाबाद और मै० टेलीराड (प्रा०) लि० बम्बई के बारे में प्रतिवेदन और उन पर केन्द्रीय सरकार के आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय म उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारीक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिंदी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) मैतुर केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 27 सितम्बर 1971 का आदेश।

(दो) सिसट्रोनिक्स (साराभाई सन्स प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग) अहमदाबाद के मामले में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 20 जुलाई, 1973 का आदेश।

(तीन) मेसर्स टलोराड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 21 फरवरी, 1974 का आदेश। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8571/74]**

कच्चे पटसन के कथित अलाभकारी मूल्य के बारे में
RE ALLEGED UN-ECONOMIC PRICE OF RAW JUTE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के जुट उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर अपरिष्कृत जूट बेचने के लिये मजबूत होना पड़ रहा है। भारतीय पटसन निगम जूट मिल मालिकों और बड़े जूट व्यापारियों की मदद कर रहा है और जूट के क्षेत्र में ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। खाद्यान्न की कीमत एक ओर काफी ऊँची है और दूसरी ओर जूट की कीमतें लागत-मूल्य से भी कम हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जूट की कीमत कम से कम 250 रु०, प्रति क्विंटल हो और पटसन निगम को पर्याप्त मात्रा में जूट की खरीद करना चाहिये।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

पिछले वर्ष जूट उत्पादकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें मुश्किल से 40 या 42 रु० प्रति मन के हिसाब से ही कीमत प्राप्त हुई थी। अब 80 या 85 रु० प्रति मन की कीमत से भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हैसियत और सैकिंग के लिये विदेशों से ऊँची कीमत पर क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

इस समय पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक कृत्रिम मांग की कमी का सामना कर रहे है, जो जूट मिल मालिकों द्वारा पैदा की गई है। कुछ जिलों में अपरिष्कृत जूट की कीमतें बहुत ही ज्यादा गिर गई है। पश्चिम बंगाल सहकारी, जूट संगठन ने करोड़ों रु० मूल्य का जूट खरीद लिया है, परन्तु वह गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जूट निगम उसे खरीदने के लिये तैयार नहीं है।

मैंने पहले भी वाणिज्य मंत्री से उत्तर देने के लिये अनुरोध किया था, क्योंकि वह लाखों जूट उत्पादकों का मामला है। अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो जट के क्षेत्र धान और गेहूं के खेतों में बदल जायेंगे और जूट कारखानों के समक्ष संकट उपस्थित हो जायगा। सरकार उस विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त करने से वंचित हो जायगी, जो जूट उत्पादक व्यक्ति देश को प्रति वर्ष देते है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें कि यह सरकार चुपचाप क्यों बैठी हुई है, क्योंकि करोड़पति और पूंजीपतियों को करोड़ों रु० की अदायगी करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको और बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : चालू सप्ताह के शेष दिनों के दौरान मैं इस सदन में सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ :—

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना।

(2) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने संबंधी संकल्प पर चर्चा और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक, 1974 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

(3) संसद (अनर्हता समापन) संशोधन, 1973 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

श्री जोतिर्मय बसु : जूट उत्पादकों के बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिये जब सरकार ही पीठासीन व्यक्ति के आदेशों की अवहेलना करती है, तो आप हमसे आदेश-पालन की किस प्रकार अपेक्षा कर सकते हैं ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I would like to draw the attention of the Home Minister through you to the fact that 40 employees of the Census Department in Bihar have already been retrenched and 65 employees are likely to be retrenched. There is very much discontentment among the employees there. The Home Minister should make a statement over this matter and direct the Bihar Government not to retrench them.

श्री के० रघुरामैया : रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पर चर्चा के बाद आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा की जायगी। इसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक, 1974 पर विचार और उसे पारित करने के योग्य बाद अनुपूरक माँगों पर चर्चा होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान न करने का प्रश्न मैं लगभग रोजाना ही उठा रहा हूं । 1 जून, 1974, 1 जुलाई, 1974, 1 सितम्बर, 1974 और 1 अक्तूबर, 1974 से केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को महंगाई भत्ते की चार किस्तें देय हो गई हैं । सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उसके अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना है । मैं इस प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार हूं । 28 लाख कर्मचारी इस प्रश्न पर क्षुब्ध है । सरकार को इस बार में निर्णय करना चाहिये । अगर सरकार ने फार्मूले को बदला, तो डी० आई० आर० और मीसा का प्रयोग करने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी दुबारा हड़ताल करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री का ध्यान बैंक आफ बड़ौदा की इस गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष श्री वी० डी० थक्कर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बम्बई स्थित ऐसी पाँच कम्पनियों को 44 लाख रु० की राशि का ऋण दिया है, जिनमें उनकी लड़की और दामाद साझेदार या निदेशक है । उक्त कम्पनियों की अस्तियां बहुत ही कम मूल्य की हैं । मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त ऋणों के लिये निदेशक बोर्ड से मंजूरी ली गई थी । बैंक के अध्यक्ष ने इसका पूर्वानुमान लगाकर कि कहीं सदन में और बाहर इस बारे में प्रचार न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा इम्प्लायीज फैडरेशन के महामन्त्री श्री राजगोपालन को सेवा से निलम्बित कर दिया गया है । इस सदन के दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों ने इस मामले को वित्त मंत्री के समक्ष रखा है और वह इस पर जाँच करने के लिये भी सहमत हो गए है । मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बैंक के अध्यक्ष को उनके पद से हटा दें ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Almost a month back, a compartment of Upper India Express burst into flames near Bharwari station while moving towards Allahabad. According to the information of the people there 100 persons had lost their lives in the accident, whereas according to the official figures, 59 persons have been killed. There was no chain-pulling system in the train and for this very reason, the Railway Minister should have resigned. There should be an open discussion over this Railway accident this week or next week. The Minister for Parliamentary Affairs should make a statement and Railway Minister be dismissed.

Secondly, an amount of Rs. 15 lakhs has been spent on Congress Camp at Narora from Government Exchequer...(*Interruptions*). There should be a statement over this issue as well.

श्री वी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : यह पूरी तरह झूठ और गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण है । किसी पार्टी की कार्यवाही का सदन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जब नेताजी जाँच आयोग की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की गई थी, तब मने यह प्रश्न उठाया था कि इस रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय भी इसके लिये सहमत हो गए थे और नियम 184 के अन्तर्गत सम्बद्ध मन्त्री को भी अनुमति इसके लिये लेनी होती है । मुझे अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है । मुझे आशा है कि सरकार बहसके लिये सहमत हो जायगी ।

दूसरे, आज चुनाव आयुक्त ने मद्रास में यह वक्तव्य दिया है कि जुलाई, 1975 तक लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । क्या सरकार ने उन्हें ऐसा वक्तव्य देने के लिये अनुमति दी थी ? सरकार को स्पष्ट रूप से वक्तव्य देना चाहिये कि परिसीमन कार्य पूरा होने से पहले चुनाव होंगे या नहीं होंगे ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : बंगलादेश ने पश्चिमी देशों की छः फर्मों को सुन्दरबन के दक्षिण से चटगाँव तक 30,000 वर्ग मील के समुद्री इलाके में तेल की खोज करने का 21 वर्षीय ठेका दिया है। यह काफी गम्भीर मामला है। बंगाल की खाड़ी में उन्हें तेल की खोज तत्काल बन्द कर देनी चाहिये। दिल्ली स्थित बंगलादेश के राजदूत को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहना चाहिये और सरकार को स्वयं तेल की खोज करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Last week we had met the Prime Minister to appeal to take back those Railway employees whose services had been terminated. The Prime Minister had assured that the directions have been issued by the Government and those instructions would be implemented. The Government should issue new directions and the persons against whom there are no charges of violence or sabotage should be taken back immediately. I would also like to know as to what action has been taken by the Government to implement the recommendations of the U. G. C. regarding University teachers.

According to the Annual Meeting Report of Century Eenca industrial concerns of Birla and Bangur group—Shree Synthetics and Century Eenca are manufacturing nylon filament yarn. The Industries Minister had assured the House last year that voluntary price control system would be enforced. But the assurance has not been implemented so far and their profits are going up by two times and three times inspite of reduced production.

I had moved a motion against the former Petroleum Minister, but it has not been discussed so far inspite of repeated assurances of the Minister for Parliamentary Affairs of deliberate price gap of nearly Rs. 18,000 per ton in the price of DMT—imported and indigenous had been allowed by the Government in the interests of the monopoly users of DMT. Higher price had been paid to Saudi Arabia as compared to the Iraqi crude involving a *quid proquo*. Parliamentary Committee should be set up to enquire into all such charges against the former Minister. Shri D. K. Barooah had received 25 millions of rupees only in the case of Naphtha.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : He should prove the charge, otherwise he should withdraw his words.

Shri Madhu Limaye : I had already given the notice.

Shri Shankar Dayal Singh : There were 619 mica mines in 1969, which were reduced to 436 in 1972 and in 1973 there were only 381 mica mines. The Government should make a statement about mica export and the closed mica mines.

Shri Hukumchand Kachwai (Morena) : The Minister have assured the House on many occasions that the Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be discussed, but it has not been discussed so far for many years. I should also like to know as to how long would it take to bring forward Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill and Bill on Defections.

Several employees have not been taken back in Ratlam division. There should be a categorical statement over this.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : पिछले 8 महिनों से गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू है। मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य के महत्वपूर्ण विषयों को उठाने के लिए उस विशेष राज्य के संसद् सदस्यों को सदन में उन मामलों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए या अन्य कोई उपाय किया जाए जिससे वहाँ के लोगों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके, सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सके। पिछले कुछ महीनों से मेरे राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर देश का ध्यान नहीं दिलाया जा रहा। गुजरात की एक संसदीय समिति है पिछले 8 महीनों के दौरान इसकी केवल तीन

[श्री पी० जी० मावलंकर]

बैठकें हुई हैं और इन तीनों बैठकों के दौरान मुझे ऐसे सैकड़ों मामलों को उठाने के लिये कहा गया जिनसे मेरे राज्य के लोगों का जीवन प्रभावित है किन्तु वास्तव में इनमें किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकी । तीनों बैठकों में यही कहा गया कि इन मामलों पर अगली बैठक में विचार होगा और जब कभी भी हम संसद् में प्रश्न करते हैं तो एक प्रकार से टालने वाला उत्तर दे दिया जाता या कहा जाता है कि वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जाता है या केवल ऐसे आश्वासन दिये जाते हैं जो उचित रूप से कभी पूरे नहीं किए जाते ।

मैं यह जानना चाहता हूं ऐसी अवस्था में सदस्यों के साथ में क्या उपाय रह जाता है । यदि आप संसदीय समितियों में उनकी समस्याओं की चर्चा नहीं कर सकत न उन पर प्रश्न उठा सकते हैं तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है वहाँ के लोगों को न्याय से वंचित रखा जाए । उन्हें उनकी शिकायतों को संसद् के माध्यम से दूर करने का अवसर न दिया जाय ।

अतः मेरा एक सुझाव है । ऐसा राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू है उस राज्य विशेष की समस्याओं पर चर्चा हेतु, लोक सभा तथा राज्य सभा के सत्रों के दौरान हर पखवाड़े में दो घंट का समय दिया जाए । इस प्रकार उस राज्य के लोगों की शिकायतों को सुना भी जाएगा और उनका निवारण भी हो सकेगा । यह स्थिति आज गुजरात में है कल किसी और राज्य में भी हो सकती है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न कपड़ों मिलों के तीसरी पारी समाप्त करने से 7000 के लगभग कर्मचारी पिछले हफ्तों से बेरोजगार हो गए हैं और लगता है कि कुछ मिलों में दूसरी पारी भी समाप्त कर दी जाएगी । सदन रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पर चर्चा कर रहा है । मैं केवल संकटग्रस्त मिलों की बात नहीं कर रहा । नियमित मिलों ने अपनी तीसरी पारी समाप्त कर दी है । इसलिये यह अत्यंत गम्भीर मामला है । आशा है इस पर चर्चा के लिये कुछ समय दिया जायगा ।

गुजरात के विद्यार्थियों तथा हाई स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों से संबद्ध कुछ समस्याओं का उत्तर नहीं दिया गया है । सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कालेजों के प्रोफेसर इसलिए क्षुब्ध हैं क्योंकि उनके भविष्य निधि और उपदान संबंधी प्रस्तावों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा । विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया जा रहा और हम यहाँ केवल घोटालों पर चर्चा करते रहते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं देते । सरकार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखकर मामल को लटका रही है । गुजरात के लोगों को अतिरिक्त राशन देने के बजाय उन्हें चीनी के कोटे में 100 ग्राम कटौती स्वीकार करने के लिये कहा है । राष्ट्रपति के शासन में उन्हें यह उपहार दिया जा रहा है । मैं आशा करता हूं खाद्य और कृषि मंत्री इस पहलु की ओर ध्यान देंगे ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Bhagalpur is a big city of Bihar on Eastern Railway. The trains of Eastern Railway come upto Bararighat. It nas appeared in the papers that with tne courtesy of Minister of Railways these trains are being stopped from next month onward. The steamer services in Bhagalpur are also going to be stopped. Therefore, I request the hon. Minister of Railways that tne trains running between Bhagalpur to Bararighat and from Sahibpurghat to Monghyrghat should not be stopped.

A bridge is being constructed on the Ganga in Patna. The Minister of Railways is stopping steamer services, over there in collusion with Bacha Sing & Company by taking lakhs of ruppes illegally. It should not be done.

Katihar is a big centre of N. F. R. During last strike many employees were thrown out of job and 27 among them still have not been reinstated. I wish these employees should be reinstated.

श्री वसंत साठे (अकोला) : कपास मूल्यों के संबंध में कहा गया था कि इस मामलों पर कार्ययंत्रणा समिति विचार करेगी और नियम 193 के अन्तर्गत मैंने कई सदस्यों से हस्ताक्षर करा कर एक नोटिस भी दिया था। मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि कार्य यंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी पर फिर भी न जाने इस महत्वपूर्ण विषय को इस सप्ताह की कार्य सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मैसूर और अन्य कपास उगाने वाले राज्यों को रिजर्व बैंक अपनी ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के परिणामस्वरूप धन नहीं दे रहा। क्या सरकार मुद्रास्फिति रोकने के उपायों के नाम पर खेतिहरों का स्वयं विनाश करना चाहती है। आखिर इस संबंध में उसकी नीति क्या है। इस संबंध में मैं निश्चित आश्वासन चाहता। क्या इस मामले पर 6 बजे के बाद भी चर्चा की जाएगी ?

इस देश में खाद्यान्नों की स्थिति बहुत बिकट है क्योंकि पानी की दरें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। यह 3 से लेकर 30 रुपए तक है। पानी की दरों के संबंध में क्या हम सारे देश में एक समान युक्तिसंगत नीति नहीं बना सकते।

श्री वयालर रवि (चिरचिमील) : मैं सदन का ध्यान कोचीन शोधनशाला के प्रबंधकों द्वारा ड्रम प्लांट' बन्द करने के निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। वह सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। मैं उस प्लांट की एकमात्र यूनियन का अध्यक्ष हूं वहां के 37 स्थायी और 100 वैयक्तिक कर्मचारियों को काम से बाहर निकालने की धमकी दी गई है। इस समस्या का केवल कर्मचारियों की बेरोजगारी से ही संबंध नहीं बल्कि एक और पहलू भी है। कोलतार का प्रयोग सड़के बनाने के लिये किया जाता है और अब केरल सरकार को सड़क निर्माण कार्यक्रमों के लिये कौलतार प्राप्त करने के लिये अन्य शोधनशालाओं पर निर्भर करना होगा अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में अपनी नीति की पुनः समीक्षा करे

एक अन्य मामला जिसके बारे में सदन में पहले भी बता चुका हूं वह है 300 भूख से तड़पते परिवारों का। श्री सेथना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा महंगाई भत्ते के संबंध में लिये गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह 300 परिवार भूख से तड़प रहे हैं। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इन दोनों मामलों की जांच करे।

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं पर इनके लिए हमें समय निकालना होगा। इस कार्य हेतु मैं आपकी सहायता चाहता हूं किन्तु मैं निश्चय ही इन सुझावों को संम्बंद्ध मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा।

संविधान (32 वाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री दरबारा सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, बी० पी० मौर्य और शंकर दयाल शर्मा के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री नरसिंह नारायण पाण्डेय, संत बक्श सिंह और प्रियंरजन दास मुंशी को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, बी० पी० मौर्य और शंकरदयाल शर्मा के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री नरसिंह नारायण पाण्डेय, संत बक्श सिंह और प्रियरंजन दास मुंशी को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(The Motion was adopted)

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF SICK TEXTILES UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE AND SICK TEXTILES UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश 1974 निरनुमोदन संबंधी संकल्प तथा इसको प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे ।

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई-मध्य) : सरकार ने उन संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लिया जिन्हें कि हानि का सामाना करना पड़ रहा था । और ऐसा उन्होंने मिल मालिकों की सहायतार्थ किया और बाद में उनकी इच्छा मिल मालिकों को मिलें वापिस करना था किन्तु जब बाद में सरकार ने मिलें वापिस करनी चाहीं तो कर्मचारियों ने आन्दोलन छेड दिया और कहा कि मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए । यह खुशी की बात है कि सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया । इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह उद्योग 100 वर्ष से अधिक पुराना है और इन उद्योगपतियों ने बड़ा लाभ कमाया है इस बिल का प्रारूप तैयार करने में हमें थोड़ा सावधानी से काम लेना चाहिये था । इन लोगों को कभी हानि नहीं उठानी पड़ी । इंदौर ग्रुप मिल्स ने 95 लाख रुपए की जालसाजी की । यह मिल मालिक कर्मचारियों की भविष्य निधि अवकाश मजदूरी और अर्जित मजदूरी सब डकार गए । सरकार ने उन्हें मुआवजा देने का उपबंध किया है । सरकार ने हमें एक बड़ी सूची दी है जिसके आधार पर मिल मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा किन्तु कर्मचारियों के संबंध में ऐसी सहानुभूति नहीं दिखाई गई । सरकार इतनी विनम्र भी नहीं बनी कि बताती कर्मचारियों की भविष्य निधि, उपदान, अवकाश मजूरी और मजूरी के रूप में कितनी राशि देय है ?

आपने यह हिसाब नहीं लगाया है कि मिल मालिकों ने मजदूरों की कितनी बकाया राशि अदा करनी है । आप अधिग्रहण के बाद की राशि तो देना चाहते हैं परन्तु अधिग्रहण से पहले की बकाया राशि कौन देगा ? मिल मालिक मज़दूरों की भविष्य निधि खा गये हैं और आप कहते हैं कि आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं । अधिग्रहण के समय मजदूरों ने अपनी भविष्य निधि की राशि आम मिल चलाने के लिये दी थी । अब आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

आप का तर्क है कि यह धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त जमानती ऋण हैं । ये ऋण मिल मालिकों ने उस समय लिये थे जब कि बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था । वस्तुतः ये गैर सरकारी बैंक भी मिल मालिकों के साथ मिले हुए हैं । ये ऋण जमानती ऋण नहीं हैं । अतः मजदूरों की बकाया राशि की अदायगी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यदि सरकार मजदूरों की यह मांग नहीं स्वीकार करेगी तो देश भर में हड़तालें होंगी तथा केवल कपड़ा मिलों के मजदूर ही हड़ताल नहीं करगे बल्कि अन्य उद्योगों के मजदूर भी उनका समर्थन करेंगे ।

सरकार ने 103 कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया है । सरकार के पास उनमें उत्पादन की क्या योजना है । मिल मालिकों ने सरकार को ठगा है । श्री मधु लिमये ने इस संदर्भ में आंकड़े पेश किये हैं । आप के आदेश के बावजूद गैर-सरकारी कपड़ा मिलों ने स्टैण्डर्ड क्लाथ नहीं बनाया तथा हंसते हुए जुर्माना अदा कर दिया क्योंकि जुर्माने देने के बावजूद भी वे लाभ में रहें । उन्हें चाहिये था कि वे देश के करोड़ों निर्धन व्यक्तियो तथा किसानों के लिये इस कपड़े का निर्माण करते । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मज़दूर वर्ग हमेशा सरकार के साथ सहयोग करने तथा उसकी सहायता करने को तत्पर हैं परन्तु इस विधेयक द्वारा उनको उनकी अर्जित मजूरी से वंचित करके आप उनसे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते । हज़ारों गज कपड़ा रोज़ तैयार करने वाले मज़दूर स्वयं चोथड़ों में रहते हैं । वे अपने ही बनायें कपड़े को खरीदने की ताकत नहीं रखते । अत: आपको कपड़े मूल्यों में कमी लानी ही होगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा शोर है । आप इसके कार्यकरण की जांच करे । गैर-सरकारी कपड़ा मिल झूठ-मूठ के घाटे दिखा रहे हैं । उन्होंने अपनी पूंजी दूसरे उद्योगों में लगाना आरंभ कर दिया है जहां उन्हें 400 से 600 प्रतिशत का मुनाफा होता है । उदाहरणार्थ कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल घाटा दिखाये जा रही है और मिल मालिक अब चाहता है कि सरकार उसका अधिग्रहण कर ले । मैं चाहती हूँ कि सरकार इस मामले की जांच करे । इसी प्रकार बुलढाना की मिल अनेक वर्षों से बन्द है और उस मामले की भी कोई जांच नहीं कर रहा है । सरकार इसे भी अपने अधिकार में क्यों नहीं लेती । फिर सरकार सरकार द्वारा संचालित मिलों के कार्यकरण की जांच करे तथा यदि मज़दूर प्रबंधकों की चोरी आदि का भंडा फोड़ करते हैं तो आप मजदूरों को ही दण्ड देने की बजाये प्रबंधकों को दण्ड क्यों नहीं देते ? यह मामला यूनाइटिड इंडिया मिल्स में हुआ है । इसी प्रकार राजधानी के अयोध्या मिल्स का कार्यकरण भी ऐसा ही है । आप इन के कार्यकरण की जांच करें ।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि सरकार ने इन 103 मिलों को अपने अधिकार में लेने के बाद किन नियमों के प्रशासनाधीन रखा है ? मज़दूर यदि प्रबन्धकों की चोरी की रिपोर्ट को तो आप मज़दूरों को ही दण्डित कर देते हैं । मैं प्रबन्ध में मज़दूरों को इस प्रकार के स्थान देने के पक्ष में नहीं हूँ । मेरा अनुरोध है कि इन मिलों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू हो । मज़दूरों की मजूरी की अदायगी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये । यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार को यहां विपक्ष से तथा मिल मजदूरों से सहयोग तथा समर्थन नहीं मिल सकेगा । बल्कि सारे देश में इस विषय पर सरकार का विरोध होगा ।

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all I would object to the Hindi equivalent "Rugna Kapda Upkram". How can a mill be ill ? It is not a living being so as to the subject to any disease. Instead it should be termed "Band Kapda Mill".

The Nationalisation of the mills has been welcomed by almost all here ; but I am constrained to add that generally the purpose of nationalisation is not achieved because of bureaucracy. That is why I warn the Government to save these units from the cluches of bureaucracy. Only then they can achieve their goal of Socialism and only thereafter can the workers progress and prosper.

It has been seen that prices increase soon after the nationalisation. Coal mines take over is an example in this behalf.But since the monopoly in cloth production is not in Government's hands—private mills also produce cloths. The increage in cloth prices benefit the capitalists. The Government should therefore control the prices of their production as well as that of the private mills.

Much hopes were attached to the National Textile Corporation particularly when Shri K. P. Tripathi was appointed its Chairman. But only after 4 months Shri Tripathi resigned because of the prevailing bureaucracy there. I would therefore urge upon the hon. Minister to look into this aspect.

[Shri Shankar Dayal Singh]

It is true that the workers interests would have to be safeguarded in nationalised mills so as to place an ideal before the private units. The workers should be paid their arrears without any delay.

Then there should be a uniformity in the wages throughout the country. Secondly at least in these 103 taken-over mills, the production should be as such as to reach the poor workers also. Let there be a few varieties instead of hundreds of varieties. Let there be maximum production of coarse cloth.

We are exporting very much cloth these days. I suggest you to earmark 25 per cent mills to export their produce and inspire others also to follow the same pattern. This would result in the availabitlity of cloth to the poor folk.

The agencies of the taken over mills should be given to our educated unemployed people. As you have done in the case of gas cylinder agencies and the petrol pumps. This would help in solving the unemployment problems also.

There should be an Advsiory Committee consisting of a expert, a representative of the management and also one form workers side. Elected public representatives viz., an MLA or an M. P. may also be included. This may you would be able to exercise some control on these mill otherwise the management there would become quite fearless as has been in the Jute and Cotton Mills. There the old workers were dismissed whereas they should have been given preference after nationalisation.

Gaya Cotton and Jute Mills—the biggest mill in Bihar was taken over as a result of our representation to the Prime Minister and the then. Foreign Trade Minister Shri L. N. Mishra. But the performance of that mills is not going on satisfactorily There its ample potential for its expansion also. The Government should look into that.

As regards there 103 mills' responsibilities in respect of any losses etc. should be fixed on its Managing Directors, Directors or Managers. It has been seen that only the workers are penalised in case there happens to be any malfunctioning, pilferage or any other loss to the Mills; the high-ups remain unaffected. So, proper checks and surprise visits should also be exercised to arrest and malpractice or malfunctioning in the mills.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsour) : The Government have not yet decided upon a definite policy in respect of production quality and the distributor of cloth and that is why they had to take over these sick textile mills and it was done in such a hurried manner that the Supreme Court had to pass certain strictness against the Government. The purpose of the Government in taking over these mills was to improve the production and the quality of cloth but despite fifteen long years of the take over of certain mills the Government could make no improvement whatsoever to cite an instance. Rajasthan Mewar Textile Mills was taken over but was handed over back to the owners. What was that ? There must be some secret behind that. On the other side there are many more mills which are sick and whose managements have not paid workers dues, but no action has been taken against them. Certain dishonest mills in Madhya Pradesh either did not produce the Janata cloth or distributed in less measure i.e. instead of 20 metresroll they supplied 18 meters roll. Still no action has been taken against them.

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supply (Sari B. P. Maurya): I want to assure the hon. Member that any sick mill whether it belongs to Birla, Tatas or any small or big man, will be taken over.

Dr. Laxminarain Pandeya : The Government should have a definite policy. The export of cloth has also come down. On the other hand we import quite a big quantity of staple cotton and thus spend a lot of foreign exchange. Last year, foreign exchange worth Rs. 1200 or 1300 crores was spend on this account whereas our export was only worth Rs. 700 crores. Our policy should be export-oriented and with purpose of earning more and more foreign exchange.

Then this Bill does not clearly indicat the policy about the payment of Provident Fund, Gratuity etc. of the workers of the Industry.

Many mills which have now been taken over by the Government have paid their arrears. Malna Mill's arrears amount to Rs. 30 lakhs. Who will pay this amount? The Government do not propose to pay the arrears belonging to the pre-take-over periods. Any how the workers should be paid their dues.

You have formed National Textile Corporation and yesterday the hon. Minister state that State Corporations would also be formed, which would be subsidiary units under the governments control. But press reports say that Gujarat Government have pointed out that the running of the textile mills required decentralised management, familiarity with local conditions and procedures that facilitate quick decisions.

The purpose of the Bill is to produce different varieties of cloths and yarns and provide employment continuously to the large number of employees in these mills. And that is why you thought it necessary to nationalize these mills. Thus you purpose to provide continuous employment to the workers.

There are some mills in which there may be excess labour. If you will retrench them what will be their future ? I want an assurance that workers will not be retrenched and that the interests of the workers will be protected. You issued an ordinance on 21 st September and took over a textile mills in Tamil Nadu. The Supreme Court passed strictures on the way in which the possession of a textile mills in Tamil Nadu was taken over by the Government. What was the urgency. This could have been done gradually.

Now a Bill has been brought to replace this ordinance. You should bring a comprehensive Bill based on a fixed policy. The issue of workers' participation in the management has been under discussion for a very long time and no provision has been made for it in the present Bill. Handlooms and powerlooms are not being given yarn in adequate quantity. May I know whether arrangments have been made to ensure adequate supply of yarn to them. I want to suggest that the distribution of controlled cloth should be set right so that cheap cloth may be made available to the masses. With these words I disapprove the ordinance.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने देश के अधिकांश कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा कदम उठाया है । किन्तु यदि हम देश में कपड़ें की बिगड़ती स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो हमें पूरे राष्ट्र के लिये एक कपड़ा नीति बनानी होगी । देश में सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का वैसा ही कदम सरकार क्यों नहीं उठाती जैसा कि उसने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में उठाया है ।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए
SHRI NAVAL KISHOR SINHA *in the Chair*]

कपड़े के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर ही आप यह निर्णय कर सकेंगे कि 4300 किस्म का कपड़ा बनाना है या 300 किस्म का; रुई उत्पादक को क्या मूल्य देना है और कपड़े का मूल्य क्या रखना है ; कुल कितनी मात्रा में रुई आयात करनी पड़ी है; फाइन और सुपर फाइन कपड़ा तैयार किया जाना है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसे कपड़ की आवश्यकता केवल 0.5% जनसंख्या को है । केवल 103 रुग्ण मिलों का प्रबन्ध सरकारी नियंत्रण में लेने मात्र से ये निर्णय न लिय जा सकेंगे ।

मैं माननीय मंत्री से, जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है, अनुरोध करता हूं कि वह श्रमिकों के हितों के बारे में सभा में जो सुझाव दिये जायें उनको स्वीकार करें । परन्तु विधेयक के खंड 5(2) में यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित तिथि अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व की अवधि के लिये श्रमिकों का मजूरी, बोनस , भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि देय राशियों

[श्री वसन्त साठे]

का कोई दावा लागू न किया जा सकेगा । क्या इससे श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन मिलों पर जो बैंकों का ऋण है, उसके भुगतान को प्राथमिकता देने की क्या आवश्यकता है । इसका भुगतान धीरे-धीरे किया जा सकता है । लगभग 39 करोड़ की राशि मिलों के भूतपूर्व मालिकों को मुआवजे के रूप में दी जा रही है । परन्तु इन बेचारे श्रमिकों ने क्या गुनाह किया है, उन्होंने तो मिलों में निष्ठापूर्वक काम किया है । तो उनकी खून-पसीने की कमाई, मजूरी, बोनस उपदान, भविष्य निधि आदि की करोड़ों रुपयों की राशि का क्या हुआ ? क्या श्रमिक का खाता बैंक में होता है और उसमें पर्याप्त धन होता है ? उसकी अर्जित पूंजी तो भविष्य निधि और उपदान की राशि ही होती है । आपने कहा कि उपदान के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, किन्तु वह पूरी सर्विस के लिये होनी चाहिये । इस अनुसूची के भाग दो की अन्तिम मद पर उपदान को रखा गया है इससे ऐसा लगता है कि आप उपदान की राशि न दे सकेंगे क्योंकि प्रत्येक मद का भुगतान करने पर यदि कुछ बचेगा तो उपदान का भुगतान किया जायेगा ।

Shri Lalgi Bhai (Udaipur) : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है...अब सभा में गणपूर्ति है ।

सभा का अवमान
CONTEMPT OE THE HOUSE

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मैं सभा को सूचित करता हूं कि आज लगभग 12.2 म० प० पर सतेन्द्रजीत सिंहा पुत्र सरदार सुरेंद्र सिंह नाम के एक दर्शक ने सभा की दर्शक दीर्घा में घुसने का प्रयास किया । लोक सभा सचिवालय के वाच एंड वार्ड असिस्टेंट को उस पर शक हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास से शीशे के जार में विस्फोटक पदार्थ जिसके साथ फ्यूज और पटाखे जुड़े थे, मिला । इसी बीच दर्शक ने छुरा निकाला जो उसने छिपाया हुआ था और वाच एण्ड वार्ड असिस्टेंट पर आक्रमण का प्रयास किया । वाच एंड वार्ड असिस्टेंट ने उस पर अन्य असिस्टेंटों की सहायता से काबू पा लिया । यह एक गंभीर मामला है इसीलिये सभा के सामने लाया गया है जिससे सभा उपयुक्त कार्यवाही कर सके ।

श्री एच० के० राव भगत (पूर्व दिल्ली) : इसे पास किसने दिलाया था!

सभापति महोदय : श्री डी० एस० प्रधान ने ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम): पास दिलाते समय सदस्यों को यह जांच पूरी तरह करनी चाहिये कि कौन वास्तविक दर्शक है और कौन नहीं है । क्या इस मामले में भी ऐसा किया गया था ।

सभापति महोदय : लोक सभा सचिवालय ने हम सब को सूचित किया था कि जिस व्यक्ति को हम पास दिलाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है । इस मामले में भी यह स्थिति है । [अन्तर्बाधाएं]

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : कुछ सदस्यों ने श्री जयप्रकाश नारायण का नाम लिया है । यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होना चाहिये । यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Nobody has mentioned his name.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे (गोरखपुर) : किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है ।

सभापति महोदय : जहाँ तक श्री जयप्रकाश नारायण के नाम लिये जाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि मैंने उनका नाम नहीं सुना है । अन्य सदस्य भी ऐसा ही कह रहे हैं ।

श्री इराज्यु द सेकैरा (मारमागोआ) : श्रीमान यह एक गंभीर मामला है और पूरी सभा के लिये चिन्ता का विषय है । हमें वाच एंड वार्ड स्टाफ की प्रशंसा करनी चाहिये जिससे बहुत अच्छा काम किया है । अब मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस बारे में प्रस्ताव पेश करें ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने वाच एंड वार्ड स्टाफ की सेवा की जो प्रशंसा की है, उससे पूर्ण सभा सहमत होगी, मुझे ऐसा विश्वास है । परन्तु यह मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है । हम सब चाहते हैं कि सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे। सभा की परिपाटी के अनुसार मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको सत्येन्द्रजीत सिंह सुपुत्र सरदार सुरेन्द्र सिंह कहने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज 12.25 बजे लोक सभा की दर्शक दीर्घा में अपने पास विस्फोटक पदार्थ और एक छूरा छिपाये हुए प्रवेश करने का प्रयास किया और जिससे यह पूछे जाने पर कि उसके पास क्या-क्या चीजें हैं, दर्शक दीर्घा के दवारा के निकट ड्यूटी पर तैनात लोक सभा सचिवालय के एक वाच एंड वार्ड सहायक पर छूरे से आक्रमण करने का प्रयास किया और जिसे वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है ।

यह सभा यह भी सकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त सत्येन्द्र जीत सिंह को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिए शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1974 के मध्याह्न-पश्चात 6.00 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उसे केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये ।"

श्री पी० एम० मेहता : श्रीमान, यह पर्याप्त नहीं है । हम सब चाहते हैं कि यह मालूम हो कि ऐसी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है । अत: इसकी जांच के लिये संसदीय समिति अनिवार्यत: नियुक्त की जानी चाहिये ।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Sir, nobody would like such an incident. But from the way in which these incidents are taking place, it appears that there is some calculated move behind it. The strict security measures are being taken and inspite of it, such incidents are increasing. In this very session two such incidents have taken place. My submission is that a Parliamentary Committee should be appointed to have a thorough probe in the circumstances in which such incidents have occurred. I would take to suggest that a Committee should be set up which should go into the causes of such incidence.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से सहमत हूं । परन्तु कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की व्यवस्था बाहरी दवार से प्रारम्भ होती है और वह यहां आकर खड़ा गया । ऐसा अनेक बार हो चुका है । इसी मामले की जांच कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करने में आपको क्या आपत्ति है ? कुछ लोगों को सरकार को कुछ कार्यवाहियों के बारे में शिकायत है, शायद इन घटनाओं का यही कारण हो ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : The motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs is quite reasonable. I would suggest that hon'ble Members should be more cautious while issuing passes. If they use some discretion in this matter, the number of such incidences can be reduced.

[Shri Narsingh Narain Pandey]

There are so many internal and external forces which are trying to jeoparadise democracy in our country. Such forces must be identified. I must commend the job done by our security staff who have to face and detect persons possessing lethal weapons at the risk of their own lines. With these words I support the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs.

Shri Ramautar Shastri (Patna) : Such incidents have been increasing gradually. Reactionaries are becoming more active and they are indulging in such activities which are endangering democracy in our country. I would like to know whether the arrested person has come to Delhi as a deligate to attend the conference of rightists and reactionaries which is being held in the capital?

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया है और सम्पूर्ण सभा इस पर विचार कर रही है, अत: इस संबंध में संसदीय समिति नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । सभा को इस प्रस्ताव पर निर्णय करना चाहिये ।

सभापति महोदय : मुझे पता चला है कि श्री डी० एस० प्रधान ने इस दर्शक को पास दिलवाया है और यदि वह सभा में उपस्थित हो तो वह नोजि स्पष्टोकरण दे सकते हैं---वह इस समय उपस्थित नही हैं । सभा को इस बात का निर्णय करना चाहिये कि क्या इस विषय पर और चर्चा की जाये क्योंकि समय बहुत कम है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस घटना पर बहुत हैरान हुआ हूं और मैं इसकी निंदा करता हूं । आजकल इतनी जाँच पड़ताल की जाती है फिर कोई व्यक्ति बम या छूरा लेकर कसे दीर्घा तं पहुँच सकता है, यह बात समझ में नही आती ।

सभापति महोदय : मुझे पता चला है कि वह व्यक्ति दीर्घा के बाहर दरवाजे पर पकड़ा गया थ

श्री एस० एम० बनर्जी : हम कड़े उपाय करने के विरुद्ध नहीं है । परन्तु इनका परिणाम यह होगा कि कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सभा की कार्यवाही देखने नहीं आयेगा । अत: पाबन्दियां लगाने के बाजाय इस मामले की जांच की जानी चाहिये । ऐसी घटनाएं क्यों होती है और इन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है ? हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये ।

डा० हेनरी आस्टीन (एरणाकुलम) : मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं । हम सब जानते हैं कि आज प्रतिक्रियावादी और उग्रवादी शक्तियां लोकतंत्र को ठीक तरह से नहीं चलने देना चाहतीं । यदि कुछ माननीय सदस्य सोचते हैं कि वह दीर्घा में ही पकड़ा गया है जबकि ऐसा व्यक्ति पहले ही पकड़ा जाना चाहिये था तो हमें बाहर भी जांच पड़ताल की व्यवस्था करनी चाहिये । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, यह व्यक्ति दीर्घा के बाहर पकड़ा गया था अन्दर नहीं । अब सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जाये ताकि सदस्यगण निर्भीक हो कर काम कर सके । इस प्रयोजन के लिए संसदीय समिति की कोई आवश्यकता नहीं । अध्यक्ष महोदय ही यह काम कर सकते हैं अथवा सभी दलों के नेता इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर के आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं ।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : We are not against the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs. I would however, suggest that individual Member should be allowed to get the passes for more than one guest subject to his personal responsibility for the visitors.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : I condemn this incident. However I was amazed to learn that Shri Sathe tried to drag my party while speaking on this incident. It is entirely baseless charge. I would suggest that a Parliamentary Committee should be constituted to find out the facts in order to know that who are behind such incidents.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब भी इस प्रकार की कोई दुर्भाग्यपूर्ण और गम्भीर घटना होती है तब सरकार की ओर से अथवा विरोधीपक्ष की ओर एक दूसरे पर आरोप लगाये जाने लगते हैं । इसी लिये समय भी अधिक लगता है । हमें ऐसे मामलों में श्री जयप्रकाश नारायण और उनके समर्थकों या विरोधियों का नाम इस वादविवाद में नहीं लाना चाहिये । सरकार को मामले का ब्यौरा सभा को बताना चाहिये और साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर देना चाहिये कि दोषी व्यक्ति को अमुक दंड दिया जाये ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : There is definitely some conspiracy. Previously one Mr. Gupta was apprehended. He disturbed our meeting in Patna on the 16th. Second thing is that the House should be infomred the result of police investigations in such cases. The Minister of Parliamentary Affairs should let us know the name of the individual or political party responsible for such acts of sabotage.

With these words I support the motion moved by the hon'ble Minister.

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि आपने आपको सत्येंद्र जीत सिंह सुपुत्र सरदार सुरेंद्र सिंह कहने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज 12.25 बजे लोक सभा की दर्शक दीर्घा में अपने पास विस्फोटक पदार्थ और एक छूरा छिपाये हुए प्रवेश करने का प्रयास किया और जिसने यह पूछे जाने पर कि उसके पास क्या-क्या चीजें हैं, दर्शक दीर्घा के द्वारा के निकट ड्यूटी पर तैनात लोक सभा सचिवालय के एक वाच एंड वार्ड सहायक पर छूरे से आक्रमण करने का प्रयास किया और जिसे वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है ।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त सत्येन्द्रजीत सिंह को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिये शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1974 के मध्याह्न-पश्चात 6.00 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उसे केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक ---जारी

STATUTORY RESOLUTION Re SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE, 1974 AND SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब हम रुग्ण कपड़ा उपक्रम सम्बन्धी संविधिक संकल्प और रुग्ण कपड़ा उपक्रम विधेयक पर पुनः चर्चा शुरू करते हैं ।

Shri Vasant Sathe (Akola) : I am speaking on a vital issue. Workers are being deprived of their dues, which they earned with hard labour. They depend on that money in old age. These dues should be paid to the workers. The bank loans can be paid off afterwards.

[Shri Vasant Sathe]

The workers can not give their best to the mills if they are denied their dues. The Government should have acted as a model employer through this Bill. The workers representatives should have bear included in the management of the nationalised mills.

It is said that National Textile Corporation will have a uniform policy. The proposed Industrial Relations Bill should be brought forward soon and that Bill should be made applicable to the workers of all nationalised textile mills.

The mill owners have eaten up the Provident and ESI contributions of the workers. In spite of all this, the Government is giving compensation to the mill owners. The Government should accept the liabilities of the mills in regard to payment of Provident Fund and gratuity etc. to the workers. The Government may not have to pay that money immediately.

Certain workers were retrenched by the previous management. Their cases are still pending. Workers of Heenganghat have been there was their case in the Supreme Court but their claim for lay off compensations could not be enforced on account of a provision in this Bill. It is indeed a grave injustice to the workers.

Serious thought sthould be given to the question of payment of dues of workers Clause 5 and relevant provisions will have to be amended. Necessary basic changes should made in the Bill to protect the interest of the workers. Only then the Bill will be acceptable*

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : इस विधेयक के बारे में जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिये कि मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ । वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के मालिकों को लगभग 2000 रुपए की राशि प्रति माह मिला करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक रुग्ण कपड़ा मिल मालिक के लिये यह देय राशि निर्धारित क्यों नहीं की गई है । जब स्पष्ट से यह कहा जा सकता है कि 39.18 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी तो फिर प्रत्येक मिल मालिक को प्रतिमाह दी जाने वाली कुल राशि का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ।

इस विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि चूंकि ब्याज के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब होने की सम्भावना है । अत: मिल मालिकों को 13.06 लाख रुपये प्रति माह दिये जायेंगे । सरकार की नीयत यहां भी साफ नहीं है कि मिल मालिकों को क्षतिपूर्ति कितनी अवधि के अंदर हो जायेगी और इसलिये सरकार उस कुल व्यय का स्पष्ट उल्लेख नहीं कर पाई है जो कि सरकार मिल मालिकों को ब्याज देने पर वहन करेगी । आश्चर्य की बात है कि मंत्रालय इस संबंध में समय निर्धारित नहीं कर पाया है कि क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान कितने समय में किया जायेगा । क्या सरकार उस पूरी राशि को बताने के पक्ष में नहीं है जोकि उसे ब्याज के रूप में देना होगा ।

यह भी आश्चर्यजनक है कि मिल मालिकों को दी जाने वाली कुल राशि 39.8 करोड़ रुपए की बजाय 100 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है । विधेयक में कहा गया है कि यह राशि 39.8 करोड़ रुपए होगी । हम सरकार की इस उदारता की निंदा करते हैं जो कि उन मिल मालिको को करोड़ों रुपए का भुगतान करना चाहती है जिन्होंने गत 30 वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में लगे श्रमिकों को उनका न्यायोचित वेतन तथा बोनस नहीं दिया और अंधाधुंध धन एकत्रित कर लिया । सरकार को रुग्ण कपड़ा मिल मालिकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहिये

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

जैसा कि तम्मिलनाडु में द्रमुक सरकार ने सुझाव दिया है ।

तलिलनाडु में वस्त्र निगम अब बहुत ही सक्षम ढंग से कार्य कर रहा है और लाभ भी कमा रहा है । तमिलनाडु के श्रमिकों ने तमिलनाडु वस्त्र निगम तथा मिलों के समुचित कार्यकरण में लगन से कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप ये मिलें बड़े सुचारु रूप से लाभदायक ढंग से कार्य कर रहे हैं । इन विभिन्न मामलों पर हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक अर्धशासीय पत्र भेजा है । उस पत्र में हमारे मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था राज्य वस्त्र निगम ही करता रहेगा । तमिलनाडु वस्त्र निगम द्वारा व्यवस्थित 12 मिलें निगम के ही अधीन कार्य करेंगी । कपड़ा मिल मालिकों को क्षतिपूर्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं है । उन्हें अपने अधिकार में लेने से पूर्व की सारी देयता की जिम्मेदारी मिल मालिकों पर ही रहनी चाहिये । भुगतान उपयुक्त की नियुक्ति तथा इस संगठन पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करने के बजाय सारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य पर छोड़ देनी ही उचित है ।

क्या राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ये मिलें केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में हों । यदि राज्य सरकारें इन्हें अपने अधिकार में ले ले तो क्या यह समझा जायगा कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है । क्या हम इसी प्रकार के समाजवाद की बातें कर रहे हैं ? ऐसे कदम उठाने से जनता के दिमाग में एक भावना घर कर गई है कि सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार के हाथों में है और राज्य सरकारों को कुछ भी करने की शक्ति उपलब्ध नहीं है । कुछ राज्य सरकार अनेक कपड़ा मिलें चला रही हैं और केन्द्रीय सरकार इन्हें अपने हाथ में ले ले तो यह उचित नहीं है ।

महाराष्ट्र सरकार ने यें 21 रुग्ण कपडा मिलें अपने हाथ में ली हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मिलों को अपने अधिकार में लेने का विरोध किया जा रहा है ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

मैं निम्नलिखित बातें कह कर अपना कथन समाप्त करूंगा :

(1) राज्य सरकार का निगम के प्रबन्ध पर नियंत्रण होना चाहिए ।

(2) मंत्री महोदय चाहते हैं कि बातचीत दिल्ली में आयोजित की जाये ताकि विधेयक को पारित करने से पूर्व उस पर और चर्चा हो सके ।

(3) यदि राज्य सरकार की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया तो राज्य सरकार निगम से पूरी तरह से हट जायेगी ।

(4) क्षतिपूर्ति अनुसूची में दी गई व्यवस्था के अनुसार तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम को $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए का घाटा होगा जोकि उसने सोम सुन्दरन और कालेश्वर मिलो को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पूर्व दिया था क्योंकि दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि ऐसा ऋण श्रेणी तीन के अन्तर्गत आयेगा और इस प्रकार श्रेणी एक और दो को भुगतान करने के पश्चात् तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम को धन देने के लिये कुछ नहीं बचेगा इस तरह सरकारी क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं को भारी घाटा होगा ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि विभिन्न मिलों के मूल्यांकन का मापदंड क्या है । इस दृष्टि से यह अनुलग्नक अस्पष्ट है । इसमें प्रत्येक मिल के आगे तकुओं, करघों आदि के साथ उनकी क्षमता दी जानी चाहिये । दूसरा क्या इन मिलों का मूल्यांकन करते समय उनको चलाने वाले राज्य निगमों से सलाह-मशविरा किया गया है ? क्या इन मिलों को धन देने वाली वित्तीय संस्थाओं से भी सलाह ली गई है ? तीसरा इन मिलों में धन लगाने वाले राज्य सरकारों के अधिकारों का क्या हुआ है? उदाहरण के लिए इस

[श्री एस० आर० दामाणी]

समय महाराष्ट्र कपड़ा निगम 21 मिलें चला रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने इन मिलों में 18 करोड़ लगाया है तथा अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों को अपने अधिकार में ले रहा है जिसमें केन्द्रीय सरकार के अंश 15 प्रतिशत होंगे और महाराष्ट्र सरकार के 49 प्रतिशत जबकि केन्द्रीय सरकार ने इसमें अब तक केवल 8.90 करोड़ रुपया लगाया है। महाराष्ट्र सरकार इसमें पहिले ही 18 करोड़ रुपया लगा चुकी है और 4 करोड़ रुपया और देने की गारंटी दी है तथा इस प्रकार यह 22 करोड़ रुपए बनता है क्या इन मिलों को अपने अधिकार में लेने से पूर्व महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिक लगाई गई राशि के बारे में महाराष्ट्र कपड़ा निगम के साथ कोई समझौता हुआ है ? महाराष्ट्र सरकार ने इन मिलों को अपने नियंत्रण में लेते समय इनके कामगारों को यह आश्वासन दिया था कि उनका 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जमा कर लिया जायेगा तथा जब ये मिलें लाभ पर चलने लगेंगी तब उन्हें उसका भुगतान किया जायेगा। अब चूंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों को अपने नियंत्रण में ले रहा है इसलिए उन्हें इस आश्वासन को पूरा करना चाहिए ।

सभापति महोदय : इसको विधेयक में किस प्रकार शामिल किया जायेगा ?

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : इन मिलों को अपने अधिकार में लेने की यह एक शर्त होनी चाहिये । राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है । इसलिये विभिन्न राज्य सरकारों ने इन मिलों के कामगारों को जो आश्वासन दिया हैं उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पूरा करना चाहिये ।

इन मिलों के कामगारों की सेवाएँ जारी रखने का आश्वासन दिया जाना चाहिये । उनकी सेवा में व्यवधान नहीं आना चाहिए । मंत्री महोदय ने बताया है कि इन मिलों को चलाने के लिए नौ सहायक निगम बनाये जायेंगे । क्या वर्तमान निगम जैसे महाराष्ट्र अथवा पश्चिम बंगाल निगम जारी रहेंगे । रुई तथा धागे के मूल्यों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं यदि सहायक निगम होंगे तो विवाद उत्पन्न हो सकते हैं । उनका मुख्यालय उन्हें कह सकता है कि उन्होंने समय पर रुई अथवा धागे को खरीदारी नहीं की है । इसलिये बिना स्वायत्तता के वे काम नहीं कर सकते हैं । यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि उनका प्रबंध किस प्रकार होगा । बेहतर प्रबन्ध न होने से मिलें घाटे पर चलेंगी । इन मिलों के आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे सक्षम मिलें बन सकें । उन्हें राजकोष पर भार नहीं बनाना चाहिये । चूंकि इस उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली संयंत्र तथा मशीनरी देश में उपलब्ध है इसलिये इनका आयात किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मधु लिमये ने पूछा है कि सरकार लम्बे रेशे की रुई का आयात क्यों कर रही है । उनको पता होना चाहिये कि सरकार ने गत दो वर्षों में इसका बहुत कम मात्रा में आयात किया है। गत वर्ष उसने 10 से 15 करोड़ रुपए की रुई का आयात किया था । सरकार ने आयात किए जाने वाले लम्बे रेशे की रुई पर 40 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है जिससे इसके आयात को धक्का पहुंचा है । यह कहना भी गलत है कि सरकार रुई का आयात सम्पन्न लोगों के लिये कर रही है । आयातित रुई से बनने वाले धागे जो 80 या 120 काउन्ट का होता है का प्रयोग हथकरघा तथा विद्युत चालित करघा में होता है । उनमें बहुत कम उत्पादन शुल्क लगता है इसके अलावा सरकार ने उद्योग के संगठित क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाए हैं। वे साड़ी, धोती अथवा मल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं । इसका उत्पादन केवल हथकरघा अथवा विद्युत चालित करघा क्षेत्र में ही किया जाता है । सरकार रुई का आयात केवल हथकरघा उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिये कर रही थी । देश में लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन बढ़ा है । सरकार को नियंत्रित कपड़ा माननीय सदस्यों को दिखाना चाहिये ताकि उन्हें पता चल सके कि किस किस्म का कपड़ा बनाया जा रहा है । श्री लिमये का कहना है कि नियंत्रित कपड़ा पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाया जा रहा

है परन्तु ऐसी बात नहीं है परामर्शदायी समिति की बैठक में माननीय सदस्य ने बताया था कि दो तिमाही यथा अप्रैल-जून और जुलाई-सितम्बर के दौरान नियंत्रित कपड़े के निर्धारित लक्ष्य 400 मिलियन मीटर की तुलना में उन्होंने 407 मिलीयन मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया है ।

अंत में मेरा सुझाव है कि उद्योगीं को अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत कपड़ा उत्पादन लागत में बेचने को कहा जाना चाहिये । इस कपड़े का मूल्य कपड़ा आयुक्त द्वारा तय किया जाना चाहिये इससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 1974/6 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday the 27th November, 1974/Agrahayana 6, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—39 एल० एस० एस०/75—12-3-75—200.

P.L.S. 48. XLV. 10.74(N)
200

© 1974 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.